# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

## 5th
## LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Parliament Library
2-8-92

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

**लोक-सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**
**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया          Price One Rupee

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27—मंगलवार, 29 जून, 1971/8 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 27, Tuesday, June 29, 1971/Asadha 8, 1893 (Saka)

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर** — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 781 | सिलिगुड़ी की जुलाई 1970 की घटना में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें | Court Cases against Employees involved in July, 1970 incident at Siliguri | 1-3 |
| 783 | पश्चिम बंगाल में स्वर्ण रेखा बांध का मार्ग-निर्धारण | Alignment of Subarnarekha Dam Construction in West Bengal | 3-5 |
| 785 | विधि आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता में सुझाये गये परिवर्तन | Changes suggested by Law Commission in Indian Penal Code | 5-7 |
| 790 | सतना स्टेशन से रीवा होकर गोविंदगढ़ तक रेलवे लाइन | Railway Line from Satna Station to Govindgarh via Rewa | 7 |
| 797 | तिस्ता बहुप्रयोजनीय बांध परियोजना | Tista Multipurpose Barrage Project | 7-9 |
| 798 | मनीपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना | Rural Electrification Scheme in Manipur | 9-10 |
| 799 | हरियाणा में लोहारू और जूही सिंचाई योजनाओं का अनुमोदन | Approval of Loharo and Juhi Irrigation Schemes, Haryana | 10-11 |
| 800 | उड़ीसा की नुआपद-गजपुर और रूपसा-तलबन्द रेलवे लाइनों पर यातायात सर्वेक्षण | Traffic Survey of Nuapada-Gunupur and Rupsa-Talband Railway lines in Orissa | 11-12 |
| 803 | चौथी योजना विधि में बाढ़ से बचाव के उपाय | Flood protection measures during the Fourth Plan | 12-14 |
| 810 | आंध्र प्रदेश में "स्वर्णा परियोजना" को पूरा करने में विलम्ब | Delay in Completion of Swarna Project in Andhra Pradesh | 14-15 |
| 792 | मतपत्र के साथ रसीद जारी करने की योजना | Scheme to Issue Receipt along with Ballot Paper | 15-20 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | **Written Answers to Questions** | |
| **ता० प्र० सं०** | | |
| S. Q. No. | | |
| 782 लाइसेंसों के लिए राजस्थान से प्राप्त विचाराधीन प्रार्थनापत्र | Pending Applications from Rajasthan for Licences | 20 |
| 784 भाखड़ा बांध में गाद का जमा हो जाना | Accumulation of Silt at Bhakra Dam | 20-21 |
| 786 दिल्ली और बम्बई के बीच दोहरी लाइन का बिछाया जाना | Double Railway Line between Delhi and Bombay | 21 |
| 787 गण्डक परियोजना पर व्यय | Expenditure on Gandak Project | 21 |
| 788 दिल्ली-भटिंडा रेल मार्ग पर एक एक्सप्रेस गाड़ी के लिए मांग | Demand for an Express Train on Delhi-Bhatinda Railway Line | 21-22 |
| 789 राजधानी एक्सप्रेस के रेल मार्ग का दोषपूर्ण पाया जाना | Rajdhani Route Track found Defective | 22 |
| 791 पंजाब में थीन परियोजना को स्वीकृति | Sanction to Thien Dam Project Punjab | 22 |
| 793 सरकारी क्षेत्र में तीन पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण | Manufacture of three Wheeler Scooters in Public Sector | 22-23 |
| 794 दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन | Reorganisation of Damodar Valley Corporation | 23 |
| 795 छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन | Production of Small and Medium Sector Industries | 23-24 |
| 796 माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के बारे में कच्छ नमक उत्पादक संघ की शिकायत | Complaint of Kutch Salt Producers Association Reg. non-availability of Wagons | 24 |
| 801 पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उपक्रमों के मुख्य कार्यालयों का अन्य राज्यों में स्थानान्तरण | Shifting of Head Offices of Industrial concerns from West Bengal to other States | 24 |
| 802 भारतीय संविधान का हिन्दी संस्करण | Hindi Edition of Constitution of India | 25 |
| 804 ट्रैक्टर निर्माण उद्योग में कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों की कमी होना | Shortage of Raw Material and Spare Parts Tractor Manufacturing Industry | 25 |
| 805 विदेशी सहयोग से टायरों का निर्माण | Manufaeture of Tyres with Foreign Collaboration | 25 |
| 806 मद्रास-गुम्मीदीपुण्डी सेक्शन (दक्षिण रेलवे) का विद्युतीकरण | Electrification of Madras Gummidipundi Section (Southern Railway) | 26 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० सं० S. Q. Nos. | | |
| 807 सतलुज-ब्यास 'लिंक' परियोजना के लिए इस्पात की कमी | Scarcity of Steel for Sutlej-Beas Link Project | 26 |
| 808 थोपायर सिंचाई योजना तमिलनाडु | Thopayar Irrigation Scheme Tamil Nadu | 26-27 |
| 809 कलकत्ता में हड़ताल के दौरान लोगों द्वारा रेल पटरी और डिब्बों को हानि पहुंचना | Railway Tracks and Compartments Damaged by People during Hartal in Calcutta | 27 |
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 3303 उत्तर रेलवे के यातायात और वाणिज्य विभागों में सलेक्शन पद | Selection Posts in the Traffic and Commercial Departments (Northern Railway) | 27-28 |
| 3304 बुरहानपुर स्टेशन ( मध्य रेलवे पर सीटों/बर्थों का आरक्षण | Reservation of Seats/berths at Burhanpur Station ( Central Railway) | 28 |
| 3305 मध्य प्रदेश में बांधों से सिंचाई | Irrigation by dams in Madhya Pradesh | 28 |
| 3306 मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनायें | Power projects under construction in Madhya Pradesh | 28-29 |
| 3307 मध्य प्रदेश में जल निकासी व्यवस्था | Water drainage in Madhya Pradesh | 29 |
| 3308 होशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ (मध्य-प्रदेश) में गांवों का विद्युतीकरण | Rural electrification in Hoshangabad and East Nimar (Madhya Pradesh) | 30 |
| 3309 उत्तर रेलवे में वाणिज्य निरीक्षकों का चयन | Selection for the post of Commercial Inspectors on Northern Railway | 30 |
| 3310 उत्तरी रेलवे में वाणिज्य निरीक्षकों के चयन में देरी | Delay in the selection of Commercial Inspectors ( Northern Railway) | 30-31 |
| 3311 सेवावधि के आधार पर वाणिज्यिक निरीक्षकों की पदोन्नति | Promotion of Commercial Inspectors on the basis of length of service | 31-32 |
| 3312 आसाम के डिब्रूगढ़ नगर को ब्रह्मपुत्र द्वारा कटाव का खतरा | Dibrugarh Town in Assam faced with erosion by Brahmaputra | 32 |
| 3313 आसाम को और आसाम से माल का ट्रकों द्वारा लाना ले जाना | Transportation of goods from and to Assam through trucks | 32-33 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3314 | उत्तर रेलवे के लिए नीलामकर्त्ता की नियुक्ति | Appointment of auctioner for Northern Railway | 33 |
| 3315 | वैगनों की कमी के कारण लोह और मैंगनीज अयस्क उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना | Short supply of wagons affecting iron and manganese ore Industries | 33-34 |
| 3316 | तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग | Public sector industries in Tamil Nadu and Andhra Pradesh | 34-35 |
| 3317 | जयनाद और आसिफाबाद (आंध्र प्रदेश) में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिया जाना | Issue of Licences for setting up of Cement Factories at Jainad and Asifabad (Andhra Pradesh) | 35 |
| 3318 | आंध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये सहायता की मांग | Demand for aid for setting up of Industries in Andhra Pradesh | 35-36 |
| 3319 | आंध्र प्रदेश में पोचमपद परियोजना के अन्तर्गत भूमि | Land under Pochamphad Project in Andhra Pradesh | 36-37 |
| 3320 | मनमाड और बम्बई के बीच एक्सप्रेस गाड़ी | Express Train between Manmad and Bombay | 37 |
| 3321 | हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमण्ड में फिल्मों का उत्पादन | Production of Films in Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd. Ootacamund | 37-38 |
| 3322 | सिनेमा कार्बनों का उत्पादन | Production of Cinema Carbons | 38-39 |
| 3323 | गजूला डिन्ने परियोजना, आन्ध्र प्रदेश | Gajula Dinne Project, Andhra Pradesh | 39 |
| 3324 | नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण | Construction of Nagarjunasagar project | 39 |
| 3325 | नागार्जुन सागर परियोजना पर व्यय | Expenditure on Nagarjunasagar project | 39-40 |
| 3326 | तुंगभद्रा उच्चस्तर नहर योजना पर व्यय | Expenditure on Tungbhadra High level Canal Scheme | 40-41 |
| 3327 | पोंग बांध ( हिमाचल प्रदेश ) क्षेत्र में किए गये पंचाट | Awards made in the Pongdam (H.P.) area | 41 |
| 3328 | कालीकट के निकट मावूर में ग्वालियर रेयन पल्प फैक्टरी का बन्द किया जाना | Closure of Gwalior Rayon Pulb Factory, at Mavoor near Calicut | 41-42 |
| 3329 | तूफानों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन | Report of the Committee on Cyclones | 42-43 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U.S.Q. No. | | |
| 3330 प्रोटीन निर्माताओं को सुविधाएं | Facilities to protein Manufacturers | 43 |
| 3331 निर्यात प्रधान कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार कार्य के लिये एकाधिकार गृहों को लाइसेंस | Licences to Monopoly Houses for Expansion under Export Orientation programme | 43-44 |
| 3332 बजट के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि | Increase in Prices of Essential Commodities | 44 |
| 3333 कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले | Pending Cases in Calcutta High Court | 44-45 |
| 3334 ब्यास तथा सतलुज लिंक परियोजना के कर्मचारियों के लिये उपदान योजना | Gratuity Scheme for Workers in Beas and Sutlej Link project | 45-46 |
| 3335 उत्तरी बिहार में नमक का बढ़ा हुआ मूल्य | Increased price of Salt in Northern Bihar | 46 |
| 3336 बोनस योजना के सम्बन्ध में कर्मचारियों और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कलमासारी के प्रबन्धकों के बीच समझौता | Agreement between Workers and Management of H. M. T. Kalamassery of Bonus Scheme | 46 |
| 3337 मैसूर सरकार द्वारा हेमवती पर बांध के निर्माण का तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा विरोध | Protest of Chief Minister Tamil Nadu against construction of dam across Hemavati by Mysore Government | 46-47 |
| 3339 केरल राज्य में गोश्त तैयार करने का कारखाना स्थापित करने के लिये आवेदन | Application for setting up of Meat Factory in Kerala | 47 |
| 3340 लाइसेंसों के लिये केरल के विचाराधीन प्रार्थना पत्र | Pending Applications from Kerala for Licences | 47 |
| 3341 भारतीय रेलवे में हड़ताल | Strike on Indian Railways | 47-48 |
| 3342 स्थायी रेलपथ श्रमिकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में सदर्न रेलवे इन्जीनियरिंग लेबर एसोसियेशन, मैसूर की ओर से ज्ञापन | Memorandum for Southern Railway Engineering Labour Association, Mysore regarding Grievances of permanent Way Workers | 48 |
| 3343 सिंचाई के लिए सप्लाई किये जल की दरें | Rates of Water supplied for Irrigation | 48 |
| 3344 बरास्ता वैशाली हाजीपुर से सगौली तक नई रेल लाइन का बिछाया जाना | New Railway Line from Hajipur to Sagauli via Vaishali | 49 |
| 3345 बिहार में पालजाघाट के प्लेटफार्म पर शेड का निर्माण | Construction of Shed over Platform at Palazaghat, Bihar | 49 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3346 | अलवर और जयपुर के बीच शटल ट्रेन-सेवा आरम्भ करना | Starting of Shuttle train between Alwar and Jaipur | 49-50 |
| 3347 | उच्च श्रेणी के सीजन टिकटों में किरायों में वृद्धि के कारण रेलवे को घाटा | Loss to Railways due to Increase in Upper Class Season ticket Fares | 50 |
| 3348 | अखिल भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक लिपिक संघ के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा 1 अप्रैल, 1970 को ज्ञापन दिया जाना | Memorandum by Deputation of A-11 India Railway Commercial Clerks Association on 1st April, 1970 | 50 |
| 3349 | मदुरै डिवीजन के स्टेशनों से सहायक क्लर्क इन्चार्जों को वापस बुलाना (दक्षिण रेलवे) | Withdrawal of Assistant Clerk-in-Charges from Stations of Madurai Division (Southern Railway) | 50-51 |
| 3350 | लछमीपुर और नामकोट रेलवे स्टेशनों के बीच भागीरथी नगर फ्लैग स्टेशन का निर्माण | Construction of Bhagirathi Nagar Flag Station between Lachmipur and Naikot Railway Stations | 51 |
| 3351 | उदयपुर जिले में माल डिब्बों की कमी के कारण उत्पादन को हानि पहुंचना | Shortage of Wagons Hit production in Udaipur District | 51-52 |
| 3352 | राजस्थान में सेलखड़ी उद्योग के लिये माल डिब्बों की कमी | Wagon Shortage for Soap-Stone Industry in Rajasthan | 52 |
| 3353 | मीराज-बंगलौर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना | Conversion of Miraj-Bangalore Metre Gauge into Broad Gauge Line | 53 |
| 3354 | भारत हैवी इलेक्ट्रिकलस् लिमिटेड, हारद्वार के लिये अधिग्रहीत भूमि | Land Acquired for Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar | 53 |
| 3355 | राजदूत स्कूटर का मूल्य | Price of Rajdoot Scooter | 53 |
| 3356 | कोटा में चम्बल नदी पर पुल | Bridge of Chambal River at Kota | 53-54 |
| 3357 | राजस्थान में ट्रैक्टर का कारखाना | Tractor Factory in Rajasthan | 54 |
| 3358 | भवानी मण्डी पर फ्रन्टियर मेल को रोकने का प्रस्ताव | Proposal to Halt 'Frontier Mail' at Bhawani Mandi | 54 |
| 3359 | रेलवे विद्युतीकरण विलासपुर के कर्मचारियों को "कोई काम नहीं" का नोटिस | "No Work" Notices served on Employees of Railway Electrification Bilaspur | 54-55 |
| 3360 | ब्यास तथा सतलुज लिंक परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नियमित करना | Regularisation of Workcharged Employees of Beas and Sutlej Link project | 55 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. No. | | |
| 3361 गंडक परियोजना के लिए मूल्यांकन समिति | Evaluation Committee for Gandak project | 55 |
| 3362 गाड़ियों को समय पर चलाये जाने के बारे में उपाय | Measures to run trains in time | 55-56 |
| 3363 बिजली सप्लाई को वाणिज्यिक समस्याओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी | Specialised staff for looking into the commercial problems of power supply | 56-57 |
| 3364 भावनगर डिविजन (पश्चिम रेलवे) में कन्ट्रोल रूम के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल | Fast by employees of Control Room of Bhavnagar Division (Western Railway) | 57 |
| 3365 माल डिब्बों की कमी के कारण कपड़ा-मिलों में कोयले की कमी | Shortage of coal to textile mills due to wagon shortage | 57-58 |
| 3366 भावनगर में मशीनी औजार परियोजना | Machine tools project in Bhavanagar | 58 |
| 3367 परावूर, केरल में प्लेटफार्म को ऊंचा करने और उसकी मरम्मत करने के लिये अभ्यावेदन | Representation to raise and repair platform at Paravoor, Kerala | 58-59 |
| 3368 क्विलोन और त्रिवेन्द्रम रेलवे मार्गों पर रेलवे माल डिब्बों का उपलब्ध न होना | Non-availability of wagons between Quilon and Trivandrum Railway routes | 59 |
| 3369 पश्चिम बंगाल में टायरों का अभाव | Shortage of tyres in West Bengal | 59 |
| 3370 रेल पुलों की दशा | Condition of Railway bridges | 60 |
| 3371 खाद्यान्नों के परिवहन हेतु रेल के माल डिब्बों के लिये पंजाब सरकार का अनुरोध | Request of Punjab Government for Railway wagons for the movement of Foodgrains | 60 |
| 3372 मोटरगाड़ी निर्माण के सहायक कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना | Issue of Licences for setting up of auto ancillary units | 60-61 |
| 3373 कोटद्वारा के लिए और अधिक रेल के डिब्बों की माँग | Demend for more bogies for Kotdwar | 61 |
| 3374 हजारीबाग (बिहार) के लिये रेल सम्बन्ध | Rail Link for Hazaribagh (Bihar) | 62 |
| 3375 सिंचाई सुविधाओं के लिये पुनपुन सिंचाई परियोजना | Punpun Irrigation project for irrigation facilities | 62 |

| | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | | |
| 3376 | पूर्वी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवेज में कैरिज तथा वैगन इन्स-पैक्टरों के पद | Posts of carriage and Wagon Inspectors on Eastern, Northeast Frontier, Western and South-Eastern Railway | 62-63 |
| 3377 | ब्यास और सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण प्रभारित कर्मचारियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण | Revision of pay scales of Work-charged Employees of Beas and Sutlej Link project | 63 |
| 3378 | इस्पात की कमी के कारण पोचम पद बांध कार्य में बाधा | Pochampad Dam works Hit by Steel Shortage | 63 |
| 3379 | गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही रेलवे लाइनें | Railway Lines Operated by private Companies | 64 |
| 3380 | मीराज जाने वाली बंगलौर मेल के साथ ट्रक की टक्कर | Collision of Truck with Miraj-bound Bangalore Mail | 64-65 |
| 3381 | दक्षिण रेलवे में टेलीप्रिन्टरों पर वायर-लैस आपरेटरों का तैनात किया जाना और टोन-सिगनलिंग प्रणाली का आरम्भ किया जाना | Deployment of Wireless Operators on Teleprinters and Introduction of Tone Signalling on Southern Railway | 65 |
| 3382 | हुबली और बिजयवाड़ा में रेडियो टेली-प्रिन्टरों पर कार्य कर रहे सिगनलरों को ऊंचा ग्रेड देना | Higher Grade to Signallers working on Radio Teleprinters at Hubli and Bez-wada | 66 |
| 3383 | मद्रास डिविजन (दक्षिण रेलवे) में सुपर-वाइजरी तथा तकनीकी कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी वेतन की अदायगी न करना | Non-Payment of National Holiday pay to S and T Staff Madras Division (Southern Railway) | 66 |
| 3384 | कालिन्जर से कामासिन (उत्तर प्रदेश) तक रेलवे लाइन बिछाना | Laying of New Railway Line from Kalinger to Kamasin (Uttar Pradesh) | 67 |
| 3385 | बाँदा रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर ऊपरी पुल का निर्माण | Construction of Overbridge at Banda Railway Station (Central Railway) | 67 |
| 3386 | पश्चिम बंगाल स्थित मैसर्ज बंगाल पोट-रीज लिमिटेड का बन्द होना | Closure of M/s Bengal Potteries Ltd. West Bengal | 67 |
| 3387 | सोरों रेलवे स्टेशन पर तार व्यवस्था | Telegraph System at Soron Railway Station | 67-68 |
| 3388 | सोरों स्टेशन पर गन्दगी (पूर्वोत्तर रेलवे) | Insanitary Conditions at Soron Station (N. E. Railway) | 68 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3389 | एटा से लखनऊ और इलाहाबाद यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये सवारी डिब्बे | Bogies for Passengers Travelling from Etah to Lucknow and Allahabad | 68 |
| 3390 | सोरों रेलवे स्टेशन का नाम बदलना | Change in the Name of Soron Rail Station | 68-69 |
| 3391 | 21–डाउन हैदराबाद दिल्ली दक्षिण एक्सप्रेस में हत्या | Murder in 21-Down Hyderabad-Delhi Dakshin Express | 69 |
| 3392 | उद्योगों के विकास के लिये भारत-जापान वार्ता | Indo-Japanese talks for Industrial Development | 69-70 |
| 3393 | लाइसेंस देने के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र | Pending Applications for Licences | 70-71 |
| 3394 | कोटीकुलम रेलवे स्टेशन, केरल पर प्लेटफार्मों का निर्माण | Construction of Platforms at Kotti-Kulam Railway Station, Kerala | 71 |
| 3395 | कोटद्वार तक बद्रीनाथ एक्सप्रेस का चलाया जाना | Introduction of Badrinath Express upto Kotdwar | 71 |
| 3396 | बिना टिकट यात्रा | Ticketless travelling | 71.72 |
| 3397 | रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा | Ticketless travelling in Railways | 72-73 |
| 3398 | भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली रेल गाड़ियां | Trains Run by Indian Railway | 73-74 |
| 3399 | बालूरघाट से मालदाह और बालूरघाट से कलियागंज तक नई रेल लाईनों का बिछाया जाना | Laying of New Railway Lines from Balurghat to Maldah and Balurghat to Kalivaganj | 74 |
| 3400 | रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा सहायता देने की योजना | Scheme for Education Assistence to Railway Employees | 74-75 |
| 3401 | कोटा जंक्शन (पश्चिम रेलवे) स्थित प्राथमिक स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाना | Upgradation of Primary School at Kota Jn. (Western Railway) | 75 |
| 3402 | कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में रेलवे भूमि पर हो रही खेती | Railway Land under Cultivation in Kotah Division (Western Railway) | 75 |
| 3403 | कोटा रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण | Construction of Quarters for Sweepers working at Kota Railway Station | 75-76 |
| 3404 | दिल्ली क्लाथ मिल्स की फैक्टरी में मरे रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुआवजे का भुगतान | Payment of compensation in the case of Railway employees who died in D.C.M. Factory at Kota | 76 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. No. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3405 | 3 जून, 1971 को अखिल भारतीय लोको संगचल कर्मचारियों द्वारा संसद भवन के सामने प्रदर्शन | Demonstration by All India Loco Running Staff on 3rd June, 1971 in Front of Parliament House | 76 |
| 3406 | मनीपुर में रेल गाड़ियों के समय की बस सेवा के समय के साथ तालमेल | Adjustment of Train Timings with Bus Service in Manipur | 76-77 |
| 3407 | मनीपुर के विभाजन के बाद न्यायिक ढांचे में परिवर्तन | Change in Judicial set-up consequent upon the Division of Manipur | 77 |
| 3408 | मनीपुर में लघु उद्योग | Small scale Industries in Manipur | 77-78 |
| 3409 | भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार का उन्मूलन | Elimination of Corruption in Indian Railways | 78 |
| 3410 | बंसपाणि को जाखूपुरा के साथ मिलाने वाली रेलवे लाइन | Rail Link connecting Banspani with Jakhupura | 78 |
| 3411 | जिन किसानों की भूमि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा अर्जित की गई है उनको रोजगार | Employment of Farmers whose Land was acquired by Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar | 78-79 |
| 3412 | भारत हैवी इलैट्रिकल्स लिमिटेड, हरद्वार में इंजीनियरों और ओवरसियरों के वेतन तथा भत्ते | Pay and Allowances of Engineers and Overseers in Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar | 79 |
| 3413 | उद्योगों में विनियोजन | Investment in Industries | 79-80 |
| 3414 | बिहार में तिलय्या प्रवाह परिवर्तन योजना में जनकुंड और अपर सकरी परियोजनायें | Tilaiya Diversion Scheme, Muhane Reservoir and Upper Sakri Projects in Bihar | 80 |
| 3415 | हिन्दी में प्रकाशित विधि पुस्तकें | Law Books published in Hindi | 80 |
| 3416 | पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के जारी किये गये आशय-पत्र लाइसेंस | Letters of Intent/Licences issued for Industries to be set up in Eastern U. P. | 80-81 |
| 3417 | गार्ड, ड्राइवर, फायरमैन, पी० डब्लू० आई०/ए० पी० डब्लू० आई० के ग्रेडों में छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था | Provision of Leave Reserve in the Grades of Guards, Drivers, Firemen, P. W. Is/A. P. W. Is. | 81 |
| 3418 | भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/आर० टी० ए० का पदोन्नति क्रम | Channel of Promotion of Sation Masters / Assistant Station Masters/RTAs on Indian Railways | 81-82 |
| 3419 | उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थाई बनाना | Confirmation of Asstt. Station Masters Delhi Division (Northern Railway) | 82 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3420 | हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, बड़ौदा के विरुद्ध बड़ौदा मजदूर सभा का ज्ञापन | Memorandum from Baroda Mazdoor Sabha against Hindustan Tractor Limited Baroda | 82-83 |
| 3421 | रेलवे कर्मशालाओं में प्रोत्साहन बोनस योजना | Incentive Bonus Scheme in Railway Workshops | 83 |
| 3423 | मुख्य बिजली इंजीनियर और उप-मुख्य संस्थापन अधिकारी (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें | Court Cases against Chief Electrical Engineer and Deputy Chief Personnel Officer (Northeast Frontier Railway) | 83 |
| 3424 | केन्द्रीय विद्युत अधिकरण का कार्य | Functioning of Central Electricity Authority | 84 |
| 3425 | राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन | Conference of Chairmen of State Electricity Boards | 84-85 |
| 3426 | दामोदर घाटी निगम के कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम | Rules of Business to conduct affairs of D.V.C. | 85 |
| 3427 | किर्लोस्कर्स द्वारा निर्मित डीजल इंजनों के अतिरिक्त उत्पादन को नियमित किया जाना | Regularisation of Excess Production of Diesel Engines by Kirloskars | 85-86 |
| 3428 | दुसपल्ला में गनिया बाँध योजना को चौथी योजना में शामिल करना | Inclusion of Gania Barrage scheme in Duspalla in Fourth Plan | 86 |
| 3429 | महानदी के तट पर पदामावती गांव में भूमि-कटाव | Erosion of village Padmavati on the Bank of Mahanadi | 86 |
| 3430 | नये तीव्र गति के इंजनों का विकास | Development of New High Speed Locomotives | 86-87 |
| 3431 | मद्रास में ट्युब रेलवे की व्यवस्था | Tube Railway for Madras | 87 |
| 3432 | वाणिज्यिक विभाग में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या के बारे में सर्वेक्षण | Survey regarding sufficiency of staff in Commercial Department | 87-88 |
| 3433 | मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों की कमी की वजह से समयोपरि भत्ते की अदायगी | Overtime Payment due to Shortage of Commercial Clerks, in Madurai Division (Southern Railway) | 88 |
| 3434 | माल, पार्सल, और यानान्तरण कार्यालयों में वाणिज्यिक क्लर्कों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी का अनुभव होना | Shortage of Class IV Staff Experienced by Commercial Clerks in Goods, Parcel and Transhipment Offices | 88-89 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 3435 केरल उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले | Pending Cases in Kerala High Court | 89 |
| 3436 वर्षा ऋतु में चौकाधाट और घागराघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के मध्य मोटर-गाड़ियों का यातायात | Vehicular Traffic between Chaukaghat and Ghaghraghat during Rainy Season (North Eastern Railway) | 89 |
| 3437 बहराइच जिले के स्टेशनों पर रेल-गाड़ियों का रुकना | Stopping of trains on Stations in Bahraich | 89-90 |
| 3438 बिगड़े हुये रेल के माल डिब्बों की मरम्मत | Repairs to 'Sick' Railway Wagons | 90 |
| 3439 रेल कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने हेतु प्राथमिकता | Priority for Allotment of Quarters to Railway Employees | 90 |
| 3440 कांचीपुरम और अवाड़ी तथा ताम्बरम और अवाड़ी के बीच रेल सम्बन्ध | Rail Links between Kanchipuram and Avadi and between Tambaram and Avadi | 90-91 |
| 3441 गैर मान्यता प्राप्त रेलवे संघों के साथ पत्र-व्यवहार सम्बन्धी नीति | Policy Regarding Exchange of Correspondence with Unrecognised Railway Unions | 91 |
| 3442 डिवीजनल इलेक्ट्रीकल इंजीनियर ट्रैक्शन, कानपुर (उत्तर रेलवे) द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों को कथित अनियमित पदोन्नतियां दिया जाना | Alleged Irregular Promotions of Junior Staff by Divisional Electrical Engineer, Traction, Kanpur (Northern Railway) | 91-92 |
| 3443 बिना स्पीडोमीटरों के विद्युत चालित इंजन | Electric Locos without Speedometer | 92 |
| 3444 डिवीजनल इलेक्ट्रकल इंजीनियर, कानपुर (उत्तर रेलवे) द्वारा कर्मचारियों की भर्ती | Recruitment of staff by Divisional Electrical Engineer, Kanpur, (Northern Railway) | 92 |
| 3445 इंजीनियर-इन-चीफ, रेलवे विद्युतीकरण, इलाहाबाद द्वारा नैमित्तिक कर्मचारियों का बिना नोटिस के सेवा से अलग किया जाना | Discharge of Casual Employees by Engineer-in-Chief, Railway Electrification, Allahabad, without Notice | 92-93 |
| 3446 ताम्बरम और वेन्डालूर (दक्षिण रेलवे) के बीच परूनगलाथुर पर उपरि पुल | Overbridge at Perunga-lathur between Tambaram and Vandalur (Southern Railway) | 93 |
| 3447 लाइसेंसों के लिये आन्ध्र प्रदेश से आवेदन–पत्र | Applications from Andhra Pradesh for Licences | 93-94 |

| | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | | |
| 3448 | वर्षा के कारण पोंग बांध पर मशीनों को क्षति | Damage to Machinery at Pong Dam due to Rains | 94 |
| 3449 | जाली वोट डालने के आरोप पर दर्ज किये गये मामले | Cases Registered on Charge of Casting Bogus Votes | 94 |
| 3450 | रेलवे कन्टेनर सेवा से अर्जित आय | Revenue Earned through Railway Container service | 94-95 |
| 3451 | मध्य तथा उत्तर रेलों पर गाड़ियों का लूटा जाना | Looting of train on Central and Northern Railways | 95 |
| 3452 | उत्तर रेलवे के हरदोई स्टेशन से टिकटों की बिक्री | Sale of tickets from Hardoi Station on Northern Railway | 95-96 |
| 3453 | पश्चिम रेलवे में हिन्दी "मुख्य अनुवादक" | Hindi 'Head Translators' on Western Railways | 96 |
| 3454 | दक्षिण रेलवे में नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी | Retrenchment of Casual Workers on Southern Railway | 96 |
| | अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 97-99 |
| | दक्षिण नेपाल में भारत-विरोधी दंगे | Anti-Indian riots in south Nepal | |
| | श्री बी० आर० शुक्ल | Shri B. R. Shukla | 97 |
| | श्री सुरेन्द्र पाल सिंह | Shri Surendra Pal Singh | 97-99 |
| | सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the table | 99 |
| | वित्तीय समितियां 1970-71 (एक समीक्षा) | Financial Committees-1970-71 (A Review) | 99 |
| | राज्य-सभा से संदेश | Messages from Rajya Sabha | 99, 138-139 |
| | अनुदानों की मांगे, 1971-72 | Demands for Grants, 1971-72 | 99-138 |
| | संचार मंत्रालय | Ministry of Communications | 99-127 |
| | श्री रतन लाल ब्राह्मण | Shri Rattanlal Brahman | 101-102 |
| | श्री संजीव राव | Shri Sanjeev Rao | 102-104 |
| | श्री विश्वनारायण शास्त्री | Shri Biswanarayan Shastri | 104 |
| | श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee | 105-106 |
| | श्रीमती सावित्री श्याम | Shrimati Savitri Shyam | 111-113 |
| | श्री था किरुतिनन | Shri Tha Kiruttinan | 113-115 |
| | श्री एन० टोम्बीसिंह | Shri N. Tombi Singh | 115-116 |
| | डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | Dr. Laxminarain Pandey | 116-117 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| डा० कैलाश | Dr. Kailas | 117-118 |
| श्री के० बासप्पा | Shri K. Basappa | 118-119 |
| श्री राम कंवर | Shri Ramkanwar | 119 |
| श्री राम भगत पासवान | Shri Ram Bhagat Paswan | 119-120 |
| श्री एम० सत्यनारायण राव | Shri M. Satyanarayana Rao | 120 |
| श्री चन्दूलाल चन्द्राकर | Shri Chandulal Chandrakar | 120 |
| श्री डी० डी० देसाई | Shri D.D. Desai | 120-121 |
| श्री नाथूराम अहिरवार | Shri Nathu Ram Ahirwar | 121 |
| श्री वीरेन्द्र सिंह राव | Shri Birender Singh Rao | 121-122 |
| श्री के० सूर्यनारायण | Shri K. Suryanarayana | 122-123 |
| श्री शंकर राव सावन्त | Shri Shankarrao Savant | 123 |
| श्री रामधन | Shri Ram Dhan | 124 |
| श्री एच० एन० बहुगुणा | Shri H. N. Bahuguna | 124-125 |
| श्रम और पुनर्वास मंत्रालय | Ministry of Labour and Rehabilitation | 128-138 |
| श्री मोहम्मद इस्माइल | Shri Mohammad Ismail | 128-129 |
| श्री बी० के० दासचौधरी | Shri B. K. Daschowdhury | 132-135 |
| श्री राजाराम शास्त्री | Shri Raja Ram Shastri | 136-137 |
| श्री था किरूतिनन | Shri Tha Kiruttinan | 137-138 |
| सदस्य की गिरफ्तारी (श्री भारत सिंह चौहान) | Conviction of Member (Shri Bharat Singh Chauhan) | 158 |
| पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा | Proclamation in relation to the State of West Bengal | 135-136 |
| पश्चिम बंगाल की समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए बिना विभाग के एक मंत्री की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य | Statement re. Appointment of a Minister without Portfolio to deal with problems of West Bengal | 136 |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी | Shrimati Indra Gandhi | 136 |


———

# लोक सभा
# LOK SABHA

मंगलवार, 29 जून, 1971/8 आषाढ़, 1893 (शक)

Tuesday, June 29, 1971 / Asadha 8, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### सिलिगुड़ी की जुलाई 1970 की घटना में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमें

*781. **श्री ईश्वर रेड्डी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलिगुड़ी में जुलाई, 1970 में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों के विरूद्ध कोई मुकदमे न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) कितने कर्मचारियों के वेतनों में कटौती की गई और सेवा में व्यवधान डाला गया है ; और

(ग) क्या मुकदमों को वापिस लेने, सेवा-व्यवधान समाप्त करने और अन्य प्रकार के दण्ड रद्द करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलमंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार, अवैध हड़ताल में भाग लेने पर स्वतः ही सेवा भंग हो जाती है और हड़ताल के दिनों की मजूरी भी नहीं मिलती ; हड़तालियों पर ये परिणाम किसी निर्दिष्ट आदेश के द्वारा लागू नहीं किये जाते । तदनुसार, सिलीगुड़ी के जिन 2473 रेल कर्मचारियों ने इस अवैध हड़ताल में भाग लिया था, ये उन्हें परिणाम स्वतः झेलने पड़े ।

(ग) जहां तक न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का सम्बन्ध है, सरकार की यह नीति नहीं है कि वह न्याय के स्वाभाविक मार्ग में हस्तक्षेप करे । अतः कानूनी कार्यवाहियों के निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी ; इस बीच कोई सजा नही दी गयी है । नवम्बर 1970 में, सेवा-भंग को माफ

कर दिया गया है और इस अवधि को छूट-अवधि मान लिया गया है। लेकिन "काम नहीं तो दाम नहीं" के आधार पर मजूरी स्वीकार्य नहीं है।

**श्री ईश्वर रेड्डी** : यह एक बहुत गंभीर मामला है जिसका सम्बन्ध मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन को कार्य रूप न दिये जाने से है। गत जुलाई मास में जब यह घटना हुई......

**अध्यक्ष महोदय** : भूमिका मत दीजिये। आप केवल प्रश्न कीजिये।

**डा० रानेन सेन** : वह नये मंत्री है। इसी लिए इन्हें पृष्ठ भूमि बता रहे हैं।

**श्री ईश्वर रेड्डी** : कर्मचारियों ने मंत्री महोदय से बीच बचाव कराने का अनुरोध किया। उन्होंने इनकार कर दिया और स्थिति बिगड़ती चली गई। उसके बाद उनके पूर्वाधिकारी श्री नंदा जी ने इस सदन को आश्वासन दिया कि यदि हड़ताल करने वाले काम पर लौट आये तो उनके विरूद्ध दमनकारी कार्यवाही नहीं की जायेगी। क्या सरकार उनके पूर्वाधिकारी द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा करेगी ?

**श्री हनुमतैया** : मैं भी यही कहता हूं कि उनके विरूद्ध दमनकारी कार्यवाही नहीं की जायगी। दमनकारी कार्यवाही का एक विशेष अर्थ होता है। जब कोई मामला अदालत में होता है तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते।

**श्री ईश्वर रेड्डी** : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों ने चूंकि 1962 और 1965 में सराहनीय कार्य किया था, अतः इनके मामलों पर पुनः विचार किया जाना चाहिये और पुनः विचार करते समय यह तथ्य भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिये कि इस उपद्रव में रेल कर्मचारियों का हाथ नहीं था।

**श्री हनुमन्तैया** : मुझे मालूम है कि यह हड़ताल किन परिस्थितियों में हुई थी। यह बात चाहे माननीय सदस्य को अच्छी न लगे परन्तु मैं इस मामले में दृढ़ता से काम लूँगा, ढील से काम नहीं लूँगा।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या यह सच है कि यह मामले अदालतों में, विशेषतया नई सैशन अदालतों में, वकीलों की कमी के कारण अनिर्णीत पड़े हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री हनुमन्तैया** : मैं इस सूचना के लिए माननीय सदस्य का आभारी हूं और मैं इसकी जांच करूंगा। यदि विलम्ब का कारण केवल वकीलों की संख्या अपर्याप्त होना हुआ, तो मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

**Shri Ramavatar Shastri** : The assurances given by the Ministers are not fulfilled. The assurance regarding Barauni and Gadhtara has not been fulfilled so far. I would like to know whether it is a fact that when the employees were on strike, the Railway Officers had taken Sardar Hazara Singh, President, Indian Railway Loco Mechanical Staff Association there by air to effect some agreement ? If so, whether an assurance was given in his presence that those who resumed work, would not be victimised ? If such an assurance was given, why the Government is now reluctant to fulfil the same ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को फिर याद दिला दूँ कि पूरक प्रश्नों के रूप में सुझावात्मक प्रश्न करने की अनुमति नहीं है। यह प्रश्न दूसरे ढंग से पूछा जाना चाहिये था। खैर, यह प्रश्न तो आप ने कर ही दिया है।

**श्री हनुमन्तैया** : सरकार द्वारा अपने आश्वासनों को पूरा न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कठिनाई तो केवल यह है कि वह समस्या को अपने ढंग से देखते हैं और मैं अपने ढंग से ।

**पश्चिम बंगाल में स्वर्ण रेखा बांध का मार्ग-निर्धारण**

*783. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में **स्वर्ण रेखा बांध** के वर्तमान **मार्ग-निर्धारण** का नदी के तल पर **प्रभाव** पड़ेगा ;

(ख) उक्त परियोजना पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर **स्वीकारात्मक** है तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय करना चाहती है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) से (ग) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

**विवरण**

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में बाढ़ से उनके क्षेत्रों के बचाव के लिए दोनों राज्य सरकारों और केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और विचार-विमर्श के पश्चात् सुवर्णरेखा नदी के किनारे **तटबंधों** के निर्माण के लिए एक समन्वित और सम्मत प्रस्ताव तैयार किया गया है । राज्य सरकारों ने स्कीमें सम्मत निर्णयों के आधार पर तैयार की हैं । योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल की तटबंध स्कीम की जिस पर 128 लाख रुपये की लागत का अनुमान है; मंजूरी दे दी है । केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा दिए गए प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए और वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के बाद उड़ीसा में तटबंध-स्कीम को, जिस पर 10.5 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है । अन्तिम रूप देना बाकी है।

पूरी स्कीम की कार्यान्विति के पश्चात् तटबंधों के नदी की तरफ वाले क्षेत्रों में बाढ़ के जल की गहराई अब तक की गहराई से अधिक होगी । फलस्वरूप, इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल के 35 गांवों, 1857 मकानों और 12700 व्यक्तियों पर और उड़ीसा के 173 गाँवों, 9774 मकानों और 50,000 व्यक्तियों पर पड़ेगा ।

प्रभावित गाँवों को ऊपर उठाने और/या उन्हें स्थानान्तरित करने के लिए पश्चिम बंगाल स्कीम में 14 लाख रुपये की रकम की व्यवस्था की गई है। उड़ीसा सरकार के अनुमान में प्रभावित गांवों को मुआवजा देने और उन्हें स्थानान्तरित करने के लिए 4.02 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

पश्चिम बंगाल में तटबंधों के निर्माण पर अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया है।

**श्री कृष्ण हाल्दर** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में स्वर्ण रेखा बांध का निर्माण कार्य इस कारण रोक दिया गया है कि इस निर्माण-कार्य का प्रभाव नदी के बेसिन पर पड़ेगा ? अब तक इस परियोजना पर कितना व्यय किया गया है ? क्या यह सच है कि निर्माण-कार्य आरम्भ करने से पूर्व, उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत संगठनों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया गया था ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव)**: यह ठीक है कि पश्चिम बंगाल सरकार फरवरी 1971 में निर्माण-कार्य आरम्भ करना चाहती थी। परन्तु वहां के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और निर्माण-कार्य आरम्भ न हो सका ।

**श्री कृष्ण हाल्दर** : नदी की धारा पर बिना कोई प्रभाव पड़े, इस परियोजना का निर्माण-कार्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यह कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा और क्या सरकार स्थानीय लोगों के सुझावों की ओर उचित ध्यान देगी?

**डा० के० एल० राव** : नदी के दोनों ओर तटबंधों के निर्माण-कार्य का सम्बन्ध तो पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सरकारों से है। पश्चिम बंगाल की परियोजना की मंजूरी दी जा चुकी है और उड़ीसा सरकार ने अभी यह योजना भेजी ही नहीं है अतः यह अभी मंजूर नहीं हुई है। इतना होने पर भी वहां कुछ कठिनाई होना आवश्यक ही है क्योंकि इन तट बन्धों के बीच बहुत से गांव जलमग्न हो जायेंगे। अतः अब हम यह सोच रहे हैं कि क्यों न हम जलाशय ऊंचे स्थानों पर बनायें और नदी में बहाव कम कर दें। इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

**श्री समर गुह** : क्या यह सच है कि जहां तक इस परियोजना के ऊपरी भाग का सम्बन्ध है उसमें निष्कासन का कोई कार्यक्रम नहीं है? क्या यह सच है कि स्वर्णरेखा में बाढ़ों के कारण मिदनापुर जिले के निचले भाग पर हमेशा प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो क्या सरकार नदी के ऊपरी भाग में निर्माण-कार्य करेगी?

**डा० के० एल० राव** : यह ठीक है कि मोसरा घाट में पानी बाहर बह निकलता है और वह मिदनापुर जिले को जलमग्न कर देता है। यदि एक ओर तटबन्ध बना दिये जायें तो पानी के उड़ीसा की ओर बह जाने का भय रहता है। इसीलिए उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के सिंचाई मन्त्रियों की कुछ समय पूर्व एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि दोनों ओर तटबन्धों का निर्माण-कार्य एक ही साथ आरम्भ किया जायेगा। इसीलिए, केवल बंगाल राज्य के हित के लिए कोई निर्माण-कार्य आरम्भ करना कठिन है।

**श्री समर गुह** : ऊपरी भाग में तो कार्य किया जा सकता है।

**श्री सुरेन्द्र महंती** : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उड़ीसा के तटबन्धों की योजना पर 10.5 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसे उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और वित्त मन्त्रालय के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुये, अन्तिम रूप दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और वित्त मन्त्रालय द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं?

**डा० के० एल० राव** : ये सामान्य तकनीकी सुझाव हैं। इनमें केवल यही कुछ कहा गया है कि किनारा इतना ऊंचा होना है और किनारे में इतना अन्तर होना चाहिये या वह गांव से इतनी दूर होना चाहिये, आदि आदि। अतः ये सुझाव केवल तकनीकी स्वरूप के हैं। यही बातें जोड़ने के लिए प्राक्कलन राज्य सरकार को वापिस भेजे गये हैं। राज्य सरकार ने इन्हें वापिस भेजना है, परन्तु यह अभी तक वापिस नहीं आये हैं। इतना सब कुछ होने पर भी हमारी सब से प्रमुख समस्या यह है कि यदि तटबन्धों का निर्माण किया जाता है तो पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों के बहुत से गांव जलमग्न हो जायेंगे। यह जलमग्न बहुत व्यापक होगा और सामान्य स्तर से यह जलमग्न चार से पांच फुट तक भी हो सकता है। इसीलिए मैं अब इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या एक ऊंचे जलाशय का निर्माण कर, नदी के बहाव को कम करके इस समस्या का नया हल खोजा जा सकता है।

**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, दोनों ओर के गांवों के लोगों ने इसके प्रति कड़ा रोष व्यक्त किया है और उन्होंने इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को भी लिखा है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप भाषण मत दीजिये। केवल प्रश्न पूछिये।

**श्री सुबोध हंसदा** : जी हां, ...क्या तटबन्धों की मार्गरेखा में कोई परिवर्तन किया जायेगा ? मैं यही पूछना चाहता हूं।

**डा० के० एल० राव** : यह मार्ग-रेखा ही चर्चा का विषय रहा है और अन्ततः इस मार्ग-रेखा को दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है जिसके प्राक्कलन बनाये जा चुके हैं और दोनों राज्य सरकारों ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया है।

**श्री एस० सी० सामन्त** : पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की राज्य सरकारें निर्माण-स्थल के बारे में सहमत नहीं हो रहीं। क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से कोई बातचीत की है ताकि उस राज्य द्वारा स्थान उपलब्ध करवाया जा सके ?

**डा० के० एल० राव** : जहां तक तटबन्धों का सम्बन्ध है, उनकी मार्ग-रेखा और प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। परन्तु यदि इस पर समूचे तौर पर विचार किया जाये तो मैं यह समझता हूं कि बिना जलाशय बनाये, केवल तटबन्धों का निर्माण करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। वास्तविकता तो यह है कि इससे हानि ही अधिक होगी इसीलिए तो मैं अब इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या अब जलाशय का निर्माण करना उपयुक्त होगा और मैं इस पहलू से इस की जांच भी कर रहा हूं।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि वर्तमान मार्ग-रेखा और तटबन्धों के प्रस्ताव को दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने वर्तमान मार्ग-रेखा को भी स्वीकार कर लिया है या उसने केवल इस से पहले वाली मार्ग-रेखा को ही स्वीकार किया था।

**डा० के० एल० राव** : उन्होंने वर्तमान प्रस्ताव को स्वीकार किया है। परन्तु जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, उनकी कुछ शर्तें हैं और ये दोनों ही सरकारें इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक नहीं हैं।

## विधि अयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता में सुझाये गये परिवर्तन

* 785. + **श्री पी० गंगादेव** : **श्री निहार लास्कर** :

क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने घेराव के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता में आमूल परिवर्तनों का सुझाव दिया है ; और

(ग) आयोग के मुख्य सुझाव क्या हैं ?

**विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच०आर० गोखले)** : (क) विधि आयोग ने विशिष्ट रूप से "घेराव" पर ही कोई अलग रिपोर्ट नहीं दी है, और न आयोग से ऐसा करने को कहा गया था। आयोग ने घेराव को ध्यान में रखते हुए भारतीय दन्ड संहिता की बाबत अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सदोष परिरोध और सदोष अवरोध के अपराध, जब 10 या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए हों, गुरुतर प्रकार के समझे जाएं तथा उनके लिए और भी कठोर दन्ड होना चाहिए।

(ख) विधि आयोग ने भारतीय दन्ड संहिता में अनेक परिवर्तनों के सुझाव रखे हैं।

(ग) परिवर्तन इतने अधिक हैं कि उन सब का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। मुख्य परिवर्तनों का संक्षेप आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय–24 में दिया है। रिपोर्ट इस मन्त्रालय के पास अभी हाल ही में भेजी गई है और गहराई के साथ उसका अध्ययन अभी होने को है। मुद्रित प्रतियां जैसे ही मिल जाएंगी, यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**श्री पी० गंगादेव** : जब कि विधि आयोग ने घेरावों के सम्बन्ध में अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार के लिए घेरावों के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत करना कब तक सम्भव होगा ?

**श्री एच० आर गोखले** : विधेयक पेश करने का विचार नहीं किया जा रहा। घेराव तो भारतीय दन्ड संहिता की धारा 341 और 342 के अन्तर्गत आने वाले जुर्मों का ही एक अंग हैं। इस थोड़े से समय में विधि आयोग की सिफारिशों का जितना अध्ययन हम कर पाये हैं, उसके अनुसार तो विधि आयोग ने कहा है कि जब 10 या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर अवैध नजरबंदी, या अवैध रुकावट डाली जाती है तो यह जुर्म घेराव कहलाता है और इसके लिए विधि आयोग द्वारा कड़ी सजा की सिफारिश की गई है। इसलिए घेराव के लिए अलग से कोई विधान बनाने की न तो कोई आवश्यकता ही है और न ही उस पर विचार किया जा रहा है।

**श्री पी० गंगादेव** : क्या इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुएकि यह घेराव हमारे देश की कानून और व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गये हैं, तो क्या सरकार इनके सम्बन्ध में कोई विधान बनाने की आवश्यकता नहीं समझती ?

**श्री एच० आर० गोखले** : इस पूरक प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नजर नहीं आता।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : सरकार का भारतीय दन्ड संहिता में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक कब तक प्रस्तुत करने का विचार है ?

**श्री एच० आर० गोखले** : आयोग का प्रतिवेदन बहुत बड़ा है। यदि मुझे अच्छी तरह याद है तो सम्भवतः उस के चार या पांच साइक्लोस्टाइल किये खंड हैं। इस प्रतिवेदन को प्राप्त हुये अभी एक महीने भी नहीं हुआ। अभी हम इस का पूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो सिफारिशें की गई हैं उन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। भारतीय दंड संहिता बहुत पुरानी विधि है और सम्पूर्ण विश्व द्वारा जुर्म की सजा के लिए एक आदर्श विधि मानी जाती है। इसीलिए हम इन सिफारिशों का अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहते हैं। यह प्रतिवेदन सभा पटल पर भी रखा जायेगा।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : दन्ड-प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों ही विधेयक एक साथ पेश किये जायेंगे ? यदि दोनों ही विधेयक एक-साथ पेश किये जायें तो बेहतर ही होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं श्रीमान जी। शान्त रहिये।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या वैध प्रदर्शन द्वारा मजदूरों की जायज शिकायतों को व्यक्त करने और दमन में अन्तर करने के लिए कोई कसौटी है ? किसी भी घेराव को प्रदर्शन की संज्ञा दे देना तो बहुत सरल बात है। क्या कोई ऐसी कसौटी है जिसके आधार पर घेराव और प्रदर्शन में अन्तर निश्चित किया जा सके।

**अध्यक्ष महोदय** : आप राय जानना चाहते हैं।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : यह प्रश्न उन की परिभाषा से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा है कि जब 10 व्यक्ति प्रदर्शन करते हैं तो यह घेराव होगा। यह तो बहुत खतरनाक बात है।

**अध्यक्ष महोदय** : परिभाषा से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा सम्बन्ध तो प्रश्न के संगत होने से है।

**सतना स्टेशन से रीवा होकर गोविन्दगढ़ तक रेलवे लाइन**

*790. **महाराज मार्तन्ड सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) से रीवा कमिश्नर डिवीजन के अन्तर्गत रीवा होकर गोविन्दगढ़ तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त योजना को मन्जूरी दे दी गई थी और जब विन्ध्य प्रदेश उप-राज्यपाल के अधीन एक राज्य था, तब उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ होने वाला था;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना को छोड़ देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह परियोजना अलाभप्रद पायी गयी, अत: निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया गया।

(घ) जी नहीं। कठिन वित्तीय स्थिति और इस लाइन के अलाभप्रद होने के कारण, इस निर्माण-कार्य को और अधिक अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

**महाराजा मार्तण्ड सिंह** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष की दृष्टि से कि इस क्षेत्र में चूने के पत्थर बहुत बड़े निक्षेप होने की संभावना है, क्या सरकार इस लाइन को बिछाने पर पुन: विचार करेगी ?

**श्री हनुमन्तैया** : हमने इस पर विचार कर लिया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह लाइन अलाभप्रद होगी और फिर हमारे पास इसके लिए धन भी नहीं है।

**तिस्ता बहुप्रयोजनीय बाँध परियोजना**

+

*797. **श्री बी० के० दासचौधरी** : **श्री आर० एन० बर्मन** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 19 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3266 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को तिस्ता बहु-प्रयोजनीय बाँध परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और उक्त योजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) तथा (ख) : तीस्ता बराज परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हो गई है और केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में उसकी तकनीकी जाँच हो रही है। परियोजना का पूर्ण होना इस बात पर निर्भर करेगा कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए कितने संसाधन उपलब्ध हैं।

**श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रतिवेदन की, जिसकी जाँच की जा रही है ; मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि (क) क्या यह परियोजना ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलायेगी, (ख) इससे कितनी सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी और (ग) इससे पन बिजली का कितना उत्पादन होगा ? इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव)** : परियोजना का वर्तमान अनुमान 44 करोड़ रुपये का है। ऐसा अनुमान है कि इससे उत्तर बिहार तथा उत्तरी बंगाल की 9 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

**श्री बी० के० दास चौधरी** : अतारांकित प्रश्न संख्या 326 के उत्तर में बताया गया था कि परियोजना की अनुमानित लागत 357 करोड़ रुपये होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना अनुमान को घटाकर इतना कम क्यों कर दिया गया है जब कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों के बिकास हेतु इस परियोजना का बहुत महत्व है ?

**डा० के० एल० राव** : मैने उल्लेख किया था कि वर्तमान परियोजना की लागत 44 करोड़ रुपये है। कुछ साल पहले हमारा विचार था कि नौवहन के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र और गंगा को मिला दिया जाये जिससे पाकिस्तान के बाहर से होकर तथा बरास्ता सिलीगुड़ी होकर जाने के कारण सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत आती। इस पर बहुत व्यय होना था और परिवहन मन्त्रालय ने गहन बिचार के पश्चात इसे अभी प्रारम्भ न करने का निश्चय किया। परन्तु पश्चिम बंगाल की बहुत इच्छा थी कि कोई सिंचाई परियोजना हो। अतः पश्चिम बंगाल सरकार से वार्तालाप तथा विचार विमर्श करके वर्तमान परियोजना तैयार की गयी है।

**श्री आर० एन० बर्मन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस परियोजना को बहुत महत्व देने का विचार कर रही है और यदि हां तो क्या इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में लिया जायेगा ?

**डा० के० एल० राव** : हमें इस परियोजना के महत्व का पता है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, सिंचाई राज्य का विषय है और राज्य सरकार ही परियोजना का वित्त पोषण करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध किया है कि केन्द्र को इस परियोजना का वित्त पोषण करना चाहिये क्योंकि यह परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की है। इस मामले पर अभी निर्णय करना है।

**डा० रानेन सेन** : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि उत्तर बंगाल तथा बिहार और समवर्ती राज्यों के लोगों ने मांग की है कि यदि उत्तर बंगाल में कोई परियोजना शुरू की जानी है तो तिस्ता बान्ध का भी अवश्य निर्माण होना चाहिये ? अतः क्या सरकार इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करेगी अथवा क्या इसे बंगाल सरकार पर ही छोड़ दिया जायेगा ? इस बारे में भारत सरकार की क्या स्थिति है ?

**डा० के० एल० राव :** जैसा कि पहले कहा गया है प्रत्येक सिंचाई परियोजना देश के लिए अनिवार्य है। परन्तु इस विशेष मामले में हम चाहते हैं कि तिस्ता नदी, जो पाकिस्तान में जाकर समाप्त होती है, के पानी का अपनी आवश्यकताओं के लिये उपयोग किया जा सके। इस कारण यह दूसरी परियोजनाओं से भिन्न है। भारत सरकार इस बात पर आवश्यक ध्यान दे रही है।

**श्री सुबोध हन्सदा :** यदि मैंने ठीक समझा है तो मन्त्री महोदय ने कहा कि परियोजना की लागत 44 करोड़ रुपये होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि इस 44 करोड़ में राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा ?

**डा० के० एल० राव :** इस योजना के अन्तर्गत बिहार में 1 से 2 लाख और बंगाल में 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी परन्तु दोनों सरकारों ने लिखा है कि पैसा केन्द्र सरकार को ही देना चाहिये। अतः राज्यों के हिस्से के बारे में बताना कठिन होगा।

**श्री बी० के० दास चौधरी :** राज्य सरकारों के प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिये।

### मनीपुर में ग्रामीय विद्युतीकरण योजना

*798. **श्री० एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में ग्रामीय विद्युतीकरण योजना से कितने गाँवों को लाभ पहुंचा है और इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल कितने किलोवाट बिजली की खपत हुई है ;

(ख) क्या जनता की भारी मांग को देखते हुए सरकार इस योजना का और विस्तार करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस विस्तार का उपभोक्ताओं को कब तक लाभ पहुंचेगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

(क) मणिपुर के संघीय क्षेत्र में 31 मार्च, 1971 तक 187 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है और इन ग्रामों के लिए विद्युत् की अधिकतम मांग 2600 किलोवाट है।

(ख) और (ग): ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में तेजी लाई जा रही है; चौथी योजना के आरम्भ होते समय 119 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ था जब कि चौथी योजना के अन्त तक लगभग 310 ग्रामों का विद्युतीकरण होने की संभावना है।

**श्री एन० टोम्बी सिंह :** यह कहा गया है कि 187 ग्रामों में बिजली लगा दी है और इन गांवों की बिजली की अधिकतम मांग 2600 किलोवाट है। इन ग्रामों की आवश्यकता का पता किस आधार पर लगाया गया है और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुल माँग पूरी कर दी गयी है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव)** : मणिपुर में बिजली की बहुत कमी है; इस समय हमारे पास 5 मैगावाट बिजली है। हमें आशा है कि आगामी तीन वर्षों में डीजल सैटों और अन्य साधनों से दो मैगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त हो सकेगी। परन्तु मणिपुर के ग्रामीण विद्युती करण के लिये यह भी पर्याप्त नहीं है। अतः चौथी योजना के दौरान हमारा 310

ग्रामों में क्रमबद्ध रुप से बिजली लगाने का विचार है। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में बिजली नहीं है। अतः यदि हमें आसाम से बिजली प्राप्त नहीं होती तो मुझे भय है कि प्रगति तेज गति से नहीं हो सकती।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** : आसाम से बिजली की भारी मात्रा की खरीद के बारे में क्या प्रगति हुयी है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण विद्युतीकरण का इस भारी मात्रा में खरीद से सम्बन्ध है ?

**डा० के० एल० राव** : यह सत्य है कि हम आसाम से 15 मैगावाट बिजली प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली की लाइन निर्माणाधीन है। आशा है कि इसका निर्माण दो वर्षो में पूरा हो जायेगा।

**श्री डी० बसुमतारी** : इस तथ्य को देखते हुये कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत आसाम में सबसे कम है, मन्त्री महोदय यह आशा कैसे करते हैं कि मणिपुर के साथ हिस्सा बांटा जायेगा ? हम पहले ही बंगाल से हिस्सा बांट रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न मणिपुर के बारे में है।

## हरियाणा में लोहारू और जूही सिंचाई योजनाओं का अनुमोदन

*799. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में लोहारू और जूही सिंचाई योजनाओं को किस तिथि को मंजूरी दी गई थी ;

(ख) इन योजनाओं के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या कार्य में निर्धारित समय के अनुसार प्रगति हो रही है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन योजनाओं पर उनके अनुमोदन की तिथि से 31 मार्च, 1971 तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) : लोहारू और जुई परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा जनवरी, 1971 में स्वीकार की गई थीं।

(ख) तथा (ग) : हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि परियोजनाओं पर निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है। लोहारू स्कीम पर 31 मार्च, 1971 तक लगभग 59 प्रतिशत मिट्टी का कार्य और 8 प्रतिशत संरेखण कार्य पूर्ण हो गये थे ; इसी प्रकार से जुई पर कार्य के तदनुरूप आंकड़े 71 प्रतिशत और 39 प्रतिशत हैं।

(घ) क्रमश: रु० 121.4 लाख और रु० 230.8 लाख।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या योजनाओं की मन्जूरी देते समय इन क्षेत्रों तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों के, जहां की विकास योजनायें हाथ में ली जा चुकी हैं, योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को महत्त्व दिया जायेगा ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव)** : जब इन परियोजनाओं की मन्जूरी दी गई थी तो इन्हें तीन वर्षों में पूर्ण करने का इरादा था। उत्तर में भी इसी का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से वहां जो प्रगति हुई है वह काफी संतोषजनक है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गुड़गांव नदी परियोजना और सोहना सिंचाई परियोजना, जो कि आज से पांच वर्ष पूर्व मन्जूर की गई थी, उनकी प्रगति बहुत धीमी है जबकि उससे बाद में आरम्भ की गई योजनाओं की प्रगति, कुछ राजनीतिक कारणों से, काफी तेज है ?

**डा० के० एल० राव :** सोहना सिंचाई परियोजना तो अभी आरम्भ ही नहीं की गई है। गुड़गांव नदी परियोजना की मन्जूरी दी जा चुकी है और मैं समझता हूं उसमें प्रगति भी काफी हुई है। मैं माननीय सदस्य से, जो कि कभी उस क्षेत्र के मुख्य मन्त्री भी थे, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी राज्य में बहुत सी योजनायें आरम्भ की जाती हैं तो हम किसी एक योजना पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया करते और हरियाणा जैसे कमी वाले क्षेत्र के लिए तो मैं समझता हूं कि यह कुछ सीमा तक उचित भी है।

### उड़ीसा की नुआपद-गुनपुर और रूपसा-तलबन्द रेलवे लाइनों पर यातायात सर्वेक्षण

*800. **श्री डी० के० पन्डा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नुआपद-गुनपुर और रूपसा-तलबन्द शाखा रेलवे लाइनों के यातायात सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या उक्त दो लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) और (ख) : नोपाड-गुणपुर छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया है। रूपसा-तलबन्द छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण चल रहा है जिसके 31-8-1971 तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है।

(ग) जी नहीं।

(घ) अभी इन प्रयोजनाओं के लिए पूंजी परिव्यय का औचित्य सिद्ध नहीं हुआ है।

**श्री डी० के० पंडा :** मेरे पास इस बात की पक्की रिपोर्ट है कि इन दो शाखा लाइनों का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और यह भी बताया था कि वहां पर यात्रियों की संख्या बहुत है और इन लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना सम्भव हो सकता है और लाभप्रद भी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? दूसरे, क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है ?

**श्री हनुमन्तैया :** मैं इसके बारे में नहीं जानता। इन्होंने समिति के नाम का उल्लेख नहीं किया।

**श्री डी० के० पंडा :** मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या रेल विभाग द्वारा कोई समिति नियुक्त की गई है ?

**श्री हनुमन्तैया** : इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। मैं अपनी बात सर्वेक्षण के आधार पर कहता हूं। मुझे यह मालूम नहीं कि प्रत्येक बड़ी लाइन के सर्वेक्षण के लिए समिति नियुक्त की जाती है। मैं इस बात की जानकारी प्राप्त करूंगा कि क्या भारत सरकार द्वारा कोई विशेष समिति नियुक्त की गई थी।

## चौथी योजनावधि में बाढ़ से बचाव के उपाय

*803. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना के दौरान देश में 37 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजनावधि में उड़ीसा में कितनी अतिरिक्त भूमि को बाढ़ से सुरक्षा दी जायेगी ; और

(ग) उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उड़ीसा की कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं और उन कितनी लागत आएगी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

## विवरण

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ( 1969-74 ) को अन्तिम रूप देते समय किए गए मूल्यांकन से पता चला था कि चतुर्थ योजना अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपायों द्वारा 15 लाख हैक्टेयर (37 लाख एकड़) अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षा मिलने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चतुर्थ योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वियन से 24000 हैक्टेयर भूमि की सुरक्षा हो सकेगी :—

| | | परिव्यय, लाख रुपयों में |
|---|---|---|
| 1. | संतत स्कीमें जिनमें तटवंध, नगर सुरक्षा कार्य, कटाव-रोधी आदि शामिल हैं | 138.0 |
| 2. | **नई स्कीमें** | |
| | 1. जोरा लिंग से बालंगा तक और मार्गवी के दायें तट से नना के बायें तट तक सेलाइन तटबंध | 7.0 |
| | 2. ग्वाली के निकट चित्रोकला के बायें किनारे पर बाढ़ सुरक्षा तटबंध | 1.2 |
| | 3. रीधागढ़ से तालचुंग्रां तक बन्ध | 3.0 |
| | 4. सत्गन चेरी बन्ध | 1.5 |
| | 5. गोविन्दपूर के निकट खरसुआं दक्षिण तट पर दरार को बन्द करना | 1.4 |
| | 6. औल रिंग बन्ध की पूर्वी दरार को बन्द करना | 8.0 |
| | 7. पलपदा के निकट नदी उमड़न को बन्द करना | 25.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | बेलपुर के निकट बाढ़ सुरक्षा और चंछाघई को बन्द करना | 1.8 |
| 9. | बासुदेवपुर क्षेत्र में जल-निस्सार | 9.2 |
| 10. | **अन्य स्कीमें श्रेणी वार** | |
| (क) | उपान्तीय तटबन्ध | 34.0 |
| (ख) | नगर और ग्राम सुरक्षा | 8.9 |
| (ग) | नदी नियंत्रण और कटाव-रोधी कार्य | 27.4 |
| (घ) | जल निस्सार और अन्य स्कीमें | 20.0 |

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** केन्द्रीय सरकार ने यह स्वीकार किया है कि समूचे देश में पांच राज्य बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं और उड़ीसा उनमें से एक है और उड़ीसा को इससे वार्षिक 1.5 करोड़ रुपयों की हानि होती है। मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के उसे प्रारूप कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया है जिसे उड़ीसा सरकार ने प्रस्तुत किया था? स्वर्णरेखा, वैतरणी, खारसुअन आदि जैसी बड़ी नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। ये बड़ी नदियां समूचे उड़ीसा को जलमग्न कर देती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनमें से किसी कार्यक्रम को शामिल किया गया है और यदि शामिल किया गया है तो क्या उनको भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था?

**डा० के० एल० राव :** माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह पूर्ण रूपेण सच है। देश में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां प्रति वर्ष भारी बाढ़ आती है, मेरी इच्छा है कि वहां अधिक धन की व्यवस्था की जाय परन्तु धन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने चौथी योजना के लिए केवल 3 करोड़ रुपयों का नियतन किया है। यही कारण है कि वे उन अन्य परियोजनाओं को नहीं ले सके हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या मैं जान सकता हूं······

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** दूसरा प्रश्न।

**अध्यक्ष महोदय :** पहला प्रश्न पांच प्रश्नों के बराबर था।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** आपको कम से कम उन सदस्यों को अवश्य अवसर देना चाहिए जो आपका कहना मानते हैं। उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए चौथी योजना में केन्द्र द्वारा कुल कितने धन का नियतन किया गया है और वे योजनाएं क्या हैं जिनके अन्तर्गत गनिया में महानदी से बाढ़ के पानी को हीराकुड बांध के निचले क्षेत्र में चिल्खा की ओर निकाला जायेगा? क्या भारत सरकार और मन्त्री महोदय अभी भी उन परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं?

**डा० के० एल० राव :** बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है और इसके लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उसको देने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। दुर्भाग्यवश इसके लिए वित्तीय व्यवस्था करने में सरकार कुछ नहीं कर सकती है। समूचे देश में बाढ़ नियंत्रण के लिए चौथी योजना में कुल धन 138 करोड़ रुपये व्यय किया जाना है जिसमें उड़ीसा 3 करोड़ रुपये व्यय कर रहा है। ऐसे अन्य राज्य हैं जो अधिक धन व्यय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो

विशेष परियोजनायों का हवाला दिया है वे बड़ी अच्छी हैं और मैं उड़ीसा सरकार को उन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने को लिखूंगा।

**Shri Ram Surat Prasad** : I want to know whether any scheme for the protection of the flood-affected areas of Eastern U. P. has been included in the plan, which is a part of the Fourth Five Year Plan, to save 37 Lakh acres of land from floods, like the scheme of Rapti reservoir ?

**श्री के० एल० राव** : इन पर कुल व्यय अनुमानतः 138 करोड़ रुपये आयेगा और उन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपाय करना संभव होगा। मैं प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार की समस्या है और मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजनाओं की सूची नहीं है। परन्तु निश्चय ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों को उस कार्यक्रम में शामिल किया गया होगा।

**Shri Hukam Chand Kuchwai** : Rs. 135 crores have been allocated for solving the problem of floods, but the floods are increasing every year and the reason is that silt is increasing in the rivers. I, therefore, want to know whether desilting is possible with the money allocated and whether this amount is sufficient to control the floods ? May I know whether it is possible to change the direction of the rivers so that floods may not occur ?

**श्री के० एल० राव** : बाढ़ नियंत्रण उपायों में कुछ छोटी नदियों में से गाद हटाने का कार्य भी शामिल है। उदाहरण के लिए, मिदनापुर में एक नहर, जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, में गाद हटाने का कार्य हो रहा है। परन्तु बड़ी नदियों में गाद हटाने का कार्य संभव नहीं है। जिन परियोजनाओं का यहां उल्लेख किया गया है उनमें कुछ ही परियोजनाओं के अंतर्गत गाद हटाने का कार्य हो रहा है।

**Shri Ramavatar Shastri** : The rivers originate from Himalayas and that is the source of floods. So have they formulated any scheme in the Fourth Five Year Plan to control the floods at the source ? If so, what is that scheme ?

**डा० के० एल० राव** : इन समय उन नदियों पर जलाशय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### आंध्र प्रदेश में "स्वर्ण परियोजना" को पूरा करने में विलम्ब

*810. **श्री गंगा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के आदिला बाद जिले में "स्वर्ण परियोजना" के पूरा होने में विलम्ब हो गया है क्योंकि जल-मग्न हो रही लगभग 450 एकड़ भूमि के बारे में महाराष्ट्र सरकार के साथ विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री बैजनाथ कुरील )** : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) : यह मामला महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया था। आंध्र प्रदेश की भूमि पर महाराष्ट्र के विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में कुछ प्रस्तावों की दोनों राज्य सरकारों द्वारा जांच की जा रही है।

**श्री गंगा रेडडी** : यह परियोजना 1959 में अर्थात 13 वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी। इसमें लगभग 80 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने महाराष्ट भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि के बदले भूमि अथवा धन द्वारा क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव किया है। इस पर भी गत कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है। इसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के एल० राव)** : यह सच है कि यह परियोजना महाराष्ट्र क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण न करने के कारण पूरी नहीं हुई है। हम राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं और प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

**श्री गंगा रेडडी** : मैं जान सकता हूं कि इस विवाद को हल करने में कितना समय लगेगा ?

**डा० के० एल० राव** : महाराष्ट्र राज्य के मुख्य मंत्री ने भूमि का अधिग्रहण करने के बारे में कतिपय प्रस्ताव दिये हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ इन पर विचार-विमर्श हो रहा है और इस वर्ष के अन्त तक विवाद के हल हो जाने की संभावना है।

**श्री के० सूर्यनारायण** : क्या मैं जान सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जलमग्न क्षेत्र में कितनी भूमि पर खेती की गई है और कितनी भूमि नदी के क्षेत्र में है ?

**डा० के० एल० राव** : महाराष्ट्र में नदी के क्षेत्र के अलावा 450 एकड़ भूमि जलमग्न हो जायेगी।

**श्री मल्लिकार्जुन** : 1949 में आरम्भ की गई कादम परियोजना तभी तक अपूर्ण है। इसके क्या कारण हैं ?

**डा० के० एल० राव०** : माननीय सदस्य ने जिस परियोजना के बारे में कहा है वह इस प्रश्न में उल्लिखित परियोजना से भिन्न है। यह स्वर्ण परियोजना के बारे में है जिसको महाराष्ट्र राज्य में भूमि अधिग्रहण करने के कार्य को छोड़कर पूरा कर दिया गया है।

**Scheme to Issue Receipt along with Ballot Paper**

*792 **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government have under their contemplation any scheme to issue some sort of a receipt along with ballot paper at the time of voting during Elections ; and

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

**विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) जी नहीं। किन्तु निर्वाचन आयोग ने प्रतिपर्णयुक्त मतपत्रों का प्रयोग आरम्भ करने का निर्णय किया है।

(ख) निर्वाचन आयोग को आशा है कि प्रतिपर्णयुक्त मतपत्रों की प्रणाली को, विभिन्न राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचनों में आरम्भ किया जा सकेगा, जो फरवरी, 1972 में होने को हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai** ; Some time back there was a proposal before the Election Officer to the effect that voters may be issued an identity card bearing their photographs at the time of voting. May I know whether the Government has decided to implement that proposal and if not, what are the difficulties in this regard ?

Secondly, the ballot papers of different polling booths are mixed together. I want to know whether they are introducing the system of counting the ballot papers after separating them ?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न मत पत्र के साथ रसीद जारी करने के बारे में हैं परन्तु आप कुछ और ही प्रश्न कर रहे हैं।

**श्री एच० आर० गोखले** : यह मामला बिल्कुल अलग है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब रसायन का प्रयोग करने के बारे में प्रश्न न करें।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : May I know whether the Government has seen the Press report that Shri Kulkarni came here from Bombay and he proved that the vote cast can be cancelled and the ink can reappear.....?

**Mr. Speaker** : Do not bring such things to notice.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : You want that such things should not be brought to notice and the Government go on indulging in malpractices.

**Mr. Speaker** : Since you have come here, how malpractices can be indulged in.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I want to know from the Government whether it has come to their notice or not. They may deny it. All this has appeared in newspapers along with the photographs and many eminent persons have accepted this.....

**Mr. Speaker** : Order please.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : We want reply. The Government may deny it. I want to know this from the Government.

**Mr. Speaker** : If you want to ask such things then put the relevant question. The question relates to the receipt and you are asking a different question about the arrival of some body from Bombay. Shri Samar Guha.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : My question is whether the Government is going to introduce such a system that voters may bring their identity cards and photos with them at the time of voting ? The Government has not replied to it. Please ask the Government to reply to this question.

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं, वे स्वंय अपना प्रश्न नहीं देख रहे हैं। वे मूल प्रश्न से भिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या सरकार मतदान करते समय मत पत्र के साथ किसी प्रकार की रसीद जारी करने की योजना के बारे में विचार कर रही है।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I do not agree with this. What I want to say is that voters should be given their photographs and identity card.....*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**Shri Hukam Chand Kachwai** :*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप कृपया बैठेंगे या नहीं ?

**Shri Hukam Chand Kachwai** : We have seen that opposition members greet you with Namaskar and you neglect them.

**Mr. Speaker** : Please sit down and put the relevant question.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : When you take the chair, all members stand in your honour. The opposition members greet you with folded hands but without responding to them you respond to other side and take the chair. If this is not neglecting what else it is ?

**Mr. Speaker** : I can not tolerate it any more.

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : What will you do ? Will you ask me to leave the House.

**Mr. Speaker** : There is no other alternative except this.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : You may do that and see the consequences.

**Mr. Speaker** : You are getting very rude. This cannot be tolerated.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : You are ignoring my every question... **(Interruptions)**

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप इसी प्रकार अपनी बात पर बल देते रहे तो मुझे आपके विरूद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : You want to make me sit down by threatening.

**Mr. Speaker** : I will have to ask him to withdraw from the House. The Member is very rude.

**Shri Shyamnandan Mishra** : His question was not improper. We people have also some responsibility. His question was about the person having identity card bearing his photo. That was not irrelevant.

**अध्यक्ष महोदय** : वह सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं और अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं परन्तु आप उनका समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान) वह मेरे साथ तर्क कर रहे हैं (व्यवधान) मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा।

**Shri R. V. Bade** : Mr. Speaker, just now the proceedings of the Parliament have started. With due respect, I want to say that he took his seat when you told him that the question was irrelevant.

**Dr Mahipatray Mehta** : He said that the Speaker wanted to threaten him. That can't be addressed to the chair.

**Dr. Kailas** : The Member also said that its consequences will be bad. This cannot be said here.

**Mr. Speaker** : I am sorry to say that the leader of the Party is also defending such conduct.

**Shri R. V. Bade** : He is a senior Member of this House. **(Interruptions)**.

**Mr. Speaker** : I warned the Member thrice and also told him that his question was irrelevant. Even then he did not take his seat. How the proceedings will go on ? I will have to ask him to withdraw from the House or express his regret for what he said.

**Shri J B. Dhote** : The hon. Member tried repeatedly to ask the question and while doing this he did not insult the chair. It will be injustice to him to ask him to withdraw from the House. **(Interruptions)**

**Mr. Sepaker** : If he has not insulted the chair he himself should say these words. If he says so I will accept it.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : You have misunderstood me. I want to make it clear...

**Mr. Speaker** : I want to know whether you will express your regret or not ? In case you do not express regret for what you said I am sorry to say you will have to withdraw...**(Interruptions)**

**Shri Hukam Chand Kachwai** : You cannot force your will on us with the overwhelming majority that you have gained.

**अध्यक्ष महोदय** : जब तक माननीय सदस्य खेद व्यक्त नहीं करते तब तक आगे कार्यवाही नहीं होगी। क्या वह खेद व्यक्त करने को तैयार हैं अथवा नहीं ?

**Shri K. N. Tiwari** : I propose that unless the hon. Member is prepared to apologize he may be asked to withdraw from the House for three days.

**Shri Samar Guha** : You will also have to face such things one day.

**अध्यक्ष महोदय** : उनको खेद अवश्य व्यक्त करना चाहिए, वह अभी भी कहना नहीं मान रहे हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I have not said anything with ill intentions. In this conn ction, I want to say that whatever question we ask you disallow them because you do not like questions from us. If I have asked an irrelevant question, I express regret but you should not ignore us. I said one thing more that when all members wish you Namaste you only respond to other side.

**Mr. Speaker** : If he wants to express his regret like this, it is too bad. It is my duty to judge the relevancy of a question. Still I find that he goes on persisting.

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : आप उनके प्रति बड़े नर्म हैं। आपने उन्हें पहले सभा से चले जाने को कहा था।

**Mr. Speaker** : I cannot tolerate any more. I am asking him once for all, this is a warning. I accept this half-hearted regret to-day but I am not going to tolerate it in future, especially in hon. Members' case.

**श्री मधु दन्डवते** : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने खेद व्यक्त कर दिया है। सरकारी पक्ष के सदस्यों को भी कुछ सहनशीलता दिखानी चाहिए।

**Shri R. V. Bade** : He is saying all this because of majority. I have seen the earlier Parliament also but this never happened before. Such a proposal never came before.

**Mr. Speaker** : If I have to take the benefit of the majority then the shape of the things would have been quite different. I do not want to be very harsh with him, but I want strict observance of rules and also respect for the chair. If this is not shown, I am not going to proceed further. I will better leave the chair rather than allow such conduct.

**Shri J. B. Dhote** : I respect the chair very much, but I request you that the way hon. Member of the ruling party Shri Limaye should withdraw his words that Shri Kachwai may be asked to withdraw from the House.

**श्री समर गुह** : यह आपने जो बर्ताव किया है उससे इज्जत घटी है। उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव करके सत्तारुढ़ दल के सम्मान को धक्का पहुंचाया है। यदि श्री तिवारी इस प्रकार हमें दबाना चाहते हैं तो हम भी अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। और अधिक जटिलताएं उत्पन्न न कीजिए। मैं उनको और कुछ कहने की अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री समर गुह** : श्री तिवारी खड़े होकर यह सब कैसे कह सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें। यदि कोई सदस्य उचित व्यवहार नहीं करता तो प्रत्येक सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जाये। अत: श्री तिवारी ठीक थे।

**श्री के० एन० तिवारी** : मैंने इसको ध्यान में रख कर ही प्रस्ताव किया था।

**श्री समर गुह** : इस सभा में हम अल्प संख्या में हैं। अध्यक्षपीठ से यह आशा करते हैं कि वह विरोधी पक्ष के हितों के प्रति सहानुभूति का रवैया रखेंगे। इस प्रकार ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। बहुमत के आगे झुक करके नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : विरोधी दलों के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण ही मैं सावधानी से काम ले रहा हूं। अन्यथा मैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करता क्योंकि उनका आचरण अवांछनीय था। भविष्य में उन्हें सावधानी से काम लेना चाहिए।

**श्री राज बहादुर** : जो कुछ हुआ है मैं उस पर खेद व्यक्त करते हुए अपने दल की ओर से कहना चाहता हूं कि हम आपके विनिर्णय का स्वागत करते हैं। मैं अपने दल की ओर से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं विरोधी पक्ष को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हालांकि हम बहुमत में हैं फिर भी हम इसका कभी अनुचित लाभ नहीं उठायेंगे। हम केवल इतना चाहते हैं कि सभा की मान-मर्यादा बनाये रखने में हम सब को सहयोग करना चाहिए। हमें सदन के बारे में ऐसी सम्मानजनक धारणा पैदा करनी चाहिए जो कि इस देश में तथा विश्व में गर्व की बात हो।

**श्री समर गुह** : हम इस पर सहमत हैं। आपका सम्मान हमारा सम्मान है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपना सम्मान बनाये रखने के लिए आपका सम्मान करें।

**Shri J. B. Dhote** : I rise on a point of order. You have the right to tell us anything but Shri Raj Bahadur has no right to preach.

**Mr. Speaker** : Please resume your seat.

**श्री एस० एम० बनर्जी** : हम सब अध्यक्ष पीठ का आदर करते हैं। हम इस कारण कोई रियायत नहीं चाहते कि हम अल्प संख्या में हैं। हम अल्प संख्या में हो सकते हैं परन्तु हम शरणार्थी नहीं हैं। इस बारे में मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। हम भी इस सभा में निर्वाचित होकर आये हैं। हम सदा आपकी निष्पक्षता में विश्वास रखते हैं और आपका आदर करते हैं। हम बहुमत में हैं अथवा अल्प संख्या में इस बात का प्रश्न नहीं हैं। परन्तु सभा में सच्चाई का बोल बाला होना चाहिए।

**Shri J. B. Dhote** : What right the Minister of Parliamentary Affairs has to teach us ?

**Shri Raj Bahadur** : I myself want to learn.

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस बारे में विश्वास है कि यदि श्री वाजपेयी यहां उपस्थित होते तो यह मामला इतना लम्बा नहीं चलता। मै जानता हूं कि वह भद्र पुरुष हैं।

जहां तक संरक्षण का सम्बन्ध है, सभा की कार्यवाही को उचित तथा निष्पक्ष रूप से चलाना मेरा कर्तव्य है। जिस दिन आप समझें कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं उस दिन से मेरा यहां बैठना ठीक नहीं होगा। परन्तु सभा के कार्य के संचालन सम्बन्धी नियम, विशेषाधिकार आदि इसी सभा द्वारा बनाये गये हैं और सदस्यों को उनका पालन करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई सदस्य इस प्रकार खड़े होकर अध्यक्षपीठ के साथ तर्क कर सकता है और कठोर हो सकता है। इसको सहन नहीं किया जा सकता। चाहे बहुमत का पक्ष हो अथवा अल्प मत का मेरे लिए सभी सदस्य बराबर हैं। इस प्रकार मेरे लिए सभी बहुमत में हैं। परन्तु भविष्य में मैं ऐसे आचरण को सहन नहीं करूंगा। मैंने आज बहुत नर्म रवैया अपनाया है। मुझे सभा की प्रतिष्ठा को बनाये रखना है।

**श्री श्यामनन्दन मिश्रा** : जैसे कि अध्यक्षपीठ को अपना सम्मान कराने का अधिकार हैं इसी प्रकार प्रत्येक सदस्य को भी अपना सम्मान कराने का अधिकार है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप नये सदस्य हैं।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : यदि ऐसा नहीं हुआ तो कठिनाई उत्पन्न होना अनिवार्य है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### लाइसेंसों के लिये राजस्थान से प्राप्त विचाराधीन प्रार्थनापत्र

*782. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंसों हेतु आये बहुत से प्रार्थना-पत्र लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) इस समय विचाराधीन पड़े प्रार्थनापत्रों की संख्या क्या है तथा वे कब से विचाराधीन हैं, और

(ग) लाइसेंस देने में देरी करने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) :** 31 मई, 1971 तक राजस्थान में नये उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेन्सों की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों में से 53 आवेदन पत्र अभी अनिर्णीत हैं। इन में से 3 आवेदन 1968 के 4 आवेदन 1969 के 21, 1970 के और 25 आवेदन 1971 के हैं।

(ग) औद्योगिक लाइसेन्स के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिये प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होती है और कुछ विशेष प्रकार के आवेदनों पर विभिन्न कारणों से निर्णय में बहुधा विलम्ब हो जाता है। इनमें से कुछ मामलों में आवेदन-पत्र में सभी आवश्यक जानकारी नहीं होती और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। कुछ अन्य मामलों में उद्योग पर व्यापक रूप से नीति सम्बन्धी निर्णय लेना पड़ता है। फिर भी, सर–कार अनिर्णीत आवेदनों को शीघ्र निबटाने के लिए हर सम्भव उपाय कर रही है।

### भाखड़ा बांध में गाद का जमा हो जाना

*784. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बाँध के तल पर अप्रत्याशित अनुपात में गाद जमा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो भारी हानि से बचने के उद्देश्य से बांध अधिकारियों ने बाँध से गाद को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है;

(ग) क्या नौसेना की सहायता से बाँध से गाद निकालने का कोई प्रयास कुछ वर्ष पूर्व किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रयास के क्या परिणाम निकले ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) :** परियोजना को तैयार करते समय गाद भरने की दर का जो अनुमान लगाया गया था उसकी तुलना में वह दर अधिक है तथा गाद भरने की वर्तमान दर से यह हिसाब लगाया जाता है कि जलाशय की कुल

क्षमता के समाप्त होने में 350 से 400 वर्ष लग जाएंगे। तथापित गाद को कम करने के लिए भू-संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं। भाखड़ा की प्रतिप्रवाह दिशा में दूसरा बाँध भी अन्वेषणाधी है।

(ग) बड़े जलाशयों को गाद रहित करना न तो संभव है, और न किफायती ही।

(घ) प्रश्न नहीं उटता।

### दिल्ली और बम्बई के बीच दोहरी लाइन का बिछाया जाना

*786. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर दिल्ली और बम्बई के बीच मुख्य लाइन को दोहरा बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : 1384 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से 985 किलोमीटर की दूरी में दोहरी लाइन उपलब्ध है। 58 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने का काम जारी है और आशा है कि दिसम्बर 1972 तक यह काम कई चरणों में पूरा हो जायेगा। 1971-72 में इसके आगे 84 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इकहरी लाइन वाले लगभग 257 किलोमीटर के शेष भाग में दोहरी लाइन बिछाने के लिए यातायात और वित्तीय दृष्टि से औचित्य होने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

### Expenditure on Gandak Project

*787. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred so far on the Gandak Project ;

(b) when the work on this project was started ;

(c) whether farmers are not getting sufficient water for irrigation purposes ; and

(d) whether the Bihar Government or the Central Government are not yet getting any return in the shape of revenue from it and if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao)** : (a) **and (b)** : Work on Gandak Project of Bihar and Uttar pradesh was started in 1960-61. The outlay so far made by the two state Governments is:--

| | | |
|---|---|---|
| Bihar | — | Rs. 80.6 crores (including Rs.12.2 crores on Nepal benefit works). |
| Uttar Pradesh | — | Rs. 33.59 (including Rs. 0.80 crores on Nepal benefit works) |

**(c) and (d)** : Work on the canal systems is still in progress and is expected to be substantially completed by the end of the Fourth Plan. However, partial benefits are already being provided to about 50,000 acres in Bihar and 70,000 acres in U. P. The Government of Bihar have reported that revenue is being realised for the irrigation from Gandak Project and that Rs. 1.26 lakhs had been realised upto April 1970.

### दिल्ली-भटिंडा रेल मार्ग पर एक एक्सप्रेस गाड़ी के लिए मांग

* 788. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली-भटिंडा रेल मार्ग पर एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की मांग के बारे में गत तीन महीनों में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली और भटिंडा के बीच गाड़ियों के कम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है और न ही लाइन/टर्मिनल क्षमता के अभाव में परिचालन की दृष्टि से यह व्यावहारिक है।

## राजधानी एक्सप्रेस के रेल मार्ग का दोषपूर्ण पाया जाना

* 789. **श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा आयुक्त ने राजधानी एक्सप्रेस के रेल मार्ग को दोषपूर्ण पाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दोषों के कारण रेल सेवा को तुरन्त बन्द करने की आवश्यकता है ताकि रेल मार्ग की मरम्मत की जा सके; और

(ग) उक्त दोषों को कब तक दूर किया जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं। रेल संरक्षा के आयुक्त ने पाइंट और क्रासिंग की अनुरक्षण प्रणालियों में केवल कुछ छोटी-मोटी बातों की ओर इशारा किया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

## पंजाब में थीन बांध परियोजना को स्वीकृति

* 791. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में रावी नदी पर थीन बांध परियोजना को औपचारिक स्वीकृति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रस्तावित बांध के बारे में अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव)** : (क) से (ग) : अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर, जैसे कि संबंधित राज्यों के बीच लागत और लाभों के बंटवारे और थीन बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास पर, विचार-विमर्श हो रहा है।

## सरकारी क्षेत्र में तीन पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण

*793 **श्री फूलचन्द्र वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तीन पहियों वाले स्कूटरों की वर्तमान उत्पादन-क्षमता कितनी है;

(ख) क्या मुफस्सिल नहरों में यात्रियों तथा माल के द्रुत परिवहन के लिये इस प्रकार के वाहनों के लोकप्रिय होने के साथ साथ इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग के बिना सरकारी क्षेत्र में तीन पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण करने के लिए नए लाइसेंस जारी करने का है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा)** : (क) इस समय तीन पहिये वाले स्कूटरों (आटो-रिक्शा) का निर्माण दो निर्माताओं उदाहरण के लिये मे० बजाज आटो लिमिटेड, पूना और आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा किया जा रहा है। दो पहिये वाले और तीन पहिये वाले स्कूटरों के निर्माण के लिए उनकी संयुक्त लाइसेंस प्राप्त क्षमता 24,000 संख्या प्रति वर्ष है। उनकी तीन पहिये वाले स्कूटर बनाने की क्षमता का उल्लेख अलग-अलग नहीं किया गया है ।

1969 से तीन पहिये वाले स्कूटरों का उत्पादन निम्न प्रकार है :

| वर्ष | उत्पादन |
|---|---|
| 1969 | 5,072 संख्या |
| 1970 | 4,229 संख्या |
| 1971 (31-5-71 तक) | 1,804 संख्या |

(ख) जी, हां ।

(ग) तीन पहिये वाले स्कूटरों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं हैं । फिर भी, फरवरी, 1971 में जारी किये गये प्रेसनोट के द्वारा पूर्ण रूप से देश में उपलब्ध जानकारी, पुर्जा, कच्चे माल और विदेशी सहयोग के बिना तीन पहिये वाले स्कूटरों का निर्माण करने के लिये नये उपक्रम स्थापित करने में रुचि रखने वाली पार्टियों से आवेदन-पत्र मांगे गये थे । बहुत बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

### दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

*794. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम के प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के एल० राव)** : दामोदर घाटी निगम को कार्यात्मक आधार पर पुनर्गठित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

### छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन

*795. **श्री एल० आर० दामाणी**: क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन कैसा रहा तथा गत दो वर्षों के उत्पादन की तुलना में यह कितना न्यूनाधिक है;

(ख) देश के कुल निर्यात में इन उद्योगों के उत्पादों का कितना भाग है तथा उनके निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार उन्हें कितनी सहायता दे रही है; और

(ग) इस क्षेत्र की उत्पादन तकनीक में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा)** : (क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा तैयार किये गये अनुमानों के अनुसार 1968–69 में लघु क्षेत्र उत्पादन इससे पिछले वर्ष की तुलना में 8.2 प्रतिशत और 1969–70 में 1968–69 की अपेक्षा 11.2 प्रतिशत अधिक था ।

(ख) लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत से लघु एकक सहायक हिस्से बनाते हैं। जो तैयार माल के एक अंग हैं और जिनका बड़े तथा मध्यम आकार के एककों द्वारा निर्यात किया जाता है।

लघु उद्योग विकास संगठन निर्यात के योग्य उत्पादों और एककों को अलग करके, निर्यात की संभावना वाले बाजारों की पहचान करके निर्यात विपणन में लघु उद्यमियों के लिये प्रशिक्षण और परामर्शदायी सेवाओं की व्यवस्था करके, समुद्रापार बाजारों के विषय में विपणन संबंधी सूचना देकर अन्य सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क रख कर और विभिन्न अभिकरणों जैसे राज्य व्यापार निगम, व्यापार विकास प्राधिकरण, निर्यात सम्बर्धन परिषदों आदि द्वारा अपनाए निर्यात कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करके लघु उद्योगों के निर्यात प्रयास में सहायता करना है।

(ग) उत्पादन प्रविधियों में सुधार करने के लिए अपनाए जा रहे अभ्युपायों में उपकरणों का आधुनिकीकरण कामगरों के कौशल में सुधार और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण सम्मिलित है। मझोले क्षेत्र के बारे में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है, यह बड़े क्षेत्र में सम्मिलित कर दी गई है।

**माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के बारे में कच्छ नमक उत्पादक संघ की शिकायत**

*797. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ नमक उत्पादक संघ ने यह शिकायत की है कि माल डिब्बों के उपलब्ध नहीं होने के कारण कच्छ जिले के समुद्र तट के साथ-साथ लगभग एक करोड़ रुपयों के मूल्य के 6 लाख से अधिक नमक के बोरे जमा हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कुल कितने माल डिब्बे दिये गये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें कच्छ क्षेत्र से नमक के संचलन के लिए अधिक माल-डिब्बे देने का अनुरोध किया गया है।

(ख) 1 जनवरी से 10 जून 1971 की अवधि में कच्छ क्षेत्र के स्टेशनों से, बड़ी लाइन के 2,979 और मीटर लाइन के 6,624 माल-डिब्बों में नमक का लदान हुआ।

**पश्चिम बंगाल से औद्योगिक उपक्रमों के मुख्य कार्यालयों का अन्य राज्यों में स्थानान्तरण**

*801. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक और वाणिज्यिक कम्पनियों (पश्चिमी बंगाल में पंजी-कृत) के नाम क्या हैं जिनके मुख्य कार्यालयों को गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में स्थानान्तरण की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) इन कार्यालयों को किन राज्यों में स्थानान्तरित किया गया है ;

(ग) प्रत्येक कार्यालय के स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थानान्तरण के प्रत्येक मामले में कितने कर्मचारियों को हानि हुई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

### Hindi Edition of Constitution of India

802. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the **Minister of Law and Justice** be pleased to state the progress made in bringing out the Hindi edition of the Constitution and the time by which this work is likely to be completed ?

**The Minister of Law and Justice (Shri H. R. Gokhale)** : An up-to date translation of the Constitution of India in Hindi has been prepared. This translation is at present under scrutiny. It is the intention of the Government to publish the translation as an authorised one. Parliamentary legislation will have to be enacted to provide for an authorised translation of the Constitution in Hindi. he question of introducing the necessary legislation for the purpose is under consideration.

### ट्रैक्टर निर्माण उद्योग में कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों की कमी होना

* 804. **श्री बी० नारायणन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर निर्माताओं को कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) इस कमी के कारण अधिष्ठापित क्षमता का कितना कम उपभोग हो रहा है ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी)** : (क) से (ग) ट्रैक्टर उद्योग मुख्या (कोर) क्षेत्र में सम्मिलित है और सरकार इस बात का सुनिश्चय करती है कि उद्योग की कच्चे माल और उपकरणों की आवश्यकता पूर्णरुपेण पूरी हो रही है। कभी कभी देश में बने उपकरणों जैसे टायरों, ट्यूबों पहियों, पिस्टनों नियन्त्ररेणवाल्वों आदि की अस्थायी रूप से कमी हो सकती है और ऐसे अवसरों पर सरकार इस प्रकार के उपकरणों के आयात की भी स्वीकृति देती है ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। कच्चे माल और उपकरणों की कमी के कारण शायद ही किसी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग न किया जा रहा हो।

### विदेशी सहयोग से टायरों का निर्माण

*805. **श्री पी० ए० स्वामिनाथन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नये भावी टायर निर्माताओं की संख्या कितनी है जिनको आशय पत्र जारी किये गये थे और जिनको विदेशी सहयोग की आवश्यकता है ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने सहयोग देना अस्वीकार किया है ; और

(ग) इस सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी)** : (क) से (ग) पिछले नवम्बर दिसम्बर में 8 पार्टियों को देश के विभिन्न राज्यों में नया उपक्रम स्थापित करने के लिये प्रत्येक में प्रति वर्ष 3 लाख संख्या में मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने की क्षमता के लिये आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

इनमें से केवल मेसर्स साउथ इंडिया एक्सपोर्ट कारपोरेशन, मद्रास जिसे मैसूर राज्य में उपक्रम स्थापित करना है, ने मेसर्स टैकनों एक्सपोर्ट फारेन ट्रेड कारपोरेशन, चेकोस्लोवाकिया के साथ विदेशी तकनीकी सहयोग के लिये निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

## मद्रास-गुम्मी दी पुण्डी सेक्शन (दक्षिण रेलवे) का विद्युतीकरण

*806 **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मद्रास-गुम्मीदीपुण्डी सेक्शन का विद्युतीकरण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) इस सेक्शन का विद्युतीकरण करने के लिए कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) सरकार का विचार इस सेक्शन का विद्युतीकरण कब तक करने का है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड, जिसका मद्रास-गुम्मिडिपुण्डि एक भाग है, के प्रस्तावित बिजलीकरण का अधिकांश फुट-दर-फुट सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(ख) अनुमान है कि मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड के बिजलीकरण पर 34 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मद्रास-गुम्मिडिपुण्डि खण्ड के लिए अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ग) मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड के बिजलीकरण का निष्पादन 1972-73 में करना निर्धारित किया गया है।

## सतलुज-ब्यास लिंक परियोजना के लिये इस्पात की कमी

*807. **श्री दलीप सिंह** : **श्री देवेन्द्र सिंह गरछा** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतलुज-व्यास 'लिंक' परियोजना को इस्पात की अत्यन्त कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) समय अनुसूची के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिये इस्पात की नियंत्रित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्राधिकारियों/सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव)** : (क) और (ख) : ब्यास सतलुज लिंक परियोजना में निर्माण कार्य की गति को बनाए रखने के लिए इस्पात का पर्याप्त भंडार है। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के लिए देश के अन्दर तैयार इस्पात का नियतन प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए और जिन श्रेणियों के इस्पात आवश्यकता पड़ने पर देश में तैयार इस्पात के रूप में उपलब्ध नहीं हों, उनके आयात के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा चुकी है ताकि इस्पात के अभाव में परियोजना के निर्माण की गति में बाधा न पड़े।

## थोपायार सिंचाई योजना तमिलनाडु

*808. **श्री जोमुवाराहन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सेलम जिले में थोपायार सिंचाई योजना के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई अन्तिम निर्णय किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) :** (क) थोपयार में किसी भी वृहत् या मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है।

**(ख) और (ग) :** राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को ये हिदायतें जारी कर दी हैं कि उनके द्वारा कुछ समय पहले सोची गई बृहत् जलाशय स्कीम के बजाय वे थोपयार बेसिन में विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम स्कीमें तैयार करें।

## कलकत्ता में हड़ताल के दौरान लोगों द्वारा रेल पटरी और डिब्बों को हानि पहुंचाना

*809. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 1971 को साम्यवादी मार्क्सवादियों द्वारा कलकत्ता में की गई 24 घंटे की हड़ताल में साम्यवादी मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं द्वारा रेल पटरी और डिब्बों को नष्ट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समाज विरोधी तत्वों के हाथों रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) जी हां।

(ख) प्रत्यक्ष हानि का अनुमान 3,000 रुपये है।

(ग) इस हड़ताल वाले दिन, रेलवे सुरक्षा दल ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर, क्षति को रोकने का भरसक प्रयास किया ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर कोई हानि नहीं हुई। पूर्व रेलवे पर केवल दो ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण उस रेलवे को क्षति पहुंची।

अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित सरकारी रेलवे पुलिस आवश्यक जांच कर रही है।

## उत्तर रेलवे के यातायात और वाणिज्य विभागों में सेलक्शन पद

3303. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के यातायात तथा वाणिज्यिक विभागों में सेलेक्शन पदों के लिए चयन किये जाने तक उन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्थानापन्न-सेवा काल को, 'आकस्मिक' माना जाता है चाहे कोई कर्मचारी रिक्त स्थाई पद पर तीन वर्ष से भी अधिक की अवधि तक कार्य करे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में दूसरे प्रशासनों द्वारा क्या पद्धति अपनायी जाती है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां।

(ख) प्रवरण पदों में वरिष्ठता समुचित चयन के बाद नियमित पदोन्नति की तारीख से गिनी जाती है। किसी कर्मचारी द्वारा चयन की तारीख से पहले की गयी सेवा 'आकस्मिक' समझी जाती है।

(ग) सभी रेलों पर वही परिपाटी प्रचलित है, जो उपर्युक्त (ख) भाग में बतायी गयी है।

### बुरहानपुर स्टेशन (मध्य रेलवे) पर सीटों/बर्थों का आरक्षण

3304. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बुरहानपुर के ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व को तथा उस स्टेशन से बड़ी संख्या में जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बुरहानपुर स्टेशन पर बम्बई के लिए कम से कम चार तीसरे दर्जे की शायिका तथा दो प्रथम श्रेणी की सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करने का है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : अलग-अलग स्टेशनों को निर्दिष्ट कोटा वहीं आवंटित किया जाता है जहाँ से आरक्षणों के लिए नियमित और भारी मांग होती है और ऐसा करते समय विभिन्न स्टेशनों की मांगों और गाड़ियों में उपलब्ध कुल स्थानों का ध्यान रखा जाता है। इस कसौटी के आधार पर बुरहानपुर स्टेशन विशेष कोटे के आबंटन का हकदार नहीं है। फिर भी बुरहानपुर की आरक्षण सम्बन्धी मांगों को, आरक्षण नियंत्रक स्टेशन से सामान्य कोटे या मध्यवर्ती स्टेशनों के कोटे से, जहां तक व्यावहारिक होता है, पूरा किया जाता है।

### Irrigation by Dams in Madhya Pradesh

3305. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the existing Dams in Madhya Pradesh have not been able to provide adequate help to the farmers during drought conditions prevailing there for the last two years ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the estimated acreage of area anticipated to be irrigated by each dam at the time of its construction and the acreage of area actually irrigated by each dam during the said period ;

(d) whether target had been achieved in each case ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : (a) to (e) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

### Power Projects under Construction in Madhya Pradesh

3006. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of centrally-aided power projects under construction at present in Madhya Pradesh ;

(b) the names and the locations thereof ;

(c) the estimated expenditure to be incurred on them, project-wise ;

(d) whether the construction work on the said projects is going on according to schedule ;

(e) if not, the reasons therefor and the steps taken to make up the delay in this regard ;

(f) the names of the power projects proposed to be undertaken under the Fourth Five Year Plan ; and

(g) the details thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a)** Since the commencement of the Fourth Five Year Plan, it has been decided that there will be no scheme-wise pattern of central assistance. Central assistance is not now related to any specific scheme or programme under the State Plans but would be given to the State through block grants and block loans. However, Inter-State transmission lines are included in the Centrally sponsored Schemes for which loan assistance is being given outside the State Plan.

**(b) to (e) :** Following are the details of the inter-State transmission lines under the programme of centrally sponsored schemes :-

| Name of Scheme. | Estimated cost M. P. portion (Rs. lakhs) | Assistance given during 1969-70-71. (Rs. lakhs). | Progress |
|---|---|---|---|
| (i) Satpura-Ambazari 220 KV line. | 114.00 | 87.5 | Under construction. |
| (ii) Chandni-Bhusawal 2nd circuit 132 KV. | 21.07 | --- | Being taken up for construction. |
| (iii) Amarkantak-Morwah-Rihand. | 64.42 | --- | |

**(f) and (g) :** A statement is enclosed [Placed in the library. See. No. LT. 556/71].

## Water Drainage in Madhya Pradesh

*3307. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have forwarded proposals for water drainage in the state during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) the amount of financial assistance sought by and given or proposed to be given to the State Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : (a) and (b) The Government of Madhya Pradesh have not included any drainage scheme in their Fourth Plan proposals. The Flood Control programme of the State during Fourth Plan, however, includes schemes for Town protection and villages, anti-erosion and river training works. An amount of Rs. 50 lakhs is proposed to be spent during the Fourth Plan on these works.

(c) Under the procedure evolved for the Fourth Five Year Plan, there is no earmarked assistance for Flood Control Schemes. The Central assistance to the State Governments for their plan schemes is provided in the shape of block loans and grants and is not tied to any particular project or head of development.

**Rural Electrification in Hoshangabad and East Nimar (Madhya Pradesh)**

*3308. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages electrified so far in Hoshangabad and East Nimar districts in Madhya Pradesh; and

(b) whether electric meters have not so far been provided in the villages electrified during the last two years inspite of the fact that security in this regard was desposited through the contractors one year ago ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : (a) Out of a total of 1399 villages in Hoshangabad District of Madhya Pradesh, 214 have been electrified so far. In the East Nimar District of that State, 125 villages out of a total of 1082 have been electrified.

(b) The Madhya Pradesh Electricity Board have reported that meters have been provided for all connections and that no connections are pending for more than one month in cases where all formalities have been completed in these two districts.

**उत्तर रेलवे में वाणिज्य निरीक्षकों का चयन**

3309. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 1958 में वाणिज्य निरीक्षकों के पद के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया था तथा 1962 में एक अनुपूरक चयन किया गया था ;

(ख) क्या इसके बाद में 1970 में चयन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन दो चयनों के समय में इतना अधिक अन्तर होने का क्या कारण है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1966 में जो प्रवरण प्रस्तावित था, वह नहीं किया जा सका, क्योंकि जिस आधार पर पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता की संगणना की गयी थी उसके सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त यूनियनों ने आपत्ति प्रकट की थी । यह मामला विचाराधीन रहा और वरिष्ठता के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय ले लिये जाने के बाद 1970 में प्रवरण किया गया ।

**उत्तरी रेलवे में वाणिज्य निरीक्षकों के चयन में देरी**

3310. **श्री शिव चन्डिका** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1970 के बीच उत्तरी रेलवे में यातायात निरीक्षकों, मुख्य नियन्त्रकों तथा स्टेशन मास्टरों का चयन कब कब हुआ था ;

(ख) क्या उत्तरी रेलवे में 1966 और 1969 के बीच रु० 370-475 (ए० एस०) के वेतन-मान में पूछताछ तथा आरक्षण मुख्य पर्यवेक्षक का चुनाव दो बार हुआ था जबकि वाणिज्य निरीक्षकों का 1962 से 1970 तक कोई चुनाव नहीं किया गया ;

(ग) क्या वाणिज्यिक निरीक्षकों के पद के लिए चयन में हुए विलम्ब के परिणाम-स्वरूप यातायात और वाणिज्यिक विभाग के श्रेणी II के पदों और वाणिज्यक निरीक्षकों 450-575 (ए० एस०) ग्रेड के पद में पदोन्नति हेतु वाणिज्यिक निरीक्षकों की वरिष्ठता में कमी हो गई ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति का सुधार करने के लिए रेलवे प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जिन कर्मचारियों का नाम 370–475 रुपये के वेतनमान में वाणिज्य निरीक्षकों के पेनल पर हैं, उन्हें 335–425 रुपये के ग्रेड में की गयी सेवा-अवधि के आधार पर श्रेणी II की सेवा में पदोन्नति के प्रयोजन से वरिष्ठता का लाभ देने के लिए मामला विचाराधीन है।

**विवरण**

| श्रेणी और ग्रेड | प्रवरण की तारीख |
|---|---|
| (क) (1) यातायात निरीक्षक (450—575 रुपये) | (1) 24.10.1964 |
| | (2) 23.5.1966 |
| | (3) 8.12.1969 |
| (ii) यातायात निरीक्षक (335–425 रुपये) | (1) 22.6.1962 |
| | (2) 24.3.1966 |
| | (3) 11.2.1970 |
| (ख) स्टेशन मास्टर (370–475 रुपये) | (1) जनवरी/फरवरी, 1962 |
| | (2) अप्रैल/जून, 1963 |
| | (3) मार्च/अप्रैल, 1965 |
| | (4) 16/17.11,1966 3.1.67, 1.2.1967 और 29.4.1967 |
| (ग) मुख्य नियंत्रक (450-575 रुपये) | (1) जुलाई, 1963 |
| | (2) मार्च, 1966 |
| | (3) जनवरी, 1968 |

**सेवावधि के आधार पर वाणिज्यिक निरीक्षकों की पदोन्नति**

3311. **श्री शिव चन्डिका** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे दावा (क्लेम) निरीक्षकों, जिनका चुनाव पिछली एक दशाब्दी से नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में रु० 335–422 (ए० एस०) के वेतन-मान में वाणिज्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देते समय उनके द्वारा (i) रु० 205—280 तथा (ii) रु० 250–380 के वेतन-मान की सेवा की अवधि पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्य निरीक्षकों के सम्बन्ध में भी जिनका चुनाव पिछले साल

से नहीं हुआ है श्रेणी 2 की सेवाओं में तथा रु० 450—575 (ए० एस०) के वेतन मान में वाणिज्य निरीक्षक के रूप में चुनाव करते समय उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ। 205 280 रुपये के ग्रेड में कर्मचारियों की सेवा की कुल अवधि के आधार पर उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से, 205—280 रुपये के ग्रेड में उनके द्वारा की गयी सेवा में 250—380 रुपये (अ० वे०) के ग्रेड में की गयी उनकी सेवा की अवधि जोड़ दी गयी थी।

(ख) इस मामले पर उत्तर रेल प्रशासन पहले से ही विचार कर रहा है।

**आसाम के डिब्रूगढ़ नगर को ब्रह्मपुत्र के द्वारा कटाव का खतरा**

3312. **श्री रोबीन ककोटी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आसाम के लखीमपुर जिले के डिब्रूगढ़ नगर को उस ओर से ब्रहमपुत्र नदी से कटाव का खतरा हो गया है ; और जिस ओर मीजन चाय बागान है ; और

(ख) यदि हां, तो डिब्रूगढ़ को इस नये खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मैजान पुल (डिब्रूगढ़ नगर) के प्रतिप्रवाह में लगभग 6 से 8 किलोमीटर पर नागाधोली और ओकलैंड टी एस्टेट्स के समीप ब्रह्मपुत्र के वाम तट पर कटाव हो रहा है। राज्य सरकार नगर की सुरक्षा के लिए डिब्रूगढ़ में वर्तमान सुरक्षा कार्यों की मरम्मत और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।

**आसाम को और आसाम से माल का ट्रकों द्वारा लाना ले जाना**

3313. **श्री रोजिन ककोटी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम, मेघालय और नागालैंड से चाय, जूट तथा अन्य सामान रेलों की बजाय ट्रकों से बाहर भेजा जाता है और कई प्रकार का सामान आसाम में ट्रकों द्वारा लाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बात का पता लगाने का है कि किस कारण से रेल के बजाय ट्रकों को प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ग) 1969–1970 तथा 1971 में अब तक कितने माल से लदे तथा खाली डिब्बे आसाम में आए तथा उपरोक्त समय में कितने खाली माल डिब्बे आसाम से बाहर आये ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं। 1970–71 में इन राज्यों में आगत यातायात के रूप में 103947 माल डिब्बे आये थे जबकि 1969-70 में 101134 माल डिब्बे आये थे। 1970–71 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से निर्गामी यातायात 1969–70 की अपेक्षा थोड़ा कम रहा जिसका मुख्य कारण यह था कि कलकत्ता क्षेत्र में श्रमिक अशान्ति के कारण सितम्बर, 70 से जनवरी, 71 के बीच कलकत्ता क्षेत्र के लिए चाय के लदान पर पाबन्दी लगी रही और पटसन

की मिलों में हड़ताल के कारण दिसम्बर, 1970 में पटसन के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा रहा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1969–70 और 1970-71 के दौरान असम को भेजे गए लदे हुए और खाली माल डिब्बों और असम से भेजे गये, खाली माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार रही :—

| | प्राप्त माल डिब्बों की संख्या | |
|---|---|---|
| | लदे हुए | खाली |
| 1969–70 | 101134 | 3668 |
| 1970–71 | 103947 | 1229 |

| | भेजे गये खाली माल डिब्बों की संख्या |
|---|---|
| 1969–70 | 16946 |
| 1970–71 | 19000 |

### उत्तर रेलवे के नीलामकर्ता की नियुक्ति

3314. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के अतिरिक्त निस्तारित सामान (सालवेज स्टोर्स) की नीलामी के लिए नियुक्त किए गये नीलामकर्ता का नाम क्या है ; और

(ख) क्या उस नीलामकर्ता को उसके कदाचारों के कारण पूर्ति एवं निपटान महा-निदेशक ने निकाल दिया है और यदि हां, तो उसके उत्तर रेलवे में कार्य करते रहने के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) मैसर्स जे० आर० वशेशर नाथ, 6107, खारी बावली, दिल्ली–6

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशक के साथ उनका नीलामी ठेका 1–7–69 से 31–3–71 तक था और उन्हें 31–3–71 तक ठेके के काम की अनुमति दी गयी थी जिसके बाद उसकी अवधि नहीं बढ़ायी गयी।

उत्तर रेलवे का ठेका जो 1–1–71 से एक वर्ष के लिए है, उस समय दिया गया था जब पूर्ति और निपटान महानिदेशक के साथ उक्त ठेका चल रहा था। इसलिए, इसके समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

### वैगनों की कमी के कारण लोह और मैंगनीज अयस्क उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

3315. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों की कमी की वजह से लोह और मैंगनीज अयस्क उद्योग अपने निर्यात सम्बन्धी वचनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ;

(ख) क्या देश के इस्पात कारखानों की कच्चे माल सम्बन्धी मांगों को पूरा करने में उद्योग सफल नहीं हो पा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जरूरत के अनुसार रेल वैगनों की सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलमन्त्री (श्री हनुमन्तैया)**: (क) मन्त्रालय को इसकी जानकारी नहीं है। रेलों ने पिछले वर्ष की तुलना में 1970–71 में निर्यात के लिए 10 लाख मीटरिक टन अधिक लोह अस्यक की ढुलाई की। निर्यात के लिए मद्रास और विशाखापतनम् बन्दरगाहों को भेजे जाने वाले लोह अस्यक की मात्रा लक्ष्य से कम रही क्योंकि ढुलाई के लिए कम यातायात प्राप्त हुआ। एक तो खनिज और धातु व्यापार निगम में मजदूरों की हड़ताल और दूसरे कानून और व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति के कारण पूर्वी क्षेत्र में गाड़ियों के संचालन में सामान्य अस्त-व्यस्तता की वजह से पारादीप बन्दरगाह के लिए होने वाले यातायात में लगभग 5 लाख मीटरिक टन की मामूली कमी हुई। रेलों ने 1969–70 की तुलना में 1970–71 में निर्यात के लिए लगभग आधा लाख मीटरिक टन अधिक मेंगनीज अयस्क की भी ढुलाई की और यदि अक्टूबर और नवम्बर, 1970 में विशाखापत्तनम बन्दरगाह में हड़ताल न होती तो रेलों ने और भी अच्छा कार्य किया होता।

(ख) इस्पात कारखानों की कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताओं को उस सीमा तक पूर्णरूपेण पूरा किया गया जहां तक कि वे कारखाने यातायात को सम्हाल सकते थे। किसी भी अवसर पर रेलों द्वारा कच्चे माल की ढुलाई के अभाव में इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) निर्यात अयस्क के संचलन और इस्पात कारखानों को कच्चा माल भेजने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई की ओर रेलें सदा पूरा ध्यान देती हैं।

**तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग**

3316. **श्री पी० गंगा रेड्डी**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कितने उद्योगों की स्थापना की गई है।

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**: तामिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में दूसरी और तीसरी योजना की अवधियों में निम्नलिखित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं :—

**तमिलनाडु**

**केन्द्रीय क्षेत्र**

**दूसरी योजना**

1. निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, नेवेली।

**तीसरी योजना :**

2. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर फैक्टरी, मद्रास।
3. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, मद्रास।
4. भारत हेवी इलेक्ट्रल्स लि० बायलर प्लांट, तिरुचि।
5. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि०, ऊटकमंड।

6. मद्रास रिफाइनरी, मद्रास ।

**आंध्र प्रदेश**

**केन्द्रीय क्षेत्र**

**तीसरी योजना**

1. सिंथेटिक ड्रग्स प्लाँट, सनतनगर ।
2. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लि०, हेवी पावर इंचिन्वसमेंट प्लांट, रामचन्द्रपुरम ।
3. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लि० स्विचगियर परियोजना, रामचन्द्रपुरम ।
4. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद ।
5. प्रागा टूल्स लि०, सिकन्दराबाद ।

### जयनाद और आसिफाबाद (आंध्र प्रदेश) में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिया जाना

3317. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के जयनाद और आसिफाबाद में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस दिये जाने की तिथि क्या है तथा पार्टियों के नाम और कारखानों की उत्पादन क्षमता क्या है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के जयनाड तथा आसिफाबाद में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिये कोई भी औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है । फिर भी, मे० एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लि०, बम्बई को सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने तथा आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के मछेरियरम कारखाने का विस्तार करने के लिये सितम्बर, 1954 तथा दिसम्बर, 1957 में लाइसेंस दिये गये थे । कारखाने की कुल क्षमता 3,35,240 मी० टन प्रति वर्ष है ।

### आंध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये सहायता की मांग

3318. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक परियोजनाओं के नाम क्या है जिन्हें चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में आंध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिये धन का निपटान किया गया है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में प्रोत्साहन देने के लिये अधिक सहायता की मांग की है; और

(ग इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) चतुर्थ योजना की अवधि में आंध्र प्रदेश के औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना करना सम्मिलित है अर्थात हैदराबाद में द्वितीय केवल कारखाना, और रामगुंडम में उर्वरक एकक तथा अधिष्ठापित सरकारी क्षेत्र (केन्द्रीय) एककों का पूरा करना विस्तार

करना है जिनमें–भारत हैवी प्लेट ऐण्ड वेसल्स, विशाखापतनम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रामचन्द्रपुरम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, इंडियन ड्रग्स ऐण्ड फारमेस्युटिकल्स, हैदराबाद और हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्नम शामिल हैं।

राज्य क्षेत्र में राज्य औद्योगिक विकास निगम का विचार स्कूटरों, इलेक्ट्रानिक उपकरणों, मोटर गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों, मोटर गाड़ी का सहायक सामान आदि के बनाने के लिए एकक स्थापित करने का है।

(ख) तथा (ग) : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के स्थान के बारे में निर्णय करते समय तकनीकी-आर्थिक और अन्य बातों को जिनमें विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष औद्योगिक पिछड़ापन भी सम्मिलित है, ध्यान में रखना पड़ता है और इस शर्त के अधीन स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर निश्चय ही ध्यान दिया जायेगा। आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को वित्तीय संस्थाओं-जैसे भारत औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक वित्त निगम भारत औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम से रियायती दर पर वित्त दिलाने के लिए चुना गया है। नालगोंडा, मेडाक, महबूबनगर, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, चित्तूर, अानन्तपुर, कुरनूल और निजामाबाद।

उनके द्वारा दी गई मुख्य रियायतें इस प्रकार हैं :--

(1) कम व्याज दर पर ऋण देना ;

(2) ऋण अदायगी की प्रारम्भिक मोहलत की अवधि को आगे बढ़ाना।

(3) ऋणों के चुकाने की अवघि लम्बी करना ;

(4) प्रतिभूति कम करना ;

(5) प्रवर्तकों से कम अंशदान स्वीकार करना ;

(6) जनता द्वारा खरीदे गए हिस्सों और ऋणपत्रों के खरीदने की जिम्मेदारी लेने पर कम कमीशन लेना ; तथा

(7) निगमों आदि द्वारा उनकी सेवाओं के लिये कम कमीशन वसूल करना।

साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस योजना के परिणामस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों को परियोजना की 50 लाख रु० तक की कुल पूँजीगत लागत के दसवें भाग के बराबर आर्थिक सहायता देगी। ऐसे मामलों में जहां अधिक पूंजी परिव्यय किया जाना है, गुणावगुण के आधार पर आर्थिक सहायता की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। यह आर्थिक सहायता आंध्र प्रदेश के दो जिलों को दी जायेगी जिनका चयन अभी किया जाना है।

## आंध्र प्रदेश में पोचमफाद परियोजना के अन्तर्गत भूमि

3319. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पोचमफाद परियोजना द्वारा जलमग्न क्षेत्र के अन्तर्गत कितने गांव, भूमि और परिवार प्रभावित होंगे ;

(ख) प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को कितनी भूमि मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव है और कितनी भूमि का आवंटन मूल्य अदा करने पर दिया जायेगा ; और

(ग) क्या उक्त प्रयोजन के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध है और यदि नहीं तो, विस्थापित

व्यक्तियों को वितरित करने के लिए इस परियोजना द्वारा सिंचित होने वाली गैर-सरकारी "पलटा" भूमि का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने पोचमपाद परियोजना से जलमग्न होने वाले क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित विवरण भेजे हैं :—

| | |
|---|---|
| पूर्ण जलमग्न होने वाले गांवों की संख्या | 38 |
| अंशत: जलमग्न होने वाले गाँवों की संख्या | 9 |
| उन गांवों की संख्या जहां आंशिक रूप में भूमि जलमग्न होगी | 35 |
| जलमग्न भूमि | 83,000 एकड़ |
| प्रभावित परिवारों की संख्या | 18,300 |

(ख) प्रत्येक परिवार को जलमग्न क्षेत्र के बराबर भूमि, जो कि अधिक से अधिक 5 एकड़ खुश्क या 2 एकड़ पानी वाली होगी, नि:शुल्क आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त पुनर्वास केन्द्रों में नि:शुल्क मकान स्थल भी आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बाजार भाव पर कीमत देने पर भी कोई और आवंटन नहीं किया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केवल सरकारी भूमि, या तो वंजर या जंगली, ही दी जाएंगी। राज्य सरकार के पास निजी पट्टा भूमि का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## मनमाड और बम्बई के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

3320. **श्री जेड० एम० काहनडोल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनमाड और बम्बई के बीच, इस मार्ग पर भारी यातायात को देखते हुए, एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का है ;

(ख) क्या पूना और नासिक तथा त्रिम्बक और नासिक के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्तावों को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी में फिल्मों का उत्पादन

3321. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार उटकमण्ड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० ने किस किस्म की फिल्मों का उत्पादन किया ;

(ख) क्या कम्पनी ने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या कम्पनी घाटे में चल रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०, ऊटकमण्ड द्वारा बनाई गई फिल्मों की किस्में :

| 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 |
|---|---|---|
| (1) सिने फिल्म पाजिटिव (ब्लैक ऐण्ड व्हाइट) | (1) सिने फिल्म पाजिटिव (ब्लैक ऐण्ड व्हाइट) | (1) सिने फिल्म पाजिटिव (ब्लैक ऐण्ड व्हाइट) |
| (2) चिकित्सा एक्स-रे फिल्म | (2) चिकित्सा एक्स-रे फिल्म | (2) सिने फिल्म साउंड |
| | | (3) एक्स-रे फिल्म |
| | | (4) रोल फिल्म |
| | | (5) 35 मि०मी० निगेटिव फिल्म |

**(ख) तथा (ग)** : जी, नहीं। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी को आशा है कि वह उत्पादन प्रारम्भ होने अर्थात 1971-72 के पश्चात पांच वर्षों में अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगी।

(घ) जी, हां। हानि का मुख्य कारण निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन होना तथा टूट फूट और ब्याज के लिये की गई व्यवस्था है। कम्पनी ने आयात प्रतिस्थापन के लिये एक जोरदार कार्यक्रम भी तैयार किया है। इसका तात्पर्य यह है कि आयातित कच्चे माल की तुलना में उत्पादन करने वाले एकक के लिये देशी कच्चे माल की लागत होती है। दूसरे शब्दों में वाणिज्यक स्तर पर उत्पादन शुरू करने के तीन वर्षों के भीतर कारखाने की वित्तीय स्थिति के बारे में निर्णय करना समय से पूर्व होगा।

### सिनेमा कार्बनों का उत्पादन

3322. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिनेमा कार्बनों का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या कार्बन का उत्पादन करने वाली वर्तमान कम्पनियां फिल्म उद्योग की आवश्यकता को पूरा कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि फिल्म बनाने वाली प्रमुख कम्पनियां दक्षिण भारत में स्थापित हैं क्या दक्षिण भारत में ऐसी कार्बन निर्माता कम्पनियों के नये लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है।

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) विगत तीन वर्षों में उत्पादन के आंकड़ें नीचे दिये जा रहे हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1968 | 5,185 | लाख जोड़े |
| 1969 | 4,065 | लाख जोड़े |
| 1970 | 6,087 | लाख जोड़े |
| 1971 (प्रथम तिमाही) | 1,814 | लाख जोड़े |

(ख) जी नहीं, फिल्म उद्योग की आवश्यकता सुस्थापित आयातकों को आयात लाइसेंस जारी करके और राज्य व्यापार निगम को तदर्थ लाइसेंस देकर भी पूरी की जा रही है।

(ग) मे० वेस्ट ऐण्ड कम्पनी, मद्रास को उसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए आशय-पत्र मंजूर किया गया है।

### गजूला डिन्ने परियोजना, आंध्र प्रदेश

3323. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले की गजूला डिन्ने परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को राज्य सरकार के किसी ऐसे प्रस्ताव की जानकारी है कि परियोजना के आयुक्तदारों से अग्रिम खुशहाली कर वसूल किया जाय ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) : गन्जूला दिन्नें परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 96.36 लाख रुपये है और जिससे 12,500 एकड़ भूमि भी की सिंचाई प्रस्तावित है और जिसमें 2.5 टी० एम० सी० पानी का उपयोग परिकल्पित है, योजना आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए दिसम्बर, 1966 में स्वीकार की गई थी। इस स्कीम को चतुर्थ योजना के अन्त तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

(ग) जी नहीं।

### नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण

3324. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण-कार्य संभवत: कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) कितनी एकड़ भूमि को अब तक सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा चुका है ; और

(ग) परियोजना के पूरे होने के पश्चात कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) : नागार्जुनासागर बांध लगभग पूर्ण हो चुका है। 9.66 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई शक्यता की व्यवस्था करने के लिए नहर प्रणाली भी अंशतः पूर्ण हो गई है।

(ग) 20.54 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई शक्यता प्रदान करने के लिए शेष नहर प्रणाली के, जिससे सिंचाई शक्यता बढ़कर 20.54 लाख एकड़ हो जाएगी, चौथी योजना के काफी हद तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

### नागार्जुन सागर परियोजना पर व्यय

3325. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना का पुनरीक्षित अनुमानित खर्च क्या है तथा गत वर्ष के अन्त तक इस पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई है ;

(ख) केन्द्र द्वारा सहायता के रूप में दिये गये ऋण पर किस दर से ब्याज लिया गया है तथा किस वर्ष से ब्याज वसूल किया जा रहा है ; और

(ग) वर्ष 1969 के अन्त तक कुल कितना ब्याज वसूल किया गया तथा क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे ब्याज का भुगतान कर दिया था ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) : योजना आयोग ने नागार्जुनासागर परियोजना 91.12 करोड़ की लागत पर 1960 में स्वीकार की थी। बांध की 163.54 करोड़ रुपये की अद्यतन लागत के संशोधित अनुमान को योजना आयोग ने जून, 1969 में स्वीकार किया था। राज्य सरकार से यह पता चला है कि अनुमान के और संशोधन पर विचार किया जा रहा है। परियोजना पर 31 मार्च, 1971 तक 168.98 करोड़ रुपये व्यय हुए।

(ख) मार्च, 1969 तक परियोजना के लिए ऋण कुल केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में दिए जा रहे थे और इन ऋणों के लिए ब्याज की दरें निम्नलिखित थीं :

| के दौरान स्वीकार किए गए ऋण | ब्याज की दर |
|---|---|
| 1955 से मार्च 1958 तक | 31-3-58 तक $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत और इसके बाद 3 प्रतिशत |
| अप्रैल, 1958 से अक्तूबर, 1962 तक | $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत |
| फरवरी, 1963 से फरवरी, 1965 तक | $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत |
| मई, 1965 से मार्च, 1969 तक | $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत |

अप्रैल, 1969 से, परियोजना के लिए कोई भी केन्द्रीय सहायता पृथक रूप से नहीं दी जाती। आंध्र प्रदेश को कुल केन्द्रीय सहायता में से 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 70 प्रतिशत ऋणों के रूप में दी जाती है ; इसमें से ऋण वाले भाग पर 5 प्रतिशत ब्याज लगता है। आंध्र प्रदेश सरकार जून, 1963 से ब्याज दे रही है।

(ग) 31 मार्च, 1969 तक ब्याज की रकम 34.36 करोड़ रुपये थी और यह राज्य सरकार द्वारा दी गई थी।

### तुंगभद्रा उच्चस्तर नहर योजना पर व्यय

3326. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना (आंध्र प्रदेश) की दूसरी अवस्था पर खर्च का संशोधित अनुमान कितना है ; और

(ख) इसके निर्माण पर प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा अलग अलग कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ग) वर्ष 1971-72 के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय को पता है कि उस क्षेत्र में लगातार अकाल की स्थिति रहने के कारण वहाँ की जनता निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने से बहुत दुखित है ; और

(ङ) यदि हां, तो निर्माण कार्य समयानुसार शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) :** (क) योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश में 11.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर स्कीम (द्वितीय चरण) को जनवरी, 1967 में स्वीकार कर लिया था। राज्य सरकार से यह पता चला है कि इस परियोजना की संशोधित लागत लगभग 16 करोड़ रुपये हो सकती है। फिर भी, राज्य सरकार से अभी तक संशोधित प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (ङ) सिंचाई परियोजना राज्य योजनाओं का ही अंग होती है और इनके लिए परिव्यय का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक योजनाओं के पूरे ढांचे के अन्तर्गत ही किया जाना होता है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना पर किया जाने वाला परिव्यय नीचे लिखे अनुसार है :—

| वर्ष | (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1968–69 तक | 218.95 |
| 1969–70 | 182.35 |
| 1970–71 | 198.84 (प्रत्याशित) |

1971–72 के लिए 200 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

### पोंग बांध (हिमाचल प्रदेश) क्षेत्र में जारी किए गए पंचाट

3327. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बाँध (हिमाचल प्रदेश) क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में कितने पंचाट जारी किए गए हैं; और

(ख) जून, 1971 तक पानी के नीचे आने वाले क्षेत्रों के संबंध में किस तारीख तक सब पंचाट जारी कर दिए जाएंगे ?

**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) :** (क) 43.

(ख) जून, 1971 के अन्त तक जिन क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने की संभावना है उनके संबंध में सभी पंचाट दे दिये गए हैं।

### कालीकट के निकट मावूर में ग्वालियर रेयन पल्प फैक्टरी का बन्द किया जाना

3328. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट के निकट मावूर में स्थित ग्वालियर रेयन पल्प कारखाना कच्चे माल की कमी के कारण बन्द कर दिया गया है; और

(ख) कच्चे माल की व्यवस्था करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) :** जी,

नहीं फर्म द्वारा भेजी गई मई, 1971 की नवीनतम मासिक उत्पादन विवरणी से पता चलता है कि वार्षिक अनुरक्षण के कारण कारखाना 19 अप्रैल, 1971 से 15 मई, 1971 तक बन्द था। यद्यपि फर्म कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रही है तो भी रेयन ग्रेड लुग्दी का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस बात का सुनिश्चिय करे कि कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में बाधा न पड़

**तूफानों सम्बंधी समिति का प्रतिवेदन**

3329. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा नियुक्त और बैधशाला महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति ने तूफानों से होने वाली कठिनाइयों और हानि को दूर करने के उपायों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या उपाय सुझाया है; और

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**सिचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग)** : जी, हाँ। समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 1971 में प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने 49 सिफारिशें की है, जिनमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं :

1. कलकत्ता और मद्रास में उच्च शक्ति वाले प्रभंजन-तीव्रता निर्देशक रडारों का प्रतिष्ठापन;

2. हवाई टोह उड़ानों के लिए मौसम वैज्ञानिक संयंत्रों से सुसज्जित वायुयान का प्रावधान;

3. चक्रवातीय तूफानों का पता लगाने और उनका दिशा-ज्ञान करने की पूर्व-सूचना क्षमताओं में सुधार करने के लिए चक्रवातों पर संतत अनुसंधान;

4. विशाखापत्तनम् में तूफान चेतावनी केन्द्र की स्थापना;

5. चक्रवात चेतावनियों और विपत्ति सूचनाओं को शीघ्र भेजने के लिए संचार सुविधाओं में सुधार;

6. चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत चक्रबात-प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त आश्रय-गृहों का निर्माण;

7. फसलों को होने वाली क्षति को कम करने के लिये प्रत्येक चक्रवात-प्रवण जिले में शोषक यंत्रों (ड्रायर्स) की व्यवस्था :

8. बाढ़ सहायता समिति के आधार पर राज्य और अन्य स्तरों पर चक्रवात सहायता समिति की स्थापना।

9. चक्रवात के आ जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में चक्रवात-प्रवण क्षेत्रों के लोगों की जानकारी के लिये प्रकाशन सामग्री को तैयार करना और वितरण करना।

समिति ने आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों के वास्ते एक माडल चक्रवात स्कीम की रूप रेखा

भी तैयार की है जिसमें चक्रवातों और बाढ़ों के कारण होने वाली संपत्ति की क्षति और मनुष्यों की यातनाओं को कम करने के उपायों के आयोजन एवं संगठन हेतु सुझाव दिये गए हैं।

सिफारिशों को आन्ध्र प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के विभागों, जैसे डाक और तार, रेलवे, अखिल भारतीय आकाशवाणी, भारतीय मौसमविज्ञान विभाग; सिविल विमानन और केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। सिफारिशों की जांच-पड़ताल और कार्यान्वयन करने के लिये रिपोर्ट को सभी संबंधित विभागों को भेज दिया गया है।

**प्रोटीन निर्माताओं को सुविधाएं**

3330. **श्री निहार लास्कर : श्री पी० गंगादेव :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास के महानिदेशक ने सरकार से प्रोटीन आहार निर्माताओं को कुछ सुविधाएं देने का अनुरोध किया है ताकि वे देश में जनसंख्या के निर्धन वर्ग को कम मूल्य पर पोषक आहार उपलब्ध करा सकें;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत आहार पर क्या लागत आएगी, और

(ग) क्या सरकार परीक्षण के तौर पर इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क से (ग) : खाद्य उद्योग के युक्तिसंगत विकास संबंधी समिति की अंतिम रिपोर्ट की जिसमें तकनीकी विकास के महानिदेशालय का भी प्रतिनिधित्व है, अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

**निर्यात प्रधान कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार कार्य के लिये एकाधिकार गृहों को लाइसेंस**

3331. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें निर्यात को प्रधानता देने के लिये बड़े एकाधिकार गृहों को विस्तार कार्य के लिये लाइसेंस दिये हैं यद्यपि लघु-उदयोगों में उन उत्पादों को बनाया जा सकता था; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों को निपटाने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) 25 जुलाई 1970 को यह घोषित किया गया था कि निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसे उदयोगों के बारे में जो केवल लघु क्षेत्र में विकास करने के लिए आरक्षित कर दिये गये हैं नई क्षमता का विस्तार करने अथवा उत्पन्न करने के लिए लघु एककों के अलावा और (एककों) से भी प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा सकता है यदि वे अधिक से अधिक तीन साल की अवधि में प्राप्त हो जाने वाले नये अथवा अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने का उत्तरदायित्व लें। 26 जुलाई, 1970 से 30 अप्रैल, 1971 की अवधि में किसी भी ऐसी कम्पनी को, जो बड़े संस्थानों से संबंधित हो, अथवा उनके द्वारा नियंत्रित हो, केवल लघु क्षेत्र में विकास के लिये आरक्षित उदयोग का पर्याप्त विस्तार करने हेतु कोई भी औदयोगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत पर्याप्त विस्तार के लिए औदयोगिक लाइसेंस हेतु बड़े

औद्योगिक संस्थानों से जब भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे तो उन पर गुणावगुण और प्रत्येक मामले में लागू होने वाले नियम के अनुसार विचार किया जायेगा।

**बजट के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि**

3332. **श्री बी० के० दास चौधरी : श्री एच० एम० पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिदिन के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की तथा समाज के निर्धन समुदाय पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ख) क्या यह समस्या लोक सभा में बजट के पेश होने के तुरन्त बाद सामने आई है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों की इस अत्याधिक वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) :** 29-5-71 और 5-6-71 को 36 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक थोक मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 557/71] इससे पता चलेगा कि बजट प्रस्तुत करने के बाद तम्बाकू की बनी वस्तुओं, पैट्रोल, वनस्पति गुड़ तथा मिट्टी के तेल के थोक मूल्यों में वृद्धि हो गई है जब कि अनेक वस्तुओं के थोक मूल्य या तो उतने ही रहे हैं या कम हो गए हैं।

(ग) मूल्य स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार सभी संभव उपाय कर रही है और मूल्यों को प्रभावित करने वाली नीतियों तथा उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

**कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले**

3333. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामलों की संख्या सबसे अधिक है;

(ख) अप्रैल, 1971 तक कितने मामले अनिर्णीत थे; और

(ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :** (क) जी हां।

(ख) ऐसे मामलों की संख्या 1 अप्रैल, 1971 को 72,459 थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

राज्य प्राधिकारियों को दिसम्बर, 1967 में सलाह दी गई थी कि वे बाकी मुकदमों को शीघ्रता के साथ निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय करें :

(i) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कितने मुकदमें संस्थित किए जाते हैं, कितने

निपटाए गए हैं और कितने मुकदमें ऐसे हैं जो निपटाए जाने के लिये लम्बित हैं, प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में इतनी वृद्धि की जानी चाहिए जितनी आवश्यक हो;

(ii) उच्च न्यायालयों में रिक्तियां अविलम्ब भरी जानी चाहिए;

(iii) जब कभी सेवारत न्यायाधीश अपने काम से हटा कर दूसरे काम पर लगाया जाता है तथा छः मास के भीतर उसका उच्च न्यायालय को वापिस आना संभाव्य नहीं है, तब उसके स्थान पर एक अपर या तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे उच्च न्यायालय में काम न रुके।

परिणामस्वरुप, गत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या 32 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है। अपर न्यायाधीश के नौ पद भी स्थायी न्यायाधीश के पदों में परिवर्तित कर दिए गए हैं।

भारत के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में एक समिति, उच्च न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की समस्या का समाधान निकालने तथा सुधार करने वाले अन्य उपायों के सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई है। समिति से यह आशा भी की जाती है कि वह विधिक प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन सुझाएगी जैसे मुकदमों को शीघ्रता के साथ निपटाने के लिए आवश्यक हों। उच्च न्यायालयों में, जिनमें से एक कलकत्ता उच्च न्यायालय भी है, बाकी मुकदमों की संख्या कम करने के लिए और उपाय समिति की सिफारिशों को देखने के बाद किए जाएंगे।

विधि आयोग ने सिविल मुकदमा कार्य में विलम्ब न होने देने या उसे कम करने और इस प्रकार खर्चों को घटाने की दृष्टि से अपनी सत्ताईसवीं रिपोर्ट में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ विनिर्दिष्ट संशोधनों के सुझाव दिए हैं। विधि आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधनों को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक, संसद में पुरःस्थापित करने का विचार है।

विधि आयोग ने दाण्डिक मामलों की प्रक्रिया विधि को संशोधित करने के लिए भी कई सिफारिशें की हैं। उनमें से अधिकांश को सरकार ने मंजूर कर लिया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिए एक विधेयक इस समय संसद की प्रवर समिति के सामने है।

**ब्यास तथा सतलुज लिंक परियोजना के कर्मचारियों के लिए उपदान योजना**

3334. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास तथा सतलुज लिंक परियोजना, मंडी, जिला सुन्दर नगर (हिमाचल प्रदेश) के कर्मचारियों के लिए उपदान की कोई व्यापक योजना नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ब्यास तथा सतलुज लिंक परियोजना कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की किसी योजना को तैयार करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बजनाथ कुरील)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि परियोजना पर नौकरियाँ अस्थायी किस्म की हैं, व्यापक उपदान (ग्रेच्युटी) स्कीम को लागू करना जरूरी नहीं समझा गया है। बहरहाल, परियोजना के कर्मचारियों को जो कर्मचारी

भविष्य निधि स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते, अधिवर्षिता (सुपरऐनुशन) प्राप्त कर लेने पर, यदि उन्होंने परियोजना में 5 वर्ष की लगातार नौकरी पूरी कर ली हो तो, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के 15 दिन के औसत वेतन के बराबह अनुग्रहपूर्वक मुआवजा विशेष मामले के तौर पर दिया जाता है।

**उत्तरी बिहार में नमक का बढ़ा हुआ मूल्य**

3335. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के उत्तरी जिलों, सहरसा, दरभंगा, पूर्णियां आदि में नमक का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो नमक के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उसे उत्तरी बिहार के किसी भी जिले में नमक के मूल्य बढ़ जाने के बारे में कोई भी समाचार नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बोनस योजना के सम्बंध में कर्मचारियों और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कलमासारी के प्रबंधकों के बीच समझौता**

3336. **श्री देविन्दर सिंह गारचा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई प्रोत्साहन बोनस योजना के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कलमासारी और विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस समझौते का क्षेत्र हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्य एककों तक भी बढ़ाया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी, हाँ।

(ख) नई प्रोत्साहन बोनस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष कारीगर को एक मास में प्रत्येक मानक घंटे के उत्पादन के आधार पर व्यक्तिगत प्रोत्साहन बोनस मिलता है। अप्रत्यक्ष कर्मचारियों को प्रत्यक्ष हकदार कारीगरों की औसत आय के 70 प्रतिशत के बराबर सम्पूर्ण उत्पादन बोनस मिलता है जो सम्पूर्ण उत्पादन का एक मास में प्रति व्यक्ति कम से कम 22 मानक घन्टों के बराबर होने पर मिलता है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन बोनस साठ मानक घंटों पूरे हो जाने पर 50 पैसे प्रति मानक घंटा होता है और इससे कम होने पर थोड़ा प्रतिपूरक भुगतान किया जाता है।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्य एककों ने पहले से ही प्रोत्साहन बोनस योजना लागू कर रखी है।

**मैसूर सरकार द्वारा हेमवती पर बांध के निर्माण का तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा विरोध**

3337. **श्री कल्याण सुन्दरम :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार द्वारा हेमवती पर बांध बनाने के विरोध में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, इस ख्याल से कि विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से कैसे हल किया जा सकता है, तमिलनाडु, मैसूर और केरल राज्यों के बीच कावेरी जल के बारे में विवाद के सभी पहलुओं पर, ध्यानपूर्वक विचार कर रही है ।

### केरल राज्य में गोश्त तैयार करने का कारखाना स्थापित करने के लिये आवेदन

3339. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल में गोश्त तथा उससे बनने वाले पदार्थों को तैयार करने तथा उनका निर्यात करने हेतु एक कारखाना स्थापित करने के आदेश को अस्वीकार कर दिया है, जिस पर केरल सरकार ने सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

### लाइसेंसों के लिये केरल के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

3340. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के लिये सिफारिश के साथ भेजे गये कितने प्रार्थना पत्र भारत सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) लाइसेंस देने में देरी करने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) 31 मई, 1971 तक केरल के औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृत के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों में से 35 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करते समय प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की काफी विस्तार से जांच करनी आवश्यक होती है और किन्हीं विशेष आवेदनों के निपटान में बहुधा कई कारणों से विलम्ब हो जाता है । कुछ मामलों में तो आवेदन पत्रों में सभी आवश्यक विवरण नहीं दिये होते हैं और अतिरिक्त जानकारी मंगानी पड़ती है । फिर भी उन्हें शीघ्र ही निपटाये जाने का सुनिश्चय करने के लिए सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं ।

### भारतीय रेलवे में हड़ताल

3341. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 और 1970–71 में भारतीय रेलवे में कितनी बार हड़ताल हुई ;

(ख) किन-किन स्थानों पर ये हड़तालें हुई तथा उसके क्या कारण थे ; और

(ग) उनका समझौता कैसे किया गया ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग)** : एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 558/71]

### स्थायी रेलपथ श्रमिकों की कठिनाइयों के सम्बंध में सदर्न रेलवे इंजीनियरिंग लेबर एसोसिएशन, मैसूर की ओर से ज्ञापन

3342. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदर्न रेलवे इन्जीनियरिंग लेबर एसोसिएशन मैसूर की ओर से हाल में स्थायी रेलपथ श्रमिकों की कठिनाइयों के बारे में ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) दक्षिण रेलवे पर मैसूर मण्डल के रेलपथ निरीक्षक के अधीन काम कर रहे कुछ इंजीनियरी कर्मचारियों से सम्बन्धित शिकायतों की एक सूची जो माननीय सदस्य द्वारा भेजी गयी है, प्राप्त हो गयी है ।

(ख) इन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

### Rates of water supplied for Irrigation

*3343. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Fifth Conference of the Irrigation and Power Ministers in the States was held in Ootacamund last year ;

(b) whether at the said conference he had expressed his views about enhancing the rates of water supplied for irrigation purposes ; and

(c) if so, the basis thereof and the decision taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) to (c)** : Irrigation facilities are available only to the farmers in the areas commanded by irrigation systems, on which Government have made substantial investments. It is appropriate that the beneficaries should pay for these facilities to the extent possible and not impose a burden on the rest of the community. While prices of agricultural produce have gone up and cultivators have been deriving higher profits from irrigated land, there has not been commensurate increase in water rates ; the costs of maintenance and operation have, in the meanwhile, been going up steeply.

Further in recent years, the resources of the States for the planned development have been dwindling for various reasons. Therefore the need for mobilising adequate resources for the plan, by way of enhancement of water rates, has assumed great importance.

This question was considerd by the Fifth Conference of State Ministers of Irrigation and Power held at Ootacammund in September 1970, and the Conference adopted a resolution recommending to the States that water rates be fixed in an equitable way so as to meet the maintenance and operation charges and interest at the rate of $2\frac{1}{2}$ percent. The resolution has been forwarded to the State Governments to take appropriate action in this regard.

**बरास्ता वैशाली हाजीपुर से सगौली तक नई रेल लाइन का बिछाया जाना**

3344. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाजीपुर और सगौली (बिहार) के बीच का क्षेत्र बहुत सघन आबादी वाला है और वहां चलने वाली सवारी और माल गाडियों की संख्या बहुत अपर्याप्त है, सरकार का विचार इन दोनों स्थानों के बीच बरास्ता वैशाली एक रेलवे लाइन बिछाने का है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : जी नहीं।

**बिहार में पालजाघाट के प्लेटफार्म पर शेड का निर्माण**

3345. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर बिहार में पालजाघाट प्लेटफार्म पर एक शेड बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या यह भी प्रस्ताव है कि प्लेटफार्म को उस स्थान तक बढ़ा दिया जाये जहां स्टीमर रुकता है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** :(क) और (ख) पहलेजाघाट गंगा के तट पर एक अस्थायी स्टेशन है और 100'×25' माप का एक शेड पहले से ही मौजूद है जो पर्याप्त समझा जाता है ।

(ग) प्लेटफार्म जेटी से लगभग 800 फुट की दूरी पर स्थित है । चूंकि नदी की लहरों से इस स्टेशन के प्रभावित होने की आशंका है इसलिए जेटी तक प्लेटफार्म का विस्तार करने का औचित्य नहीं समझा जाता ।

**अलवर और जयपुर के बीच शटल ट्रेन-सेवा आरम्भ करना**

3346. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में कार्यालयों के खुलने से पहले वहां यात्रियों को ले जाने के लिए अलवर और जयपुर के बीच 6 बजे प्रातः के पश्चात् कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या इस वजह से अलवर और जयपुर अथवा जयपुर और बांदीकुई के बीच एक शटल ट्रेन चालू करने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त शटल ट्रेन चालू करने का है और यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां, ऐसी कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है और न व्यावहारिक रुप से हर स्टेशन पर ठहरने वाली ऐसी सवारी गाड़ी की व्यवस्था करना ही सम्भव है जो अलवर और जयपुर के बीच की 150 कि० मी० दूरी को 4 घन्टे से कम में पूरा कर सके।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) बांदीकुई–जयपुर खण्ड में लाइन क्षमता और जयपुर में टर्मिनल क्षमता का अभाव है।

**उच्च श्रेणी के सीजन टिकटों में किरायों में वृद्धि के कारण रेलवे को घाटा**

3347. **श्री पीलू मोदी :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1970 से उच्च श्रेणी के किरायों में वृद्धि किये जाने के कारण उच्च श्रेणी के सीजन टिकटों से होने वाली आय में वास्तव में काफी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे होने वाले घाटे को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**अखिल भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक लिपिक संघ के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा 1 अप्रैल, 1970 को ज्ञापन दिया जाना**

3348. **श्री पीलू मोदी : श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल 1 अप्रैल, 1970 को भूतपूर्व रेल मंत्री से मिला था तथा उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ख) क्या ज्ञापन में उठाए गये मामलों की व्यवस्था करने वाली टिप्पणियां भी उन्हें बाद में दे दी गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ जो मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, के कुछ प्रतिनिधियों ने 31-3-1970 को भूतपूर्व रेल मंत्री को अपनी मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया था।

(ख) अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा वितरित 'छठा अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक सम्मेलन, दिल्ली 1970 का समाचार दर्शन' नामक एक पुस्तिका मिली थी, जिसमें ज्ञापन में उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में टिप्पणियां दी गयी थीं।

(ग) संघ की मांगों की जांच की गयी थी लेकिन चूंकि अधिकांश मांगें ऐसी हैं जिन पर तीसरे वेतन आयोग द्वारा पहले से ही विचार किया जा रहा है इसलिए अभी उन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

**मदुरै डिवीजन के स्टेशनों से सहायक क्लर्क इंचार्जों को वापस बुलाना (दक्षिण रेलवे)**

3349. **श्री पीलू मोदी : श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
**श्री पन्ना लाल बारुपाल :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मदुरै डिवीजन के त्रिवेन्द्रम मध्य से एरनाकुलम जंक्शन तक के स्टेशनों को एक व्यक्ति स्टेशनों में बदल दिया गया है तथा इन स्टेशनों के सहायक क्लर्क इन्चार्ज के पदों को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) सहायक क्लर्क इन्चार्जों के पदों को समाप्त करने की किन कारणों से आवश्यकता पड़ी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को आल इण्डिया रेलवे कामर्शियल क्लर्क्स एसोसिशएन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्र) द्वारा कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसने क्या प्रतिवेदन दिया है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) इस खण्ड के केवल तीन स्टेशनों, अर्थात् वैकम रोड, कांजीरमट्टम और चैरियानद, से एक-एक सहायक क्लर्क इंचार्ज हटा लेने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) इन तीन स्टेशनों के कार्यभार के लिए एक से अधिक वाणिज्य क्लर्क का औचित्य नहीं है।

(ग) आल इण्डिया कमर्शियल क्लर्कस एसोसिएशन का अभ्यावेदन मिलने पर, स्थिति की पुनरीक्षा की गयी थी, लेकिन विनिश्चय किया गया कि इन प्रस्तावों पर विचार किया ही जाना चाहिए, क्योंकि इन स्टेशनों के वर्तमान कार्यभार के लिए एक से अधिक वाणिज्य क्लर्क का औचित्य नहीं है।

(घ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) से इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि उन्होंने इस मामले में कोई जांच की है।

### लछमीपुर और नायकोट रेलवे स्टेशनों के बीच भागीरथी नगर फ्लैग स्टेशन का निर्माण

3350. **प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर-नौतनवाँ ब्रांच लाइन पर लक्ष्मीपुर और नामकोट रेलवे स्टेशनों के बीच में उस भागीरथी नगर फ्लैग स्टेशन का निर्माण किस स्थिति में है जिसका पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) :** फ्लैग स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन लछमीपुर और नाइकोट स्टेशनों के बीच गाड़ी हाल्ट खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

### उदयपुर जिले में माल डिब्बों की कमी के कारण उत्पादन को हानि पहुंचना

3351. **श्री पी० गंगादेव :**　　　　**श्री राम सेवक प्रसाद सिंह :**

**श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उदयपुर जिले की झामर कोटड़ा खान में माल डिब्बों की कमी के कारण राक फास्फेट के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम के मुख्य स्थलों, उड़ीसा तथा बिहार के लौह अयस्क उद्योग में इस वर्ष मई के महीने में माल डिब्बों की कमी के कारण ऐसी ही स्थिति हो गई थी ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) उदयपुर से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अधिक राक फास्फेट भेजा गया है। 1 जनवरी से 20 जून, 1971 तक की अवधि में राक फास्फेट के 3,422 माल डिब्बे लादे गये जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,804 माल डिब्बों का संचलन हुआ था।

(ख) मई, 1971 में खान और धातु व्यापार निगम के लेखे में लोह अयस्क का संचलन मई, 1970 की अपेक्षा लगभग 46,000 मीटरिक टन कम था। इसमें से, 22,000 मीटरिक टन की कमी मई, 1971 में भिलाई इस्पात कारखाने के लिए और 24,000 मीटरिक टन की कमी पारादीप बन्दरगाह के लिए कोई कार्यक्रम न होने के कारण हुई। इसका कारण, विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों के कारण पूर्वी क्षेत्र में माल डिब्बों के बहुत अधिक रुक जाने की वजह से अस्थायी तौर पर उनकी उपलब्धि में कमी थी।

**राजस्थान में सेलखड़ी उद्योग के लिये मालडिब्बों की कमी**

3352. **राजमाता कृष्णा कुमारी जोधपुर** : **डा० कर्णी सिंह** :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सेलखड़ी उद्योग माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने कारखाने बन्द हो गये हैं तथा कितने कारखानों ने जबरी छुट्टी की है;

(ग) माल डिब्बों की कमी के कारण निर्यात आदेशों के रद्द किये जाने के फलस्वरूप कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा की हानि हुई;

(घ) इस उद्योग को प्रति दिन कितने माल डिब्बों की आवश्यकता रहती है तथा इस समय इस आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा किया जाता है; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) से (ङ) : उदयपुर और जयपुर क्षेत्रों और भीलवाड़ा के स्टेशनों से सेलखड़ी भेजने के लिए आती है। यह यातायात निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होता और माल डिब्बों की सप्लाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर आयी हुई मांगों और इन क्षेत्रों में होने वाले आवश्यक ऊंची अग्रता वाले यातायात की ढुलाई की वचनवद्धता के अनुरूप तरजीही तौर पर व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष सेलखड़ी की ढुलाई पिछले वर्ष से अधिक हुई है। 1 जनवरी से 20 जून 1971 तक की अवधि में 4057 माल डिब्बों में सेलखड़ी का लदान हुआ था जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में केवल 3646 मालडिब्बों की ढुलाई की गयी थी।

(ख) रेल मन्त्रालय को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) रेल मन्त्रालय अपेक्षित सूचना देने की स्थिति में नहीं है।

### मीराज-बंगलौर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

3353. **श्री डी० एस० शरणप्पा अफजल पुरकार श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मीराज बंगलौर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### Land Acquired for Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar

3354. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the acrege of land acquired for Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar ;

(b) the acreage of land re-allotted to the farmers ;

(c) the procedure adopted for re-allotting the land ; and

(d) the criteria proposed to be adopted by Government for allotting the remaining land ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) A total of approximately 6,700 acres of land was originally acquired for Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar. An area of 2385 acres was relinquished or surrendered leaving HEIL with an area of 4315 acres approximately.

(b) to (d) : These are questions within the purview of the State Government.

### राजदूत स्कूटर का मूल्य

3355. **श्री ब्रजराज सिंह—कोटा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजदूत स्कूटर का मूल्य वैस्पा स्कूटर से कहीं अधिक निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) राजदूत स्कूटर का पिछली सीट के मूल्य समेत कारखाने से चलते समय का खुदरा विक्रय मूल्य 2,675.00 रु० निश्चित किया गया है। इसका मूल्य पिछली सीट के मूल्य सहित वैस्पा स्कूटर के कारखाने से चलते समय के खुदरा विक्रय मूल्य से 241.00 रु० अधिक है।

(ख) राजदूत स्कूटर का मूल्य वैस्पा स्कूटर से अधिक है क्योंकि वेस्पा स्कूटर की तुलना में इसका आकार बड़ा है और इसके इन्जन की क्षमता (175 सी सी है) जो वेस्पा स्कूटर (150 सी सी) से अधिक है।

### कोटा में चम्बल नदी पर पुल

3356. **श्री ब्रजराज सिंह—कोटा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोटा में चम्बल नदी पर एक नया पुल बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया)** : (क) जी नहीं। लेकिन कोटा-गुरला के बीच दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में, कोटा के निकट वाले पुल को अतिरिक्त गर्डर लगा कर दोहरा करने का विचार है।

(ख) इस काम को 1971–72 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और आशा है, यह 1974 तक पूरा हो जायेगा।

## राजस्थान में ट्रैक्टर का कारखाना

3357. **श्री ब्रज राज सिंह—कोटा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : मे० भारत इन्डस्ट्रीज ऐण्ड कमशियल कारपोरेशन लि० कलकत्ता को हंगरी के मे० काम्प्लेक्स द्वारा के सहयोग से भरतपुर में दो प्रकार (35 अ० श० और 45 अ० श०) के प्रति वर्ष 10,000 ट्रैक्टर बनाने की कुल क्षमता का कारखाना लगाने के लिए एक आशय-पत्र जारी कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० को भी फ्रांस के मेसर्स रेगी रेनाल्ट के सहयोग से 46 अ० श० के रेनाल्ट ट्रैक्टरों का निर्माण करने हेतु एक कारखाना लगाने के लिये भी एक आशय-पत्र जारी किया गया है। कारपोरेशन ने सरकार को सूचित किया है कि चूंकि फ्रांस की पार्टी ने अपने सहयोग का प्रस्ताव वापस ले लिया है, अतः वे किसी अन्य विदेशी सहयोगी को ढूंढ रहे हैं।

## भवानी मण्डी पर फ्रन्टियर मेल को रोकने का प्रस्ताव

3358. **श्री ब्रजराज सिंह—कोटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फ्रन्टियर मेल को श्यामगढ़ रोकने की बजाय, जैसा कि इस समय होता है, भवानी मण्डी रोकने का प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## रेलवे विद्युतीकरण बिलासपुर के कर्मचारियों को 'कोई काम नहीं' का नोटिस

3359. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण विभाग, बिलासपुर के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को 'कोई काम नहीं' के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) क्या प्रशासन द्वारा दिये गये इन 'कोई काम नहीं' नोटिसों को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को वापिस कार्य पर ले लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) 41 कर्मचारी।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**ब्यास तथा सतलुज लिंक परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नियमित करना**

3360. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास तथा सतलुज लिंक परियोजना, सुन्दरनगर, हिमाचल प्रदेश के कार्य प्रभारित कर्मचारी परियोजनाओं में 10 से 25 वर्ष सेवा करने के बाद भी नियमित नहीं बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) दस वर्ष से अधिक सेवारत ऐसे कार्य-प्रभारित कर्मचारी कितने हैं जिन्हें अभी तक नियमित नहीं बनाया गया है ; और

(घ) सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) : ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पद अस्थायी हैं और वे परियोजना के पूरा होने के समय तक ही रहेंगे ; इसलिए कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लगभग 350।

(घ) श्रमिक संघ के मांग-पत्र की मद्दों में यह भी एक है जिसे न्याय-निर्णयनों के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा हुआ है।

**Evaluation Committee for Gandak Project**

*3361. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to form an evaluation Committee for Gandak Project ;

(d) if so, by what time ; and

(c) its likely terms of reference ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a)** : The Central Government has no such proposal.

**(b) and (c)** : Do not arise.

**Measures to run trains in time**

3362. **Shri Bibhuti Mishra : Shri Ramshekhar Prasad Singh :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a Conference of the General Managers of Zonal Railways was held in Delhi in the first week of June ;

(b) if so, whether he discussed certain points in regard to running of trains in time ; and

(c) if so, the measures proposed at the Conference to run trains in time ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Instructions have been issued impressing on the Railways the paramount importance of punctual running of trains. It has been reemphasised that in each case of avoidable detention, individual responsibility should be fixed at appropriate level including officers. Special Punctuality Drive has also been instituted from June 10 for a month. General Managers have been advised to ensure better maintenance of track and signal equipments and of rolling stock which are particularly affecting punctuality. A copy of Member Transportation's D. O. letter to all General Managers has already been sent to all Members of Parliament.

## बिजली सप्लाई की वाणिज्यिक समस्याओं की जांच करने के लिये विशेषज्ञ कर्मचारी

3363. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से मद आते हैं और क्या उत्पादन और लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग विभाग से बाहर के वरिष्ठ विशेषज्ञ और अनुभवी तकनीकी व्यक्तियों द्वारा जटिल वाणिज्यिक समस्यायें हल करने की आवश्यकता है ;

(ख) केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के वाणिज्यिक सदस्य के कर्तव्यों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के विद्युत संभरण संगठनों में, कड़े वाणिज्यिक सिद्धान्तों के अनुसार बिजली सप्लाई संबंधी व्यापार चलाने के लिये सीधे प्रबन्ध के अधीन स्वतंत्र और कुशल वाणिज्यिक विभाग नहीं है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) वाणिज्यिक और वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में सामान्यता इस तरह सिद्धान्त तैयार करने के लिये कि बोर्ड का कार्य विद्युत (सप्लाई) अधिनियम 1948 के अनुसार चले, विद्युत की सप्लाई के वाणिज्यिक पहलुओं में ये चीजें शामिल हैं : ऊर्जा अत्यंत किफायती ढंग से उत्पन्न और सप्लाई करना, ऐसी वाणिज्यिक नीतियां बनाना जिससे विक्रय बढ़े, ग्रिड टैरिफ, उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए टैरिफ तैयार करना, आदि ।

विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 में एक विशिष्ट प्रावधान है कि विद्युत बोर्ड में एक ऐसा सदस्य होगा जिसे किसी सरकारी उपयोगिता उपक्रम अधिमानतः विद्युत सप्लाई उपक्रम, में लेखा सम्बन्धी और वित्तीय मामलों में अनुभव प्राप्त हो ।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के वाणिज्यिक सदस्य के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं :

(1) दूसरी विद्युत पारेषण परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आई० डी० ए०) के साथ प्रथम विद्युत पारेषण ऋण और क्रेडिट करार के सम्बन्ध में विश्व बैंक को दिए गए वचन को पूरा करने में बोर्डों द्वारा की गई प्रगति का

पुनरवलोकन करना और बोर्डों को सलाह देना कि वे ये कार्य करके अपनी वित्तीय व्यवस्था को किन-किन तरीकों से सुधार सकते हैं : स्टाफ में किफायत करना, बिल बनाने और बिलों के पैसे इकट्ठे करने के तरीकों में सुधार लाना, प्रभावकारी तालिका (इन्वेन्टरी) नियंत्रण तरीकों को लागू करना, ऊर्जा हानियों को कम करना, विद्युत का दक्षता पूर्वक उत्पादन करना, टैरिफ का संशोधन करना, आदि। बोर्डों की कमजोरियों को ढूंढ निकालने के लिए, कुछ चुने हुए बोर्डों की कार्य प्रणाली का विस्तृत अध्ययन भी किया जाता है।

(2) लेखों के फार्मों और लेखा रखने में एकरूपता लाना।

(3) बोर्डों के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रबन्धों का इस ख्याल से पुनरवलोकन करना कि उनके कारगर कार्य के लिए तरीके सुझाए जा सकें।

(4) बोर्डों द्वारा अपनाने के लिए एक स्टैन्डर्ड लेखा पुस्तिका तैयार करना।

(ग) विद्युत सप्लाई के वाणिज्यिक पहलुओं के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए सरकारी सेक्टर के सभी विद्युत सप्लाई संगठनों में वाणिज्यिक अनुभाग हैं।

### भावनगर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में कन्ट्रोल रूम के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल

3364. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम रेलवे में भावनगर डिवीजन के कन्ट्रोल रूम में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों के पूरा न होने पर भूख-हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें की गई कार्रवाई का उल्लेख है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 559/71]

### माल डिब्बों की कमी के कारण कपड़ा-मिलों में कोयले की कमी

3365. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों की सप्लाई न होने के कारण "दि न्यू जहांगीर विकिल मिल्ज" तथा "दि महालक्ष्मी मिल्ज" को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों मिलों को माल डिब्बों की समुचित सप्लाई करने के लिये रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)**:(क) जी नहीं। बताया गया है कि 20-6-71 को न्यू जहांगीर वकील मिल्ज के पास 300 मीटरिक टन और महालक्ष्मी मिल्ज के पास 210 मीटरिक टन कोयले का स्टाक था जबकि उनकी दैनिक खपत क्रमश: 25 और 30 मीटरिक टन की है। निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार लदान का काम हो रहा है। वीरमगाम यानान्तरण स्थल पर श्रमिकों से सम्बन्धित

गम्भीर कठिनाई के कारण न्यू जहांगीर वकील मिल्ज की ओर से किये जाने वाले लदान में कुछ कमी हुई थी लेकिन मई और जून की उनकी लगभग सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है। पता चला है कि लम्बे समय तक तालाबंदी के बाद मार्च, 1971 में महालक्ष्मी मिल्ज को फिर से खोल दिया गया है।

(ख) यानान्तरण स्थलों पर कठिनाइयों के बावजूद मिलों की पूर्व-निर्धारित मांगों को पूरा करने के लिए रेलों द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं। उनका अपना स्टाक समाप्त हो जाने पर कपड़ा मिलों को रेल इंजनों के कोयले से भी सहायता दी जाती है। महालक्ष्मी मिल्ज के लिए लदान बढ़ाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

**भावनगर में मशीनी औजार परियोजना**

3366. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मन्दी के कारण भावनगर मशीनी औजार परियोजना को रोक दिया था ;

(ख) क्या अब मन्दी अवधि समाप्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को क्रियान्वित करने का है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) भावनगर परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 1967 में प्राप्त हुई थी। उस समय तक अर्थ व्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति आ जाने के कारण, मशीनी औजारों की मांग अत्यधिक गिर गई थी। इसलिए स्थिति का पुनरीक्षण किया गया और यह निर्णय किया गया कि मशीनी औजारों की मांग में अत्यधिक कमी और मशीनी औजार उद्योग के लिए पुनरीक्षित कम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस बात का पता लगाया जाय कि क्या विभिन्न प्रकार के मशीनी औजारों को बनाने के लिए नया संयंत्र स्थापित करने या प्रथम दृष्टया में कोई औचित्य है और क्या ये मशीनी औजार विद्यमान सरकारी क्षेत्र के किसी एक एकक में नहीं बनाये जा सकते। आगे किये गये अध्ययनों से पता चला है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची का हैवी मशीन टूल प्लांट और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलोर आपस में मिलकर सभी मशीनी औजारों का निर्माण कर सकते थे जिनको भावनगर परियोजना में बनाने की योजना थी ऐसी परिस्थितियों में भावनगर परियोजना की स्थापना स्थगित कर दी गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जैसे ही मशीनी औजारों की मांग पर्याप्त मात्रा में बढ़ेगी और यदि तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से नई मशीनी औजार परियोजना की स्थापना करना न्यायसंगत होगा तो भावनगर में ऐसे नये संयंत्र की स्थापना करने के लिये प्राथमिकता दी जायेगी।

**पारावर, केरल में प्लेटफार्म को ऊंचा करने और उसकी मरम्मत करने के लिये अभ्यावेदन**

3367. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या पारावूर, केरल में प्लेटफार्म को ऊँचा करने तथा उसकी मरम्मत करने की मांग के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(क) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क)** जी हां।

(ख) स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्मों की व्यवस्था एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर की जाती है। यह काम रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति, जो ऐसे कार्यों की अग्रता का निर्णय करती है, के अयोचित अनुमोदन पर किया जाता है। पैरावूर में ऊंचे प्लेटफार्म की मांग रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति को प्रस्तुत कर दी जायेगी और यदि वह इसे अनुमोदित कर देगी तो जब भी धन उपलब्ध होगा इसे आगामी निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा।

**क्विलोन और त्रिवेन्द्रम रेलवे मार्गों पर रेलवे माल डिब्बों का उपलब्ध न होना**

3368. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विशेषकर क्विलोन और त्रिवेन्द्रम रेलवे मार्गों पर रेलवे माल डिब्बों के उपलब्ध न होने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने पर्याप्त संख्या में रेलवे माल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) सीमित कोटे वाले और प्रतिबन्धित मार्गों को छोड़कर दक्षिण रेलवे के क्विलन-तिरुवनन्तपुरम खण्ड पर माल यातायात के लदान के लिए माल डिब्बे उपलब्ध होने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। इस वर्ष जनवरी से जून (15 तारीख) तक इस खण्ड के स्टेशनों से 2811 माल डिब्बों का लदान किया गया जबकि 1970 की इसी अवधि में केवल 1938 माल डिब्बों का लदान हुआ था। 15 जून, 1971 को केवल 90 मांग-पत्र बकाया थे।

**(ख) और (ग)** प्रश्न नहीं उठता।

**पश्चिम बंगाल में टायरों का अभाव**

3369. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में टायरों की बड़ी कमी है ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप टायरों के व्यापार में काला-बाजार को प्रोत्साहन मिला है ?

(ग) क्या टायरों के अभाव के कारण राज्य में बसों तथा माल-परिवहन सेवाओं पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : पश्चिम** बंगाल सरकार से सूचना मांगी गई है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

**रेल-पुलों की दशा**

3370. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा आयोग ने रेल-पुलों की वर्तमान दशा पर अपनी चिन्ता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुलों के नाम क्या हैं जो असुरक्षित हो चुके हैं तथा, जिनके लिये तुरन्त ही एहतियाती कार्यवाही की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या तत्सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिये कोई उचित कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) **और (ग)** प्रश्न नहीं उठता।

**खाद्यानों के परिवहन हेतु रेल के माल डिब्बों के लिये पंजाब सरकार का अनुरोध**

3371. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने दो लाख टन प्रति मास के स्थान पर 6 लाख टन प्रति मास गेहूं के परिवहन के लिये भारत सरकार से और अधिक रेल के माल डिब्बे देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) **और (ख)** रेलवे के जरिये भेजने के लिए पंजाब और हरियाणा की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा खरीदे गये रवी खाद्यानों के समूचे यातायात का नियंत्रण भारतीय खाद्य निगम करता है। रेलें माल डिब्बों की सप्लाई का प्रबन्ध टर्मिनल स्टेशनों पर माल उतारने की क्षमता को ध्यान में रख कर भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रेरित कार्यक्रम के अनुसार करती हैं।

खाद्य निगम ने अप्रैल से जुलाई, 71 तक की अवधि में पंजाब और हरियाणा से 17.42 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न भेजने का कार्यक्रम दिया है। जिसमें से 1 अप्रैल से 20 जून, 1971 तक की अवधि में, टर्मिनल स्टेशनों पर लदे माल डिब्बों के कम संख्या में मुक्त होने तथा मध्य और पश्चिम भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यानों का भण्डार होने के कारण अल्प कार्यक्रम के बावजूद भी रेलों द्वारा 10.86 लाख मीटरिक टन खाद्यान की ढुलाई की गयी है।

**मोटरगाड़ी निर्माण के सहायक कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना**

3372. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कार-निर्माण करने के सरकार के निर्णय को देखते हुए सरकार ने देश में मोटर गाड़ी निर्माण के सहायक कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है और उन पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) :** मोटर गाड़ी के सहायक सामान की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये देश में पर्याप्त निर्माण क्षमता उत्पन्न करने के उद्देश्य से 25 अक्तूबर, 1969 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें मोटर गाड़ी के सहायक उद्योगों की विभिन्न वस्तुएं बनाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये थे। 1 नवम्बर, 1969 से 31 मई, 1971 की अवधि में 293 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनकी छानबीन की गई थी। 147 पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस अथवा आशय-पत्र पहले ही दिये जा चुके हैं। 86 पार्टियों के आवेदन-पत्र या तो रद्द कर दिये गये हैं या वे वापस ले लिये समझ लिये गये हैं। शेष 60 आवेदन-पत्र विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन आवेदनों पर आगामी दो या तीन महीनों में निर्णय कर लिये जाने की आशा है।

## Demand for more bogies for Kotdwar

3373. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the daily average number of tickets of various classes of ordinary and Express trains sold from Delhi for the stations lying on Najibabad-Kotdwar and Moradabad-Najibabad State;

(b) whether the third class bogie for Kotdwar which was previously attached to Mussoorie Express has been withdrawn from 1st April, 1971;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) what is the sleeping and seating capacity available for the passengers in the bogies meant for Kotdwar at present; and

(e) whether Government propose to attach more Kotdwar bogies keeping in view the average number of passengers ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) :** (a) The daily average number of tickets of various classes issued from Delhi for stations on Najibabad-Kotdwar and Moradabad-Najibabad sections is as below:--

| | Njibabad-Kotdwar section. | Moradabad-Najibabad section. |
|---|---|---|
| First Class | 1 | Nil |
| Second Class | 1 | Nil |
| Third Mail/Express | 146 | 1 |
| Third Ordinary | 13 | 38 |

(b) No. This coach was only shifted to an alternative train from 1.4.1971 and from 1.7.1971 the previous arrangement of moving this coach by Mussoorie Express is being restored.

(c) Does not arise.

| (d) First Class | Third Class |
|---|---|
| 10 berths | 24 sleeper berths and 200 seats. |

(e) No, as accommodation provided in the existing 3 through service coaches is considered adequate.

### Rail Link for Hazaribagh (Bihar)

3374. **Shri Damodar Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any survey was conducted in the past with a view to linking the district Headquarters of Hazaribagh in Bihar by rail ;

(b) if so, when and the main points of the said survey report; and

(c) whether Government have formulated or propose to formulate any scheme to link the district Headquarters of Hazaribagh (Bihar) by rail as early as possible and if so, the outlines thereof ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) Yes.

(b) In 1945-43. The Survey was for a 320 Kms. long new line from Hazaribagh Town to Rampurhaut. The then estimated cost of the project was Rs. 13.5 crores and the project was found to be unremunerative due to the poor traffic prospects.

(c) No.

### Punpun Irrigation Project for Irrigation Facilities

3375. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government have prepared Punpun Irrigation Project for providing irrigational facilities in Patna and Gaya ;

(b) if so, whether the said scheme has been sent to his Ministry for approval; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : (a) to (c) : The Government of Bihar have reported that investigations have been carried out for a barrage on the river Punpun near Hamidnagar village in the district of Gaya to irrigate about 16,000 acres in Gaya and 30,000 acres in Patna district, and that a scheme report is under preparation with them for obtaining the acceptance of the Planning Commission.

### पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमान्त, पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवेज में कैरिज तथा वैगन इंसपेक्टरों के पद

3376. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमान्त, पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवेज में, 450–575 रु० के वेतन-मान में कैरिज तथा वैगन इन्सपैक्टरों के कुल कितने पद हैं ; और

(ख) इन सभी रेलवेज में इन पदों की संख्या का समान अनुपात में न होने के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** :

| (क) | रेलवे | 450–575 रुपये के वेतनमान में संरक्षा कौंसिलरों (स० और मा० डि०) सहित सवारी और माल डिब्बा निरीक्षकों के पदों की संख्या |
|---|---|---|
| | पूर्व | 4 |
| | पूर्वोत्तर सीमा | 3 |

| | |
|---|---|
| दक्षिण-पूर्व | 10 |
| पश्चिम | 10 |

(ख) सवारी और माल डिब्बा निरीक्षकों के पदों की व्यवस्था कार्य-भार के आधार पर और रेलवे विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। प्रतिशत के आधार पर पदों के सृजन से सम्बन्धित रेलवे बोर्ड के आदेश भी इन पदों के सृजन पर लागू नहीं होते। इसलिए सभी रेलों पर इनका अनुपात एक सा नहीं है।

**ब्यास और सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण-प्रभारित कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण**

3377. **श्री गदाधर साहा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास और सतलुज लिंक परियोजना, सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश के निर्माण-प्रभारित कर्मचारियों के वेतन मानों का पुनरीक्षण बहुत समय से नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) :** (क) ब्यास और सतलुज लिंक परियोजना के सभी श्रेणियों के वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतन मान संशोधित कर दिए गए हैं।

**(ख) और (ग)** प्रश्न नहीं उठता।

**इस्पात की कमी के कारण पोचम पद बांध कार्य में बाधा**

3378. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की कमी के कारण हैदराबाद में पोचमपद बांध-कार्य में बाधा पड़ी है ;

(ख) क्या इस बांध-कार्य के लिए इस्पात, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात प्राप्त करने तथा बांध-कार्य को द्रुत गति से करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) :** (क) से (ग) इस्पात की देशव्यापी कमी का असर सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर पड़ा है। भारत सरकार ने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए निश्चित मूल्य पर देश में उत्पन्न इस्पात का नियतन करने में प्राथमिकता देने के लिए कार्रवाई की है। अभाव की पूर्ति जहां तक संभव होता है, विदेशी मुद्रा के साधन संबंधी तंगी के अन्तर्गत रहते हुए निर्यात के जरिए की जाती है। पोचम्पद बांध निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में जो तत्काल आवश्यकता बताई गई है, वह 214 मीट्रिक टन (बायलर किस्म की चादरों और बी० पी० शीट) की है। इसमें 88 मीट्रिक टन की व्यवस्था देशी उत्पादन से की गई है। 82 मीट्रिक टन इस्पात का आयात किया जा रहा है जिसके लिए लगभग 1.25 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई है। शेष 44 मीट्रिक टन के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में 66,000 रुपये की एक अन्य राशि की व्यवस्था की गई है।

### Railway Lines operated by Private Companies

3379. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number and names of Railway lines in the country which are being run by private companies at present ;

(b) the amount of revenue received by Government from these companies annually; and

(c) whether Government prospose to nationalise the operation of such railway lines ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) The following 3 Light Railways are at present run by private companies.

1. Futwah-Islampur Light Railway,
2. Arrah-Sasaram Light Railway.
3. Dehri-Rohtas Light Railway.

(b) Futwah-Islampr Ligh Railway is operating under an agreement with the Central Government under which the Government have guaranteed a minimum return of 3½ percent on its capital. Also, if the profits are in excess of 5 percent, the excess is to be shared equally by the Government and the company. The subsidy given to the company, or the share of profits received by the Government during the last three years for which balance sheets are available is indicated below :

| Year | Subsidy from Govt. ( - ), or share of profits given to Govt. (+). (In Rupees) |
|---|---|
| 1967-68 | ( - ) 8,617 |
| 1968-69 | (+) 29,434 |
| 1969-70 | (+) 5,469 |

Arrah-Sasaram Light Railway and the Dehri-Rohtas Light Railway are operating under contracts with the District Board of Shahabad. The Central Government has neither guaranteed any minimum return to them, nor does it share in their profits.

(c) No.

### मीराज जाने वाली बंगलौर मेल के साथ ट्रक की टक्कर

3380. **श्री निहार लास्कर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मई, 1971 को धारवाड़ के निकट मुगद स्टेशन के कर्मचारी रहित रेलवे फाटक पर मीराज जाने वाली बंगलौर मेल के साथ एक ट्रक की टक्कर हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें रेलवे सम्पति और यात्रियों की कितनी हानि हुई; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग 500 रुपये की क्षति होने का अनुमान है। मोटर ट्रक में सवार तीन व्यक्ति मर गये और अन्य चार जख्मी हो गये जिनमें से दो को बुरी तरह चोटें आयीं।

(ग) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं प्रायः सड़क उपयोगकर्त्ताओं की ही गलती से होती हैं और इसलिए इस पर नियंत्रण केवल सड़क उपयोगकर्त्ताओं में अधिकाधिक संरक्षा की भावना पैदा कर के ही किया जा सकता है। असावधानी-पूर्वक समपारों को पार करने में अंतर्ग्रस्त खतरों से सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अवगत कराने के उद्देश्य से रेल प्रशासन प्रचार के उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे रेडियो द्वारा प्रसारण, सिनेमा स्लाइडों का प्रदर्शन, इस्तहार, फोल्डर, पुस्तिकाएं जारी करना, जहां दुर्घटनाएं हुई हों उन समपारों के पास के गांवों बाजार के दिन लाउडस्पीकरों से प्रचार करना, आटोमोबाइल एसोसिएशनों तथा ग्राम पंचायतों के प्रधानों आदि से सम्पर्क स्थापित करना। रेल मन्त्रालय के कहने पर राज्य सरकारों ने भी मोटर वाहन अधिनियम में यह व्यवस्था की है कि यात्री बसों के चालकों को बिना चौकीदार वाले समपारों को पार करने से पहले रुकना अनिवार्य है और वे उन्हें तभी पार कर सकते हैं जब यह सुनिश्चित कर लें कि मार्ग साफ है। रेल प्रशासन राज्य सरकारों और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से दण्डात्मक जाँच की व्यवस्था करते हैं ताकि जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करें उन्हें पकड़ कर दंड दिया जा सके।

समपारों के दोनों तरफ सीटी-पट्टों की व्यवस्था की गयी है जहाँ से गाड़ी चालक सड़क उपयोगकर्त्ताओं को गाड़ी आने के सम्बन्ध में बार-बार सीटी बजाकर सावधान करते हैं। इसके अलावा पथ चिन्ह भी लगाये गये हैं ताकि रेल पथ और सड़क पर समपार होने के बारे में सड़क उपयोगकर्त्ताओं को सावधान किया जा सके।

**दक्षिण रेलवे में टेलीप्रिन्टरों पर वायरलैस आपरेटरों का तैनात किया जाना और टोन-सिगनलिंग प्रणाली का आरम्भ किया जाना**

3381. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे, मद्रास के महाप्रबन्धक ने अपने पत्र संख्या पी (आर टी) 489/III/363 और सं० 4195/V/पी क्यू/103 में यह कहा है कि सामान्य तथा आपात दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में वायरलैस आपरेटरों को सप्रयोजन टेलीप्रिन्टरों तथा माइक्रोवेव टेलीप्रिन्टरों पर इसलिये तैनात किया जाता है क्योंकि केवल वे ही वायरलैस, टोन सिगनलिंग, टेलीप्रिन्टरों और माइक्रोवेव टेलीप्रिन्टरों पर दक्षता से कार्य कर सकते हैं, और इसलिये नहीं कि वे फालतू हैं, और

(ख) क्या रेडियो टेलीप्रिंटर की एवजी के रूप में टोन सिगनलिंग व्यवस्था शुरू करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित कर दिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री श्री (हनुमन्तैया)** : (क) जी हां, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माइक्रोवेव प्रणाली लागू होने के परिणामस्वरूप उच्च आवृत्ति वाली बेतार प्रणाली बन्द हो जायगी, दक्षिण रेलवे ने माइक्रोवेव प्रणाली पर दूर-मुद्रक सम्यकों के परिचालन के लिए वायरलैस आपरेटरों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है ताकि सामान्य और आपात दोनों स्थितियों में वायरलैस आपरेटर उच्च आवृत्ति वाली बेतार प्रणाली अथवा माइक्रोवेव दूर-मुद्रक प्रणाली में के किसी पर भी काम कर सकें। इन सभी वायरलेस आपरेटरों को प्रतिक्षण दिया जा चुका है और इसलिए फालतू वायरलैस आपरेटरों को समाहित किये जाने की समस्या नहीं उठी है।

(ख) जी नहीं, टोन सिगनल प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है।

## हुबली और बिजवाडा में रेडियो टेलीप्रिन्टरों पर कार्य कर रहे सिगनलरों को ऊंचा ग्रेड देना

3382. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे में हुबली और विजयवाड़ा में हुबली/मद्रास और हुबली/विजयवाड़ा के मध्य स्थापित माइक्रोवेव टेलीप्रिंटरों पर सिगनलर कार्य कर रहे हैं जब कि मद्रास और दक्षिण रेलवे में टेलीप्रिन्टरों पर वायरलैस आपरेटर कार्य करते हैं ;

(ख) क्या जी० टी० एल०, टी० पी० जे०, ओ० जे० ए० और एम० डी० यू० के लगभग 10 सिगनलरों को, जिन्होंने टेलीप्रिन्टरों पर कार्य किया था, विशेष वेतन उस समय देना बन्द कर दिया गया जब माइक्रोवेव टेलीप्रिन्टर व्यवस्था के लागू करने के उपरान्त उन टेलीप्रिन्टरों पर वायरलैस आपरेटरों की सेवाओं का उपयोग किया गया;

(ग) क्या माइक्रोवेव टेलीप्रिन्टर पर कार्य कर रहे सिगनलर वही कार्य करते हैं जो वायरलैस आपरेटर मद्रास में मद्रास/हुबली और मद्रास/विजवाड़ा के मध्य स्थापित टेलीप्रिन्टर लिंक पर रेडियो टेलीप्रिन्टर पर करते हैं; और

(घ) यदि हां, हुबली और विजयवाड़ा में रेडियो टेलीप्रिन्टरों पर कार्य कर रहे सिगनलरों को 150-300 रुपये का वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) से (घ) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

## मद्रास डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में सुपरवाइजरी तथा तकनीकी कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी वेतन की अदायगी न करना

3383. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास डिवीजन, दक्षिण रेलवे में सुपरवाइजरी तथा तकनीकी कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों का वेतन अदा नहीं किया गया जब कि उन्होंने वस्तुतः 2 अक्तूबर, 1970 तथा 26 जनवरी, 1971 को काम किया था,

(ख) क्या डी० पी० ओ० मद्रास ने सुपरवाइजरी अधिकारियों को सलाह दी थी कि नियंत्रण अधिकारी ने 2 अक्तूबर, 1970 तथा 26 जनवरी, 1971 को कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय छुट्टी वेतन की मजूरी नहीं थी,

(ग) यदि हां, तो वर्तमान राष्ट्रीय छुट्टी वेतन न प्रदान करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं, सिवाय कुछ मामलों में ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में सम्बद्ध कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन रोकने को मंजूरी सक्षम प्राधिकारी से नहीं ली गयी थी । इन मामलों में कर्मचारियों के दावों पर विचार किया जा रहा है ।

**Laying of New Railway Line From Kalinger to Kamasin (Uttar Pradesh)**

3384. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there was any scheme for laying a new Railway line from Kalinger town in Banda District of Uttar Pradesh to Kamasin and some work thereon was also started; and

(b) if so, whether there is any likelihood of resuming the construction work now ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) and (b) : Though the construction of a Railway line from Kartal (near Kalinjar to Kamasin was sanctioned in 1928, it was daferred immediately thereafter due to lack of funds. Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification the construction of this rail link cannot be considered at present.

**Construction of overbridge at Banda Railway Station (Central Railway)**

3385. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is proposed to construct an overbridge at Banda Railway Station (Central Railway) in Uttar Pradesh, and

(b) if so, the time by which the said overbridge is likely to be constructed ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) No.

(b) Does not arise.

**पश्चिम बंगाल स्थित मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड का बंद होना**

3386. **श्रीमती विभा घोष** : क्या औद्योगिक **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल स्थित मैसर्स बंगाल पौटरीज लिमिटेड के बन्द हो जाने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से ली गई उनकी भविष्य निधि को सरकार के पास जमा नहीं कराया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

**Telegraph System at Soron Railway Station**

3387. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Telegraph system at Soron Railway Station on the North Eastern Railway is not in working order;

(b) whether there is always danger of a train accident if the Telegraph system is not in working order; and

(c) if so, whether Government propose to set right the Telegraph system there ?

**The Minister for Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) No, the Telegraph system at the Station is in working order.

(b) No, because there are rules laid down for such contingencies.

(c) Does not arise.

## Insanitary Conditions at Soron Station (N. E. Railway)

3388. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whethar Soron station of North Eastern Railway is 'B' Class station;

(b) whether pilgrims continue to travel to and from this station throughout the year as a result of which insanitary conditions prevail there ; and

(c) if so, whether Government propose to provide adequate number of scavenging staff at the said Railway station ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)**: (a) Yes.

(b) Pilgrims do travel to and from Soron during 'Amavasya', 'Poornima' and important Melas. Necessary steps are taken to maintain sanitation.

(c) Does not arise.

## Bogies for Passengers Travelling from Etah to Lucknow and Allahabad

3389. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the number of passengers travelling by First Class from Etah Railway station to Lucknow and Allahabad on the Northern Railway is very large;

(b) whether no bogie is attached From Etah station and this causes inconvenience to the passengers travelling by first class; and

(c) if so, whether Government propose to make arrangements to introduce two bogies-one for Lucknow and the other for Allahabad on this line ?

**The Minister of Rilways (Shri Hanmanthaiya)**: (a) No.

(b) and (c) The present volume of through traffic offering between Etah and Allahabad/Lucknow is too meagre to justify introduction of through service coaches between these points.

## Change in the Name of Soron Railway Station

3390. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Soron in District Etah on account of its being the birth place of 'Barah God', is called as "Shookar Kshetra" but despite that the name of the Station has been written as 'Soron' instead of "Shookar Kshetra Soron"; and

(b) if so, whether Government propose to change the name of the said Station from 'Soron' to 'Shookar Kshetra Soron' ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) Yes.

(b) Any change in the name of a railway station is made on the advice of the State Government concerned who are, in turn, required to obtain the concurrence of Ministry of Home Affairs, Government of India.

At present there is no proposal with the railway for change in the name of Soron Railway station.

## 21- डाउन हैदराबाद दिल्ली दक्षिण एक्सप्रेस में हत्या

3391. **श्री एम० एम० हाशिम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद-दिल्ली दक्षिण एक्सप्रेस के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे महादेव सिंह नामक 19 वर्षीय युवक की 3 जून, 1971 को छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या इस मामले में जांच की गई है;

(ग) मृत यात्री के परिवार को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई है; और

(घ) रेलवे में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री श्री हनुमन्तैया :** (क) जी हां 2.6.71 को बिरलानगर और रायरू स्टेशनों के बीच 21 डाउन हैदराबाद-नयी दिल्ली दक्षिण एक्सप्रेस के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में महावीर सिंह न कि महादेव सिंह, नामक एक लड़के की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छुरा घोंप कर हत्या कर दी गयी थी।

(ख) ग्वालियर की सरकारी रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच कर रही है।

(ग) कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(घ) रेलों पर जघन्य अपराधों की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(i) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सामान्य सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा किये जाने जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों की धर-पकड़ करने के लिए समय-समय पर छापा मारने के अलावा, रात की महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के पहरे की व्यवस्था की जाती है।

(ii) रेलवे सुरक्षा दल सरकारी रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखता है ताकि अपराधों को सफलतापूर्वक रोका जा सके और बदमाशों पर निगाह रखी जा सके।

(ii) रेलों पर अपराधों का पता लगाने और उनकी रोक-थाम के काम में सुधार लाने के उद्देश्य से, रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारी सरकारी रेलवे पुलिस के अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर समन्वय बैठकें आयोजित करते हैं।

## उद्योगों के विकास के लिये भारत-जापान वार्ता

3392. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उद्योगों के विकास के बारे में अधिक सहयोग देने पर जापान की फर्में हाल ही में पुनः रुचि दिखा रही हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और इस विषय पर जापानी प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकलें,

(ग) क्या देश में लाइसेंस देने की प्रतिबंधित औद्योगिक नीति के कारण जापान ने इस बारे में कठिनाई व्यक्त की है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का जापान द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक सहायता से किस प्रकार लाभ उठाने का विचार हैं ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री ( श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ) : ( क )** से ( घ ) जनवरी से मई, 1971 की अवधि में भारतीय तथा जापानी पार्टियों के बीच सहयोग संबन्धी सरकार द्वारा सहमत प्रस्तावों की संख्या 19 है जो 1970 की इसी अवधि की तुलना में 7 थी। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट्स इलेक्ट्रोनिक डेस्क कैल्कुलेटरों, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उपकरण बी० सी० मोनोमर, हर्वोसाइटस, विद्युत केबल्स, एसिटिलीन ब्लैक, कपड़ा मशीनें, और उर्वरक आदि विभिन्न वस्तुओं के निमार्ण के लिए भारतीय और जापानी फर्मों के बीच सहयोग के लिए कुछ प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

मित्सुबीशी मिशन जिसने भारत में विनियोजन संबंधी वातावरण का मूल्यांकन करने और संयुक्त उपक्रमों की स्थापना से संबंधित नीति, प्रक्रिया, प्रोत्साहन आदि का पता लगाने के लिये हाल ही में भारत का दौरा किया था, औद्योगिक विकास, विनियोजन नीति, प्रक्रिया आदि के बारे में विभिन्न मामलों पर सरकार के आर्थिक मन्त्रालयों से बातचीत की थी। मिशन की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर उसकी जांच की जायेगी और जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी की जायेगी।

### लाइसेंस देने के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

3393. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 से औद्योगिक लाइसेंस के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे और वे किन किन वस्तुओं के बारे में थे;

(ख) उनमें से कितने आवेदनपत्रों पर कार्यवाही की गई है और वे किन किन वस्तुओं के बारे में थे; और

(ग) क्या शेष आवेदन-पत्रों पर अंतिम निर्णय लेने के बारे में कोई सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में निर्णय लेने में क्या कठिनाई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : 31-3-1971 को औद्योगिक लाइसेन्स के 2,681 आवेदन पत्र अनिर्णीत थे। इनमें से 11, आवेदन 1967 के, 25 आवेदन 1968 के, 198 आवेदन 1969 के, 1760 आवेदन 1970 के और 717 आवेदन 1971 (31 मार्च तक) के हैं। ये आवेदन विभिन्न अनुसूचित उद्योगों जैसे वस्त्र, रसायन परिवहन, परिष्कारण उद्योग, विद्युत उपकरण, लोहा और इस्पात था उनसे बनने वाले सामान, दूर संचार, औद्योगिक मशीनी, कृषि मशीनों रबड़ के सामान, विभिन्न यन्त्रिकी और इन्जीनियरी आदि के सम्बन्ध में हैं।

(ग) प्रत्येक आवेदन पर विभिन्न पहलुओं से प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार करने की आवश्यकता होती है। अतः इन आवेदनों के निपटाये जाने के बारे में कोई समय सीमा निश्चित कर सकना कठिन है। फिर भी सरकार लाइसेन्स के आवेदनों पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की

आवश्यकता के प्रति सजग है और इस बात का सुनिश्चय करने के लिये प्रयत्नशील है कि जहां तक संभव हो सके लाइसेन्स आवेदनों पर आवेदन प्राप्त होने अथवा आवेदक से पूर्ण जानकारी मिल जाने की तिथि जो भी बाद की हो से तीन मास की अवधि के भीतर ही अंतिम निर्णय ले लिया जाय ।

**कोटीकुलम रेलवे स्टेशन, केरल पर प्लेटफार्मों का निर्माण**

3394. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोटीकुलम रेलवे स्टेशन (केरल) पर प्लेटफार्म बनाने के बारे में कोटीकुलम की जनता से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस मांग को पूरा कर लिया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : कोटिकुलम स्टेशन पर पटरी के सतह वाले प्लेटफार्म की पहले से ही व्यवस्था है । जो अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, उसमें इस प्लेटफार्म को ऊँचा उठाने की मांग की गयी थी और चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के निष्पादन की स्वीकृति दे दी गयी है ।

**Introduction of Badrinath Express Upto Kotdwar**

3395. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a demand has been made for introducing a train to be called as Badrinath Express upto Kotdwar via Hathras, Garh Mukteshwar, Gajrola, Bijnor, Nazibabad in view of the inconvenience to pilgrims to Badrinath and Kedarnath;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard;

(c) whether the public is threatening to stage a demonstration against non-attachment of additional bogies for Kotdwar; and

(d) if so, the time by which the said facilities would be extended ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)**: (a) Yes.

(b) The demand has not been found justified.

(c) Only there is a letter from Shri Negi himself suggesting that public are agitated and are contemplating a demonstration against witdrawal of one of three Delhi-Kotdwar through coaches from No. 41/42 Mussoorie Express.

(d) From 1.7.1971, when summer rush will be over, the third coach will again be hauled by No. 41/42 Mussoorie Express as before.

**बिना टिकट यात्रा**

3396. **श्री जी०वेंकटस्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, विभिन्न जोनल रेलों पर कितने लोगों ने बिना टिकट यात्रा की ; और

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार तथा रेलवे-वार बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख)** : भारत को अलग-अलग रेलों पर बिना टिकट

यात्रा करने वालों की संख्या के वर्षानुवर्ष अनुमान तैयार नहीं किये जाते। इसलिए पिछले तीन वर्षों के अलग-अलग आंकड़े नहीं दिये जा सकते। तथापि बिना टिकट यात्रा की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाने के उद्देश्य से 1967–68 में सभी भारतीय रेलों पर की गई विशेष जांच के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा करने वालों की अनुमानित संख्या इस प्रकार थी :—

| रेलवे | टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की तुलना में बिना टिकट यात्रा करने वालों का प्रतिशत |
|---|---|
| मध्य | 3.3 |
| पूर्व | 5.6 |
| उत्तर | 5.1 |
| पूर्वोतर | 9.3 |
| पूर्वोत्तर | 11.2 |
| दक्षिण | 5.0 |
| दक्षिण-मध्य | 4.5 |
| दक्षिण-पूर्व | 6.9 |
| पश्चिम | 4.5 |

1967–68 में भारतीय रेलों पर इसके कारण जो हानि हुई उसका अनुमान 20 से 25 करोड़ रुपये तक लगाया गया है।

तथापि जून, 1969 से भारतीय रेल अधिनयम में संशोधन कर दिये जाने से जिसमें बिना टिकट यात्रा के लिए अधिक दण्ड की व्यवस्था की गयी है—और साथ ही बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान तेज कर दिये जाने से बिना टिकट यात्रा की मात्रा में काफी कमी हो गयी है। 1969-70 की तुलना में 1970-71 के दौरान भारतीय रेलों पर अनियमित यात्रा के मामलों में 54.1 प्रतिशत कमी हुई (33.3 लाख से घट कर 15.3 लाख रह गयी)। इसी अवधि में टिकट खिड़कियों पर टिकटों की बिक्री में लगभग 4.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई (22630 लाख से बढ़कर 23590 लाख हो गयी) और इनसे वसूल होने वाली आमदनी में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी (278.63 करोड़ से बढ़कर 296.96 करोड़ हो गयी) इन परिस्थितियों में संभवतः बिना टिकट यात्रा और रेलवे को होने वाली हानि में काफी कमी हो गयी है।

**रेल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा**

3397. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, बिना टिकट यात्रा करते हुए कितने व्यक्ति पकड़े गये थे ;

(ख) विभिन्न जोनल रेलों में ऐसे कितने व्यक्ति पकड़े गये ; और

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, इन व्यक्तियों से दण्ड के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया)** : (क) और (ग) 1968–69 से 1970–71 तक की अवधि में

बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या और उनसे दण्ड के रूप में वसूल की गयी राशि वित्तीय वर्ष के अनुसार इस प्रकार है :—

| वर्ष | व्यक्तियों की संख्या | राशि रु० |
|---|---|---|
| 1968-69 | 84.7 लाख | 82.51 लाख |
| 1969-70 | 33.3 लाख | 129.52 लाख |
| 1970-71 | 15.3 लाख | 126.46 लाख |

(ख) उपर्युक्त अवधि में क्षेत्रीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

| रेलवे | व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|
| मध्य | 17.30 लाख |
| पूर्व | 27.60 „ |
| उत्तर | 14.79 „ |
| पूर्वोत्तर | 8.04 „ |
| पूर्वोत्तर सीमा | 7.28 „ |
| दक्षिण | 11.61 „ |
| दक्षिण मध्य | 9.52 „ |
| दक्षिण पूर्व | 15.08 „ |
| पश्चिम | 21.97 „ |
| जोड़ | 133.97 लाख |

**भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली रेल गाड़ियां**

3398. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे द्वारा, श्रेणी वार, प्रतिदिन कुल कितनी रेल-गाड़ियां चलाई जा रही हैं ;

(ख) गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा कुल कितनी रेल-गाड़ियां चलाई जा रही हैं ; और

(ग) सभी रेलों द्वारा एक दिन में, कुल कितने मील की दूरी तै की जाती है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) भारत की सरकारी रेलों पर प्रतिदिन औसतन लगभग 10,800 गाड़ियां चलती हैं। इनका, कोटिवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| सवारी गाड़ियां (इनमें बिजली चालित गाड़ियां शामिल हैं) | 5,100 |
| मिली-जुली गाड़ियां | 700 |
| माल गाड़ियां | 4,600 |
| विभागीय और स्पेशल गाड़ियां | 400 |
| | 10,800 |

(ख) प्रतिदिन 51 गाड़ियां चलायी जा रही हैं। इनमें 16 सवारी गाड़ियां, 19 मिली-जुलीगाड़ियां और 16 माल गाड़ियाँ हैं। जब कभी आवश्यकता होती है विभागीय गाड़ियां चलायी जाती हैं।

(ग) सभी रेलों द्वारा चालित दैनिक गाड़ी किलो मीटर संख्या कुल मिलाकर 13 लाख है।

**बालूरघाट से मालदाह और बालूरघाट से कलियागंज तक नई रेल लाइनों का बिछाया जाना**

3399. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को बरास्ता बुनियादपुर बालूरघाट से मालदाह तक और बरास्ता बुनियादपुर बालूरघाट से कलियागंज तक रेलवे लाइनें बिछाने के लिये जनता से बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) :** (क) जी हां।

पुराने माल्दा से बालूरघाट तक एक नयी बड़ी लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरू करने का प्रस्ताव है। सर्वेक्षणों के परिणाम ज्ञात होने के बाद ही लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

**रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा सहायता देने की योजना**

3400. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये बनाई गई वर्तमान योजना के आधार पर ऐसे रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता देने की कोई योजना है जिनके बच्चे मुख्यालय से दूरस्थ स्थानों पर पढ़ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों योजनाएं एक जैसी हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी, जिनके बच्चे कुंजपुरा (करनाल) स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी सहायता प्राप्त कर सकते हैं परन्तु रेलवे कर्मचारियों को रेलवे योजना के अन्तर्गत यह सहायता नहीं मिलती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ)** रेलों में शिक्षा सहायता देने की योजना बहुत दिनों से लागू है। 1962 में जगन्नाथ दासवेतन आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप वित्त मन्त्रालय ने केन्द्रीय सरकार के सिविल विभागों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता योजना बनायी थी। ये दोनों योजनाएं एक सी नहीं हैं। रेलवे योजना के अधीन शिक्षा सहायता उन रेल कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है जो अपेक्षित मानक के स्कूल के अभाव में अपने बच्चों को मुख्यालय से दूर भेजने के लिए मजबूर होते हैं। अपेक्षित मानक शब्द का सम्बन्ध प्राइमरी/मिडिल/हाई/हायर सेकेन्डरी से और उस माध्यम से है जिसमें शिक्षा दी जाती है और रेलवे योजना के अधीन वे मामले नहीं आते जब बच्चों को सैनिक स्कूल जैसे स्कूलों में विशेष प्रकार

की शिक्षा के लिए भेजा जाता है जबकि कर्मचारी की नियुक्ति के स्थान पर बच्चे की भाषा के माध्यम वाले अपेक्षित मानक के स्कूल उपलब्ध होते हैं। सिविल विभागों की योजना में शिक्षा सहायता उन कर्मचारियों को दी जाती है जिनके बच्चे मुख्यालय से दूर पढ़ते हैं और यह विचार नहीं किया जाता है कि अपेक्षित मानक का स्कूल कर्मचारी के मुख्यालय में उपलब्ध है या नहीं। रेलवे की योजना, क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतें पूरी करने के लिये बनायी गई है, खास कर उन छोटे स्थानों में जहाँ पर स्थानीय शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती।

**Upgradation of Primary School at Kota Jn.**
**(Western Railway)**

3401. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the school at Kota Jn. (Western Railway) is imparting education to the children of Railway employees upto fifth class.

(b) whether on account of shortage of accommodation in the existing school there are more than hundred students in each class; and

(c) if so, the action being taken by Government, to upgrade the school into a Higher Secondary School and to meet the shortage of accommodation there ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthiya)** : (a) to (c) : There are 4 Railway Primary Schools with Classes to V at Kota Jn., out of which two are Tradition-info sections; the enrolment in the sections are generally around 50 barring one exception. The accommodation in the schools is adequate and where necessary, classes are run on shift basis. There is no proposal to upgrade the schools.

**Railway land under cultivation in Kotah Division**
**(Western Railway)**

3402. **Shri Onkar Lal Berva** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total acreage of Railway land under cultivation in Kota Division and

(b) the rate of rent at which land has been given for cultivation ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) 410 acres,

(b) The rent for land licensed for cultivation is given below :—

(i) As fixed by the State Government subject to a minimum of Rs. 3/-per acre for land licensed through State Government.

(ii) 5 times the revenue assessment of neighbouring land or Rs. 20/-per acre per annum whichever is less, for land licensed to Railway staff.

(iii) 5 times the revenue assessment of neighbouring land, for land licensed to outsiders directly by the Railway Administration.

**Construction of Quarters for Sweepers**
**working at Kota Railway Station**

*3403. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of parmanent and temporary sweepers working at Kota Railway station on western Railway ;

(b) the number of quarters constructed for them ; and

(c) in case the number of quarters is not adequate, the action being taken by Government to meet the shortage of quarters ?

**The Minister** of Railways **(Shri Hanumanthaiya)** : (a) 162.

(b) No separate quarters are built for Sweepers exclusively. Out of 162 Sweepers working at Kota, 48 have been provided with quarters, 25 are on the waiting list and the remaining 89 have not applied for quarters.

(c) Provision exists for construction of 6 Type I quarters at Kota during 1971-72.

### Payment of Compensation in the Case of Railway Employees Who Died in D. C. M. Factory at Kota

* 3404. **Shri Onkar Lal Berwa** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways have paid compensation in the cases of the Railway employees who died last year as a result of explosion caused in the oil tanks at the time of shunting in the premises of Delhi Cloth Mills Factory at Kota, Rajasthan; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**Minister for** Railways **(Shri Hanumanthaiya)** : (a) and (b) : The Western Railway Administration have already deposited with the Commissioners concerned under the Workmen's Compensation Act the following compensation due to the dependants of all the three railway employees who died as a result of the explosion which took place in one of the tanks of Naptha special at Dadhdevi on 21 10.70 in the Sriram Fertilizer Siding, while they were on duty :--

(i) Rs. 10,000/- in the case of late Shri Gajraj Singh, Driver.

(ii) Rs. 8,000/- in the case of the late Shri Idu, Shunting Jamadar.

(iii) Rs. 7,000/- in the case of the late
Shri Jagdish Prasad, First Fireman.

### Demonstration by All India Loco Running Staff on 3rd June, 1971 in front of Parliament House

3405, **Shri Sarjoo Pandey**: **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Railwyas** be pleased to state:

(a) whether the All India Loco Running Staff had staged a demonstration in front of the Parliament House on the 3rd June, 1971 in support of their demands;

(b) whether a delegation of the said staff called on the Prime-Minister and

(c) if so, their main demands and the action being taken by Government thereon ?

**The Minister of** Railways **(Shri Hanumanthaiya)** : (a) The All India Loco Running Staff Association organised a rally in the lawns opposite Boat Club on 3rd June 1971.

(b) No Sir.

(c) A statement giving the demands and the comments thereon Is attached. [Placed in library. See. No. L. T. 560/71]

### मनीपुर में रेलगाड़ियों के समय की बस सेवा के समय के साथ तालमेल

3406. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों और मनीपुर की बस सेवा के बीच समय का तालमेल न होने के

कारण, मनीपुर से बस से और देश के अन्य भागों में रेल द्वारा जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार मनीपुर से दीमापुर तक स्थानों (सीटों) का कोटा बढ़ाने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कितने स्थान बढ़ाये जायेंगे और किस तारीख से ?

**रेलमंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) और (ख) : गुवाहाटी की ओर से मनीपुर की ओर रेल यात्रा करते समय दीमापुर में इम्फाल के लिए बस सेवा उपलब्ध रहती है लेकिन वापसी यात्रा में इस तरह के मेल की व्यवस्था नहीं है। यह सम्भव नहीं है कि इम्फाल से लगभग 17–30 बजे पहुंचने वाली बस के लिए दीमापुर में गाड़ी के मेल की व्यवस्था की जा सके क्योंकि फरकेटिंग-दीमापुर-लामडिंग खण्ड पर रात में गाड़ियों के चलने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ग) जी नहीं। फिलहाल दीमापुर स्टेशन और इम्फाल आउट एजेंसी को अलाट किये गये कोटे का भी पूरा उपयोग नहीं होता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## मनिपुर के विभाजन के पश्चात् न्यायिक ढांचे में परिवर्तन

3407. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनिपुर का पांच जिलों में विभाजन किए जाने के पश्चात मनिपुर सरकार न्यायिक ढांचे में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परिवर्तन वास्तव में कब किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) :** मनिपुर को पांच जिलों में विभाजित करने के परिणामस्वरूप, प्रत्येक जिले को, न्यायिक प्रयोजनों के लिए वहाँ तक आत्मनिर्भर बना दिया गया है जहां तक ऐसा करना वांछनीय है। अब इस समय मनिपुर में पांच जिला मजिस्ट्रेट हैं जबकि पहले केवल एक था और विद्यमान पच्चीस प्रशासकीय इकाइयों में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 25 हैं जबकि पहले केवल दस थे। पहले एक अनियमितता यह थी कि पहाड़ियों में उठने वाले कुछ मामलों का विचारण केन्द्रीय जिलों में स्थित न्यायालयों में किया जाता था क्योंकि थानों की अधिकारिता परस्पर व्याप्त थी। तब इसे भी ठीक कर दिया गया है जिससे पहाड़ी जिलों में उठने वाले मामलों का विचारण वहीं किया जा सकता है। जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों सम्बन्धी काम चूंकि पहाड़ी जिलों में अपेक्षत: कम है इसलिए किसी भी पहाड़ी जिले के लिए पृथक जिला और सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी जाती है।

## मनीपुर में लघु उद्योग

3408. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में लघु उद्योगों की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) :** मणिपुर प्रशासन से जानकारी माँगी गई है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

### भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार का उन्मूलन

3409. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे प्रशासनिक व्यवस्था में कोई ऐसी एजेंसी है जो रेलवे कर्मचारियों में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों का पता लगाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनाचार की शिकायतों की जांच के लिए भारतीय रेलों पर एक पूरा सतर्कता संगठन कार्य कर रहा है। लिखित शिकायतों और प्राप्त सूचनाओं की जांच के अलावा, यह संगठन अपनी ओर से निवारक जांच और चुनींदा अध्ययन भी करता है ताकि भ्रष्टाचार का पता चल सके और भ्रष्टाचार की गुन्जाइश और उसके तौर-तरीके प्रकाश में आ सकें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### बंसपाणी को जोखूपुरा के साथ मिलाने वाली रेलवे लाइन

3410. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में बंसपाणी को जोखूपुरा के साथ मिलाने के लिये रेलवे लाइन बिछाने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) जी नहीं।

(ख) यातायात और वित्तीय दृष्टि से फिलहाल इस रेलवे लाइन के बनाने का औचित्य नहीं है।

### Employment of Farmers whose Land was acquired by Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar

3411. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of Industrial Development be pleased to state :

(a) the acreage of land acquired for Bharat Heavy Electricals, Hardwar village-wise ;

(b) the number of farmers of these villages who applied for employment and the number of those who have been provided with employment; and

(c) whether affected farmers are given preference in the matter of employment ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) The acreage of land originally acquired village-wise for Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar, is as under;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmadpur Karach | 980.5 | Acres | approx. |
| 2. | Banswali | 291.7 | ,, | ,, |
| 3. | Jwalapur | 1015.8 | ,, | ,, |
| 4. | Rajpur | 570.8 | ,, | ,, |
| 5. | Salempur Mahdud | 1398.4 | ,, | ,, |
| 6. | Ranipur | 1000.0 | ,, | ,, |
| 7. | Raoli Mahdud | 1164.7 | ,, | ,, |
| 8. | Jamalpur Khurd | 166.1 | ,, | ,, |
| 9. | Forest Land | 112.0 | ,, | ,, |
| | Total | 6700.0 | | |

Although a total of 6,700 acres of land was originally acquired for Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar, they relinquished/surrendered 2385 acres and are now left with an area of 4315 acres approximately.

(b) The number of farmers of these villages who applied for employment is 486 and 440 out of them have been given employment.

(c) Yes, Sir.

**Pay and Allowances of Engineers and Overseers in Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar**

3412. **Shri Mukul Raj Saini** : Will the Minister of industrial Development be pleased to state:

(a) the number of Civil Engineers and Overseers in Bharat Heavy Electricals sd., Hardwar in the year 1967 ;

(b) their number during the years 1969 to 1971;

(c) the difference in the salary and allowances of the engineers and overseers caused by their transfer to other types of work; and

(d) whether any complaint has been received by Government from them and if so, the action taken thereon ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Devevelopment (Shri Siddheshwar Prasad)** (a) to (d) : A Statement is attached. [Placed in library. See No L.T. 561\71]

**उद्योगों में विनियोजन**

3413. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या औद्योगि विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 और 1970-71 में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों में अलग-अलग कितना विनियोजन किया गया ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**

सरकारी क्षेत्र (केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों) में वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 की अवधि में बड़े तथा मध्यम उद्योगों और खनिज परियोजनाओं पर क्रमश: 525 करोड़ रू०, 430 करोड़ रू० तथा 515 करोड़ रुपयों के विनियोजन का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के आंकड़े अस्थायी हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के विनियोजन के बारे में यह कहा जा सकता है कि उससे संबंधित आंकड़े और जानकारी काफी समय बीत जाने के बाद मिल पाती है। क्योंकि इसमें कम्पनी के तुलन पत्रों का विश्लेषण करना पड़ता है। गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ चुनी हुई कम्पनियों की

केवल वर्ष 1967-68 में विनियोजन के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध है और वह अक्तूबर, 1970 तथा दिसम्बर, 1970 की रिजर्व बैंक आफ इन्डिया बुलेटिन में प्रकाशित की गई है।

**बिहार में तिलय्या प्रवाह परिवर्तन योजना में मुहाने जलकुण्ड और अपर सकरी परियोजनाएं**

3414 : **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले की सिंचाई के लिए तिलय्या प्रवाह परिवर्तन योजना मुहाने जलकुण्ड और अपर सकरी परियोजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त परियोजनाओं का कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया गया है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और उपर्युक्त कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री बैजनाथ कुरील)**: (क) से (ग) : दामोदर घाटी निगम के वर्तमान तिलय्या बांध से जल के व्यपवर्तन के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को दामोदर घाटी निगम द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है। इस समिति में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग, दामोदर घाटी निगम, बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अपर सकरी स्कीम को तब तक निलम्बित रखने का फैसला किया है जब तक नदियों पर एक जलाशय का निर्माण न हो जाए और जब तक ऐसे जलाशय के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, क्योंकि इससे सकरी वियर से वर्तमान सिंचाई प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजने के लिए मुहाने परियोजना राज्य सरकार के पास पड़ी है।

परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के पश्चात उन्हें बिहार की योजनाओं में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

**Law Books published in Hindi**

*3415. **Shri Sudhakar Pndey** : Will the Minister of Law Justice be pleased to state the total expenditure incurred on preparation and bublication of law books in Hindi by the Ministry during the last three years and the number of such books published so far ?

**The Minister of Law and Justice (Shri H. R. Gokhale)** : No expenditure has been incurred on preparation and publication of law books in Hindi during the last three years as no law book in Hindi has so far been approved and published by the Ministry of law.

**पूर्वी उत्तरप्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये जारी किये गये आशय-पत्र लाइसेंस**

3416. **श्री राजदेव सिंह** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, जिनमें वाराणसी, गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजन शामिल हैं, में उद्योगों की स्थापना के लिए गत दो वर्षों में कितने आशय-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं।

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** आंकड़े क्षेत्रवार अथवा जिलेवार न रखे जा कर पूरे राज्य के होते हैं। उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये 1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1970 तक की अवधि में 5 औद्योगिक लाइसेंस तथा 30 आशय पत्र जारी किए गए थे।

### गार्ड, ड्राइवर, फायरमैन, पी० डब्ल्यू० आई०/ए० पी० डब्ल्यू० आई० के ग्रेडों में छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था

3417. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अगस्त, 1951 और 28 नवम्बर, 1968 के रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुसार गार्डों, ड्राइवरों, फायरमैन, कर्मशाला कर्मचारी वृन्द, पी० डब्ल्यु० आई०/ए० पी० डब्ल्यु० आई० के लिए ग्रेड-वार छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था की जाती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कम से कम 205–280 रुपये के ग्रेड वाले स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों, जिनकी संख्या लगभग 10 हजार है, के लिए छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था करने के प्रश्न पर और आगे विचार करने का है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) गार्डों, ड्राइवरों, फायरमैनों, कारखाना कर्मचारियों और रेलपथ निरीक्षकों/सहायक रेलपथ निरीक्षकों के लिए छुट्टी रिजर्व उल्लिखित आदेशों के अनुसार और निर्धारित ग्रेडों में दिये जाते हैं।

250-380 रुपये (अ० वे०) और उससे अधिक ग्रेड के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए छुट्टी रिजर्व सम्बन्धित रेलवे पर अपनाई गई पद्धति के अनुसार 250-380 रु० (अ० वे०) अथवा 205-280 (अ० वे०) ग्रेड में दिये जाते हैं। 130-240 (अ० वे०) और 205 280 (अ० वे०) के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए निचले ग्रेड अर्थात 130-240 रु० ग्रेड के छुट्टी रिजर्व कर्मचारी दिये जाते हैं। फिलहाल इस विषय में नीति को और अधिक उदार बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

### भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर आर० टी० ए० का पदोन्नति क्रम

3418. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के विभिन्न ज़ोनों में स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/गार्ड/आर० टी० ए० का वर्तमान पदोन्नति क्रम क्या है ;

(ख) क्या रेलवे के प्रत्येक ज़ोन में उक्त श्रेणियों के लिए कोई समान पदोन्नति क्रम है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख)** : सभी रेलों पर इन कोटियों के लिए पदोन्नति की एक जैसी सरणियां निर्धारित नहीं हैं। वर्तमान सरणियों के बारे में जो कि

हर रेलवे पर भिन्न-भिन्न हैं, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) रेलों पर पदोन्नति की सरणियों के मानकीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और उसे त्याग देना पड़ा है क्योंकि इससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जायेगी।

### उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी बनाना

3419. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सहायक स्टेशन मास्टरों को, जो अनुरोध अथवा आपसी अदला-बदली के आधार पर उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में आये थे, उनके मूल डिवीजनों में स्थायी हो जाने के कारण उन्हें अपने वरिष्ठ कर्मचारियों की अपेक्षा वरीयता दी गई है ;

(ख) क्या उनको स्थायी करने की यह शर्त थी कि वे पद उनके मूल डिवीजन में विद्यमान हों ;

(ग) यदि हां तो उनको दिल्ली डिवीजन में किस प्रकार स्थायी बनाया गया है जब कि उनके वरिष्ठ कर्मचारियों को वर्तमान रिक्त पदों पर स्थायी नहीं किया गया है ;

(घ) क्या उन व्यक्तियों को, जो प्रशासनिक आधार पर आये थे, ऐसे कर्मचारियों से कनिष्ठ रखा गया है जो कि अनुरोध अथवा आपसी अदला-बदली के आधार पर आये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : वर्ष 1955 से पहले, एक यूनिट की स्थानान्तरित स्थायी कर्मचारियों को, उसी ग्रेड में उसी दर पर वेतन लेने वाले स्थायी कर्मचारियों से नीची वरिष्ठता दी जाती थी, उनकी मूल नियुक्ति की तारीख कोई भी हो।

(ख) जी हाँ।

(ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) **और** (ङ) : प्रशासन के हित में, एक यूनिट से दूसरी यूनिट को स्थानान्तरित रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता पदोन्नति की तारीख/ग्रेड में नियुक्ति की तारीख के आधार पर विनियमित की जाती है, प्रशासनिक स्थानान्तरणों के मामलों में वरिष्ठता नियत करने का आधार भिन्न है, अतः ऐसे मामलों की तुलना ऊपर (क) में उल्लिखित मामलों से नहीं की जा सकती।

### हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, बड़ौदा के विरुद्ध बड़ौदा मजदूर सभा का ज्ञापन

3420. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ौदा मजदूर सभा से एक पत्र ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें पद्रा रोड़, बम्बई स्थित हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड के प्रबन्धकों तथा अनुचित श्रम प्रथाओं के बारे में कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, बड़ौदा के कार्यो की जांच करने का है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। (उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम) 1951 की धारा 15 के उपबन्धों के अधीन जांच करने का आदेश दे दिया गया है।

### रेलवे कर्मशालाओं में प्रोत्साहन बोनस योजना

3421. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मशालाओं में एक प्रोत्साहन बोनस योजना लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मशालाओं के नाम क्या हैं और यह योजना किस तिथि से लागू की गई है ;

(ग) क्या इस योजना के लागू करने के समय से कार्यभार में कोई वृद्धि हुई है। और

(घ) प्रोत्साहन योजना के लागू करने से पूर्व मन्जूरी दी गई संवर्ग संख्या कितनी थी तथा 1 अप्रैल, 1971 को कितनी है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ग) : जी हां।

(ख) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

### मुख्य बिजली इंजीनियर और उप-मुख्य संस्थापन अधिकारी (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें

3423. **श्री मधु दण्डवते : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के मुख्य इन्जीनियर श्री पी० वार्दाचारी और उप-मुख्य संस्थापन अधिकारी श्री एम० एम० वातुवियल के विरुद्ध पश्चिम बँगाल के कोकराझर और माल्दा न्यायालयों में न्यायिक जाँच पर कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) उन वकीलों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन दो रेलवे अधिकारियों का बचाव किया ;

(ग) क्या इन दो अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध हो गया था ; और

(घ) क्या इन दो अधिकारियों पर भारती दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) अब तक 1,515 रुपये खर्च किये गये हैं। (सम्बन्धित उप मुख्य कार्मिक अधिकारी का नाम श्री एम० एम० नथेनियल है)।

(ख) सर्व श्री के० एम० लाहिड़ी और देवीदास घोसाल।

(ग) और (घ) ये मामले न्यायालय में हैं। पहले वाले मामले में फिर से सुनवाई करने के बारे में याचिका असम उच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है ; और दूसरे मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दी जा रही है।

**केन्द्रीय विद्युत अधिकरण का कार्य**

3424. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत अधिकरण, विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) केन्द्रीय विद्युत अधिकरण के कार्य तथा दायित्व क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) : बिजली (सम्भरण) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण गठित हुआ था वह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (विद्युत स्कंध) प्राधिकरण के लिये सचिवालयीय सहायता प्रदान करता है। प्राधिकरण के लिये स्वतन्त्र रूप से सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। आज की आवश्यकताओं के अनुकूल बिजली (सम्भरण) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) साधारणत: केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण बिजली (सम्भरण) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य करता है।

**राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन**

3425. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है जिस पर भारी व्यय होता है ;

(ख) ऐसे सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों की बोर्ड के अन्य सदस्यों की तुलना में विशेष शक्तियां नहीं है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) : राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य देश में विद्युत सप्लाई के आयोजन निर्माण तथा रख-रखाव से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करना है। जैसा कि चौथी पंच वर्षीय योजना में परिकल्पित है और जैसा कि एन० डी० सी० की हिदायतें भी हैं, विद्युत विकास के लिए आयोजन क्षेत्रीय आधार पर किया जा रहा है। इसलिए ऐसी सलाहें उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण हो गई हैं। राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन 1969 से प्रति वर्ष किया जा रहा है। चूंकि बिजली आर्थिक विकास के लिए एक अत्यावश्यक अवसंरचना है इसलिए विद्युत की हर समय बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पादन क्षमता की व्यवस्था, उपलब्ध विद्युत उत्पादन तथा पारेषण प्रणालियों इत्यादि का इष्टतम समुपयोजन, विचार-विमर्श का मुख्य विषय होता है और सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श बहुत लाभप्रद तथा उत्साहवर्धक रहे हैं। ऐसे विचार-विमर्श से प्राप्त हुए लाभों को देखते हुए केन्द्र द्वारा सम्मेलन पर किया हुआ व्यय नगण्य है।

(ग) राज्य सरकार के पास बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के धारा 78 के अन्तर्गत बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के अधिकारों, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की कार्यविधि नियत करने के अधिकार हैं। बोर्ड के अध्यक्ष संगठन के हैड होने के नाते बोर्ड के अन्य सदस्यों की तुलना में आमतौर से अधिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं।

**दामोदर घाटी निगम के कार्य-संचालन संबंधी नियम**

3426. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के कार्य-संचालन संबंधी कोई नियम है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस निगम का पूर्णकालिक अध्यक्ष अंश-कालिक सदस्यों तथा पूर्ण-कालिक उच्च अधिकार प्राप्त महा-प्रबंधक तथा सचिव की तुलना में कैसे कार्य करता है ; और

(ग) क्या वर्तमान महा-प्रबन्धक तथा पूर्ण-कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के उपरान्त दामोदर घाटी निगम के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) जी, हाँ।

(ख) दामोदर घाटी निगम (कार्य संचालन) विनियमावली, 1951 के विनियम 3 के परन्तुक के अन्तर्गत, अध्यक्ष निगम द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित प्रकार के तत्काल मामलों में निगम के अधिकारों का प्रयोग करता है, बशर्ते कि अगली या उसके बाद की बैठक में निगम को रिपोर्ट दे दी जाए। महा-प्रबन्धक एवं सचिव निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसको निगम ने कुछ विशेष अधिकार सौंपे हुए हैं।

(ग) जी, नहीं। निगम के नवम्बर, 1970 के एक निर्णय के अनुसार, महाप्रबन्धक को अपने प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करना होता है लेकिन साथ ही उन हिदायतों का पालन करना जरूरी होता है जोकि अध्यक्ष द्वारा सामान्य रूप से अथवा विशिष्ट मामलों में जारी की जाती हों।

**किर्लोस्कर्स द्वारा निर्मित डीजल इंजनों के अतिरिक्त उत्पादन को नियमित किया जाना**

3427. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किर्लोस्कर्स द्वारा निर्मित डीजल इंजनों के अरिरिक्त उत्पादन को नियमित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह किस तिथि को नियमित किया गया था ; और

(ग) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं संबंधी आयोग ने इसकी छान-बीन की थी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : इस उद्योग से लाइसेंस हटा लिये जाने की अवधि में मे० किर्लोस्कर्स द्वारा डीजल इंजनों के निर्माण की लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन क्षमता को नई लाइसेंस नीति के अन्तर्गत 8 दिसम्बर, 1970 को 'कार्य करते रहिये' लाइसेंस जारी करके नियमित कर दिया गया है।

(ग) इस मामले में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की अनुमति लेना आवश्यक नहीं था क्योंकि फर्म ने 1 जून, 1970 से पूर्व अर्थात उस तारीख से जब से एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1970 लागू हुआ, क्षमता प्राप्त करने के लिये 'कारनर कदम' उठा लिये थे।

**दुसपल्ला में गनिया बांध योजना को चौथी योजना में शामिल करना**

3428. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के जिला पुरी में दुसपल्ला में गनिया बांध योजना को चौथी योजना में शामिल करने का है जिसके लिए प्रारम्भिक कार्य कुछ वर्ष पूर्व कर लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो हीराकुंड के निचले भागों में महानदी बाढ़ को रोकने के लिए सरकार का क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) :** अभी तक उड़ीसा सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं रखा है कि गनिया बराज स्कीम को राज्य की चौथी योजना में शामिल किया जाये।

**महानदी के तट पर पदमावती गांव में भूमि-कटाव**

3429. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उड़ीसा में पुरी जिले के महानदी के तट पर स्थित पद्मावती गांव में गम्भीर रूप से भूमि-कटाव हो रहा है ;

(ख) क्या इस बड़े गांव में भूमि-कटाव को रोकने की योजना के अन्तर्गत बहुत पहले ही चार परिवालों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो इस परिवालों का निर्माण अधूरा छोड़ने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इनको शीघ्र ही पूरा किया जाएगा ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) । (क) से (घ) :** महानदी द्वारा पद्मावती ग्राम के निकट भारी कटाव पर उड़ीसा की राज्य सरकार ने ध्यान दिया था और किनारों के और अधिक कटाव को रोकने के लिए 4.2 लाख रुपये की अनुमानित लागत से छः ठोकरों के निर्माण की अक्तूबर, 1968 में प्रशासनिक तौर पर स्वीकृति दे दी थी। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि छः ठोकरों में से दो ठोकरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और वह कटाव पर दृष्टि रख रही है। जैसे और जब भी और ठोकरों की आवश्यकता होगी, सरकार उनका निर्माण करेगी।

**नये तीव्र गति के इंजनों का विकास**

3430. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन ने नये तेज गति के ऐसे इंजनों का विकास किया है जिनका 120 कि० मी० प्रति घंटा की गति के लिये उपयोग किया जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या योजना है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलों की योजना है कि बड़ी लाइन के चुने हुए ट्रंक मार्गों पर चरणबद्ध रूप में 120 कि० मी० प्रति घंटा की रफ्तार वाली गाड़ियाँ चलायी जायें। लेकिन तेज रफ्तार की गाड़ियाँ, वास्तव में, कब चलनी शुरू होंगी यह व्यावहारिकता अध्ययनों और परीक्षणों जैसी पूर्वापेक्षाओं के पूरा होने पर निर्भर है।

### मद्रास में ट्यूब रेलवे की व्यवस्था

3431. **श्री भवाराहन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास महानगर के लिए वृत्ताकार/ट्यूब रेलवे की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण कार्य काफी समय से स्थगित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सर्वेक्षण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग)** : योजना आयोग के महानगर परिवहन दल के अनुरोध पर तमिलनाडु सरकार ने मद्रास के लिए एक व्यापक यातायात और परिवहन सर्वेक्षण शुरू किया था। यह सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों पर फिलहाल महानगर परिवहन दल विचार कर रहा है।

आशा है कि मद्रास के लिये महानगर रेल प्रणाली द्वारा सेवित होने वाले गलियारों के संबंध में दल की सिफारिशें शीघ्र ही रेलों को उपलब्ध हो जायेंगी। इसके बाद हम लोग मद्रास के लिये महानगर रेल प्रणाली का आवश्यक अध्ययन शुरू करेंगे। यह अध्ययन चालू वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिया जायेगा बशर्ते योजना आयोग से सिफारिशें मिल जायें। तदनुसार 1971-72 के बजट में धन की व्यवस्था कर ली गयी है।

### वाणिज्यिक विभाग में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या के बारे में सर्वेक्षण

3432. **श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या **रेल** मंत्री रेलवे दावों के बिल में वृद्धि के बारे में पी० बी० लाल समिति की सिफारिश के बारे में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक जोन के लिये अलग-अलग किये गये सर्वेक्षण का परिणाम क्या है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया)** : (क) पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण-मध्य रेलों पर सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

(ख) सर्वेक्षण से संकेत मिला है कि इन क्षेत्रीय रेलों पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की जरूरत है। इस मामले पर प्रशासनिक स्तर पर आगे विचार किया जा रहा है।

**मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों की कमी की वजह से समयोपरि भत्ते की अदायगी**

3433. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, 1969 और 1970 के दौरान दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्कों को कर्मचारियों की कमी की वजह से 10 दिन, 20 दिन, एक महीना और एक महीना से अधिक की अवधियों के लिये कितनी बार समयोपरि भत्ते पर कार्य करना पड़ा ;

(ख) वर्ष 1968, 1969 और 1970 के दौरान उपर्युक्त डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्कों को समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी राशि अदा की गई ; और

(ग) समयोपरि भत्ते की राशि में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) स्थिति इस प्रकार है :

| वर्ष | वाणिज्यिक लिपिकों से जितनी बार समयोपरि काम लिया गया | | |
|---|---|---|---|
| | 10 दिन तक | 20 दिन तक | एक महीने तक और उससे ऊपर |
| 1968 | 650 | 111 | कभी नहीं। |
| 1969 | 666 | 133 | कभी नहीं। |
| 1970 | 707 | 144 | कभी नहीं। |

(ख) वाणिज्यिक लिपिकों को दिये गये समयोपरि भत्ते की रकम इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1968 | 18,163 रुपये। |
| 1969 | 18,624 रुपये। |
| 1970 | 19,085 रुपये। |

(ग) कम महत्व वाले कुछ स्टेशनों से कर्मचारियों को हटाकर उन स्टेशनों पर वाणिज्यिक लिपिकों के अतिरिक्त पदों की व्यवस्था करने के लिये कार्रवाई की गई है जहां कार्यभार में वृद्धि हुई है। भारमोचक कर्मचारियों के नियंत्रक स्टेशन मास्टरों को भी हिदायतें जारी की गई हैं कि वे स्टेशनों से अनुरोध आते ही, भारमोचक कर्मचारियों की तुरन्त व्यवस्था करें और भारमोचक कर्मचारियों का उपयोग बुद्धिमानीपूर्वक किया जाये।

**माल, पार्सल और यानांतरण कार्यालयों में वाणिज्यिक क्लर्कों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी अनुभव होना**

3434. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल, पार्सल और यानान्तरण कार्यालयों के वाणिज्यिक क्लर्कों को प्रेषित-माल के चढ़ाने उतारने में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी की वजह से अपना कार्य करने में कठिनाई महसूस होती है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**केरल उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले**

3435. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या विधि **और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1971 को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कितने मामले विचाराधीन थे ;

(ख) उनमें से कितने मामले एक वर्ष से अधिक की अवधि से विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिये अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का है ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) ऐसे मामलों की संख्या 31.12.1970 को 34,392 थी । 1.4.1971 के आँकड़े तुरन्त उपलभ्य नहीं हैं ।

(ख) ऐसे मामलों की संख्या 31-12-1970 को 14,171 थी ।

(ग) यह कार्य राज्य सरकार का है कि वह और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्थापना करे । उच्च न्यायालय की न्यायाधीश-संख्या में वृद्धि करने की कोई भी प्रस्थापना केरल सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुई है ।

**चौकाघाट और घागराघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के मध्य मोटर-गाड़ियों का यातायात**

3436. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वीय रेलवे में चौकाघाट और घागराघाट रेलवे स्टेशनों के मध्य घाघरा के पार रेलवे पुल के माध्यम से मोटर गाड़ियों के आने जाने की कोई व्यवस्था थी ; और

(ख) क्या सरकार का विचार जनता की असुविधाओं को दूर करने के लिये कम से कम वर्षा ऋतु में मोटर गाड़ियों के आने जाने की ऐसी सुविधा को बहाल करने का है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हां ।

(ख) 1961 में पुल में फिर से गर्डर लगाते समय सड़क-मार्ग तोड़ दिया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने उस समय सूचित किया था कि नये गर्डरों पर मार्ग की व्यवस्था में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है । इस पुल पर नये मार्ग की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**बहराइच जिले के स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का रुकना**

3437. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले (पूर्वोत्तर रेलवे, में स्थित किसी भी रेलवे स्टेशन पर डाक और अधिकांश एक्सप्रेस रेल गाड़ियां नहीं रुकतीं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यात्री जनता को असुविधा से बचाने हेतु बहराइच जिले में जारवाल रोड रेलवे स्टेशन पर उपर्युक्त प्रकार की रेल गाड़ियों के रुकने के लिए व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमतैया)** : (क) यद्यपि उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के जड़वाल रोड स्टेशन पर नं० 1/2 डाक गाड़ी नहीं ठहरती फिर भी, 3 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों में से एक जोड़ी गाड़ी वहां ठहरती है।

(ख) एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी अर्थात 9 अप/10 डाउन कानपुर-बरौनी एक्सप्रेस सहित वर्तमान 6 जोड़ी गाड़ियाँ जिनके जड़वाल रोड स्टेशन पर ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ से होने वाले यातायात की वर्तमान जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

### बिगड़े हुये रेल के माल डिब्बों की मरम्मत

3438. **श्री विक्रम चंद महाजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1970 को कुल कितने रेल के माल डिब्बे बिगड़े पड़े थे अर्थात छोटी मोटी खराबियों के कारण चलने की स्थिति में न थे ; और

(ख) 31 मई, 1971 को ऐसे डिब्बों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) ऐसे बिगड़े हुए माल के डिब्बों की पाँच हजार रुपये तक की मामूली मरम्मत करने में कितना समय लगता है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

### रेल कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित करने हेतु प्राथमिकता

3439. **श्री बूटा सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों को रिहायशी सरकारी क्वार्टर आबंटित करने के लिए प्राथमिकता का निर्धारण उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार नहीं होते हैं जबकि अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवासों का आबंटन केवल उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार ही किया जाता है; और

(ख) क्या सेवा में वरिष्ठ रेल कर्मचारियों को जब नये स्थान पर तैनात किया जाता है तो उन्हें क्वार्टरों के आवेदन हेतु सबसे नीचे रखा जाता है और इसके लिए उनकी नियुक्ति की तारीख पर ध्यान नहीं दिया जाता ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

### कांचीपुरम और आबड़ी तथा ताम्बरम और आबड़ी के बीच रेल सम्बन्ध

3440. **श्री टी० एस० लक्षमणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काँचीपुरम और अवाड़ी तथा ताम्बरम और अवाड़ी के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उस क्षेत्र में हो रही औद्योगिक प्रगति को देखते हुए क्या सरकार का विचार इन दोनों रेल लाइनों का निर्माण करने का है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) धन की कमी के कारण, इन रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

### गैर मान्यता प्राप्त रेलवे संघों के साथ पत्र-व्यवहार सम्बन्धी नीति

3441. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे संघों के साथ पत्र-व्यवहार सम्बन्धी नीति के बारे में 25 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3898 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब किसी वर्ग के अधिकांश कर्मचारी मान्यता प्राप्त संघ से पृथक होकर वर्गानुसार पृथक संघ बना लेते हैं जो कि नियमानुसार पंजीकृत है, तब रेलवे कर्मचारियों को अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए कौन सा माध्यम उपलब्ध है;

(ख) क्या रेलों को इन पंजीकृत संघों के साथ कोई व्यवहार न करने के अनुदेश दिये गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रमिक संघ कानून के अंतर्गत इस प्रकार के संघ उस हालत में बनाए जा सकते हैं, जब संबंधित श्रेणियों के अधिकांश कर्मचारी इन संघों के सदस्य बन जाते हैं, नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) अधिकांश रेल कर्मचारी नेशनल फेडरेशन आफ इन्डियन रेलवेमैन और आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडेरशन से सम्बद्ध मान्यताप्राप्त यूनियनों के सदस्य हैं; यह आशा की जाती है कि बाकी कर्मचारी अपनी-अपनी शिकायतें व्यक्तिगत रूप में सरकारी माध्यमों से दूर करायें। जहां तक सामूहिक विषयों का सम्बन्ध है, मान्यता प्राप्त यूनियनें ही केवल ऐसे संगठन हैं जिनके जरिये प्रशासन के साथ उन पर बातचीत की जा सकती है।

(ख) और (ग) सरकार की शुरू से ऐसी नीति रही है कि अमान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत न की जाये।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए वर्तमान नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

### डिवीजनल इलेक्ट्रीकल इंजीनियर, ट्रैक्शन कानपुर (उत्तर रेलवे) द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों को कथित अनियमित पदोन्नतियां दिया जाना

3442. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल इलेक्ट्रीकल इंजीनियर, ट्रैक्शन कानपुर (उत्तर रेलवे) के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों से कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति तथा चयन-परीक्षा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करके की गई अनियमित पदोन्नतियों के विरुद्ध अपील की है; और

(ख) क्या कनिष्ठ कर्मचारियों को जिनका वरिष्ठ कर्मचारियों से पहले पदोन्नति का हक नहीं था पदोन्नत किया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) 205-280 रु० (अ० बे०) में इंजन परीक्षकों के 17 पदों का सृजन किया गया और उन्हें 175-240 रुपये वेतनमान के अतिकुशल फिटरों तथा इंजन परीक्षकों में से उपयुक्त कर्मचारियों का चयन कर के भरा गया था। एक इंजन परीक्षक ने, जिसे 205-280 रुपये (अ०बे०) में पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, पदोन्नत न होने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था।

**बिना स्पीडोमीटरों के विद्युत चालित इंजन**

3443. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद और कानपुर के बीच चलने वाले अधिकांश विद्युत चालित इंजन बिना स्पीडोमीटर के हैं;

(ख) क्या यह इस समय लागू सुरक्षा नियमों के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया)** : (क) इलाहाबाद और कानपुर के बीच सभी सवारी और माल गाड़ियाँ खींचने वाले बिजली के इंजनों में स्पीडोमीटरों की व्यवस्था है जो ठीक हालत में काम कर रहे हैं। माल गाड़ियों के इंजनों के स्पीडोमीटर अपने देश में ही बने हैं और उनके काम पर अभी निगाह रखी जा रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

**डिवीजनल इलैक्ट्रीकल इंजीनियर, कानपुर (उत्तर रेलवे) द्वारा कर्मचारियों की भर्ती**

3444. **श्री चंद्रिका प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल इलेक्ट्रीकल इंजीनियर ट्रेक्शनरौलिंग स्टाक, उत्तर रेलवे, कानपुर ने समय समय पर विज्ञापित रोजगार सूचनाओं के अनुसार स्तर-अर्हता के कर्मचारियों की भर्ती कर ली है; और

(ख) क्या यह बात सम्बद्ध अधिकारियों के ध्यान में लाई गई है ; और यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**इंजीनियर-इन-चीफ, रेलवे विद्युतीकरण, इलाहाबाद द्वारा नैमित्तिक कर्मचारियों का बिना नोटिस के सेवा से अलग किया जाना**

3445. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एफ) के अन्तर्गत ऐसे नैमित्तिक कर्मचारी को अनुशासनात्मक कारणों पर सेवा से अलग करने के लिए जिसने 240 दिन से अधिक सेवा कर ली है, एक महीने का नोटिस अथवा उसके बदले एक महीने का वेतन दिया जाना अनिवार्य है।

(ख) क्या रेलवे विद्युतीकरण के लगभग 50 नैमित्तिक कर्मचारियों की जिन्होंने एक वर्ष

से 15 वर्ष तक सेवा की है, इंजीनियर-इन-चीफ, रेलवे विद्युतीकरण इलाहाबाद के अधिकारियों ने बिना समुचित कारण बताए तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सेवा से अलग कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।**

(ख) और (ग) उत्तर रेलवे बिजलीकरण परियोजना इलाहाबाद के लगभग 61 नैमित्तिक कर्मचारियों को जिन्होंने 6 महीने से कम और 14 वर्ष से कम के बीच की अवधि तक की सेवा की थी, विभिन्न अनुशासनिक आधारों और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुसार नौकरी से हटाया गया था। इन मामलों में कोई नोटिस अथवा उसके बदले में वेतन देना आवश्यक नहीं था। चूंकि इन व्यक्तियों को दिन-प्रति-दिन के आधार पर नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में लगाया गया था, इसलिए नियमों में उन कर्मचारियों को कोई नोटिस देने अथवा नोटिस के बदले वेतन देने की व्यवस्था नहीं है जिन्हें अनुशासनिक आधार पर सेवा से हटाया गया है।

**ताम्बरम और वेन्डालूर (दक्षिण रेलवे) के बीच परुनगलाथुर पर उपरि पुल**

3446. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर ताम्बरम और वेन्डालूर के बीच परुनगलाथुर के फाटक पर उपरि पुल बनाने का कार्य कब तक से आरम्भ हो गया था ;

(ख) उक्त कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) पुल का निर्माण कार्य धीमी गति से किये जाने का क्या कारण है ; और

(घ) नये पुल के संचालन कार्य पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी ?

**रेलमन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) ताम्बरम के निकट ऊपरी सड़क पुल बनाने का काम जून, 1969 में शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) पुल संरचना का रेलवे के हिस्से का काम निर्धारित समय के अनुसार सितम्बर, 1970 तक समाप्त हो गया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाये जा रहे पुल के पहुंच-मार्ग अभी तैयार नहीं हुए हैं।

(घ) पुल संरचना की अनुमानित लागत 4.66 लाख रुपये है और यदि संचालन व्यय से तात्पर्य अनुरक्षण से है, तो इस पर 2,330 रुपये प्रति वर्ष का खर्च आयेगा।

**लाइसेंसों के लिए आंध्र प्रदेश से आवेदन-पत्र**

3447. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र भेजे ;

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये, कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये और कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ; और

(ग) किन-किन उद्योगों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिये गये और प्रत्येक उद्योग में कितनी पूँजी लगाई जाएगी ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) :** औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र सामान्यतः पार्टियों से सीधे ही प्राप्त किये जाते हैं। 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1970 की अवधि में आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित 255 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इन आवेदन पत्रों में से 33 लाइसेंस और 70 आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं। 68 आवेदन-पत्रों को रद्द कर दिया है और 29 को अन्यथा निपटान दिया गया है। (जिनके लिये लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं है उन आवेदन-पत्रों को वापिस लिया गया इत्यादि समझ लिया गया है)। शेष 55 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

(ग) 255 आवेदन पत्रों का उद्योगवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 562/71] पूँजी विनियोजन के बारे में आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

### वर्षा के कारण पोंग बांध पर मशीनों को क्षति

3448. **श्री शशिभूषण : श्री गंगा रेड्डी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारी वर्षा से पोंग बांध की मशीनों को भारी क्षति हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो मशीनों को अनुमानित कितनी हानि हुई ; और

(ग) वर्षा से मशीनों तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समुचित बाढ़ चेतावनी प्रणाली पहले से ही मौजूद है ताकि मशीनरी और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाये जा सकें।

### Cases Registered on Charge of Casting Bogus Votes

3449. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister **of Law and Justice** be pleased to state the total number of cases registered on the charge of casting bogus votes during the mid-term polls for the Lok Sabha held in March 1971 ?

**The Minister of Law and Justice (Shri H. R. Gokhale) :** The information is being collected from the States/Union Territories.

### Revenue earned through Railway Container Service

3450. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the revenue earned by the Railways through the Railway Container service during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 separately ; and

(b) the profit likely to be earned through this service during the financial year 1971-72 ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthiaya) :**

| (a) Year | Freight earnings. |
|---|---|
| 1968-69 | Rs. 34.94 lakhs. |
| 1969-70 | Rs. 73.15 lakhs. |
| 1970-71 | Rs. 97.98 lakhs. |

(b) Profit for the container service is not being separately calculated and, therefore, is not available.

**Looting of Train on Centra land Northern Railways**

3451. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of incidents of looting that took place on the Central and Northern Railways (separately) during the last 8 months ;

(b) the value of Government and private property so looted as per the information collected by Government ;

(c) the total number of persons arrested in this connection and the number of persons convicted by the Law Courts ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) :** (a) During the period 1.10.1970 to 31.5.1971, 23 incidents were reported from Central Railway and 36 incidents from Northern Railway.

| (b) | Value of property looted (Rs.) Government | Private |
|---|---|---|
| i. Central Railway | 1,16,403.00 | 440.00 |
| ii. Northern Railway | 4,259.05 | 32,687.50 |

| (c) and (d) : | Central Rly. | Northern Rly. |
|---|---|---|
| i. No. of persons arrested | 5 | 36 |
| ii. No. of persons against whom cases were filed | 5 | 36 |
| iii. No. of persons convicted | 3 | 4 |

**उत्तर रेलवे के हरदोई स्टेशन से टिकटों की बिक्री**

3452. **श्री धर्म गज सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर रेलवे के हरदोई स्टेशन पर 29 अप और 30 डाउन और 9 अप और 10 डाउन गाड़ियों के प्रथम और तृतीय श्रेणी के कितने टिकट बेचे गये ; और

(ख) हरदोई जिला मुख्यालय की महत्ता को देखते हुए हरदोई से नई रेलगाड़ियां चला कर उनके मंत्रालय ने यात्रा सुविधाओं की क्या व्यवस्था की है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) 29 अप और 30 डाउन लखनऊ मेल और 9 अप और 10 डाउन दून एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए बेचे गये टिकटों के अलग-अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक गाड़ी से सम्बन्धित अलग-अलग आँकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी, हरदोई स्टेशन से सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के पहले और तीसरे दर्जे के लिए पिछले तीन वर्षों में बेचे गये टिकटों की संख्या नीचे दी गयी है :—

| | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 |
|---|---|---|---|
| पहला दर्जा | 371 | 375 | 370 |
| तीसरा दर्जा | 14020 | 13833 | 13364 |

(ख) हरदोई में ठहरने वाली 5 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों तथा 3 जोड़ी सवारी गाड़ियों की वर्तमान सुविधाएं इस स्टेशन पर होने वाले यातायात के वर्तमान स्तर को सम्भालने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

### पश्चिम रेलवे में हिन्दी "मुख्य अनुवादक"

3453. **श्री बी० एन० भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन संचालन नियमों का अनुवाद करने के लिए डिवीजनों में हिन्दी मुख्य अनुवादकों के आठ पदों के लिए अनुरोध किया था ;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे के प्रस्तावों के प्राप्त होने से पूर्व ही बोर्ड ने स्टेशन संचालन नियमों का अनुवाद करने के लिए मध्य रेलवे के लिए मुख्य अनुवादक के पांच पदों की मन्जूरी दे दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के लिए इसी प्रकार के पदों की स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं और स्टेशन संचालन नियमों का हिन्दी में अनुवाद करने हेतु अब क्या व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) मार्च, 1970 में रेलों के प्रत्येक मंडल कार्यालय में एक अनुवाद यूनिट के सृजन की मन्जूरी दी गयी थी जिसमें एक वरिष्ठ अनुवादक, एक कनिष्ठ अनुवादक और एक हिन्दी टाइपिस्ट की व्यवस्था थी । रेलों से यह कहा गया है कि वर्तमान कार्यभार के संदर्भ में यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या कर्मचारियों की वर्तमान संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं, हिन्दी अनुवाद के काम में की गयी प्रगति की समीक्षा करें ।

### दक्षिण रेलवे में नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी

3454. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) हाल ही में दक्षिण रेलवे से कितने नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ग) क्या उन्हें छंटनी के लिये वैध नोटिस दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) 30808

(ख) 2724

(ग) जी हां, आवश्यक था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### दक्षिण नेपाल में भारत विरोधी दंगे

**श्री बी० आर० शुक्ल** (बहराइच) : श्रीमान्, मैं विदेश मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "दक्षिण नेपाल में हाल ही में भारतीयों के विरुद्ध किये गये दंगों और उसके परिणाम-स्वरूप लगभग 1000 भारतीयों के नेपाल छोड़कर बिहार के पूर्णिया जिले में आने का समाचार।"

**विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि नेपाल के झापा जिले के गौरीगंज और मेची और कोसी अंचलों के कुछ अन्य स्थानों पर हाल ही में दंगे हुए हैं। झगड़ा 10 जून को शुरू हुआ जब कि पहाड़ी और मधेशिया विद्यार्थियों के दो दलों के बीच मुठभेड़ हो गई, इन दो दलों में से एक दल गौरीगंज हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक का तथा दूसरा दल हाई स्कूल के सचिव का समर्थक था।

2. बाद में, झगड़ा फैल गया जबकि पहाड़ी विद्यार्थियों ने बाजार की कुछ दूकानों पर हमला कर दिया और इस हमले में निकटवर्ती गांवों के रायों और लिम्बुओं ने उनकी मदद की। नेपाली पुलिस ने बताया है कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं; काठमाण्डु स्थित हमारा राजदूतावास नेपाल सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

3. विद्यमान तनाव के कारण, भारतीय मूल के बहुत-से व्यक्तियों ने बिहार के पूर्णिया जिले में शरण ले ली है। आशा है कि वहां पुनः सामान्य स्थिति कायम हो जायगी और ये लोग अपने घरों को लौट जाएंगे।

**श्री बी० आर० शुक्ल** : सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया है वह इतना संक्षिप्त है कि उसमें यह भी नहीं बताया गया कि जिन दुकानों पर आक्रमण किया गया वे भारतीयों की या नेपालियों की थी तथा उनकी संख्या क्या थी। कितनी दुकानें लूटी गई और उन पर आक्रमण का क्या परिणाम हुआ ? कितने भारतीय वापस भारत में आ गये हैं। उन लोगों की कितनी सम्पत्ति वहां रह गई है। इस बारे में वक्तव्य में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। उसमें यह भी नहीं बताया गया है कि क्या नेपाल सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ऐसी घटनाएं नेपाल में प्रायः होती रहती हैं। ऐसा हमारी सरकार की उदारवादी नीति और धैर्य के कारण होता है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे नेपाल में हो रहे दंगों को बंद कराने के लिए क्या प्रभावी कदम उठायेंगी। तथा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि काठमांडू में हमारे राजदूत ने इन घटनाओं के बारे में शीघ्र कोई जानकारी क्यों नहीं भेजी।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में हमें उतनी जानकारी नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिये थी। हमने अपने राजदूतावास से इस सम्बन्ध में शीघ्र जानकारी देने के लिए कहा है। क्योंकि पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए यह बताना कठिन है कि कितने भारतीय

नेपाल छोड़कर भारत आ गए हैं ; कितनी दुकानें लूटी गई हैं। आने वालों की अधिकतम संख्या 1300 बताई गई है।

माननीय सदस्य ने एक छोटी सी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है। ऐसी घटनाएं हर समाज में हो ही जाया करती हैं। वैसे स्थिति पर नेपाल सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। नेपाली पुलिस अधिकारी दंगा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वहां स्थिति शीघ्र ही सामान्य हो जायेगी।

**Shri K. N. Tiwary** (Betia): Mr. Speaker, I would like to know the reaction of Nepalese Government to this incident ; the number of people of Indian origin, who came to India as a result of such riots in the past and the number of those who returned back to Nepal after restoration of normalcy there.

**Shri Surendra Pal Singh** : The Nepalese Government has told us that normalcy will be restored there soon and the people who have come from there will go back. It is also a fact that a similar incident took place some time ago and some people entered into Indian territory in Kanchanpur area. The Government of Nepal has assured us that they will be allowed to return after the completion of the verification of their records.

**Shri N. N. Pande** (Gorakhpur) : From the Minister's Statement it appears that they have no full information of the incident they should seek more information about it. I would like to bring one more fact to the notice of this Government. The people of Indian origin are called the Middle-Asian people and they always try to force them out of Nepal. The problem is this that consolidation of land is going on in Nepal. Now the people are being asked to produce a certificate of their being Nepali or Indian. The people of Indian origin are being forced to leave Nepal. Nepalese people are being rehabilitated in place of Indian people in whole of Terai area. I would like to know the steps Indian Government is taking through our embassy there to strengthen the position of the people of Indian origin in Nepal.

**Shri Surendra Pal Singh** : As regards this incident it started on the petty issue of college election between two groups of students. Unfortunately one group belonged to Nepalese race and other belonged to Middle Asian people. As regards the general difficulties faced by Middle Asian people, I admit that they are facing some problems in Nepal. We have brought this fact to the notice of the Government of Nepal several times. This fact has also been mentioned in our transit Treaty with Nepal that the people of Indian origin should be treated at par with the other people of Nepal, as Nepalese are treated in India. The Government of Nepal has assured us that it will remove all the difficultties being faced by people of Indian origin.

**Shri K. M. Madhukar** (Kesaria) : Nepal is our neighbour country. We should do nothing which will create tension in our relations with Nepal. But at the same time we should be serious about the condition of the people of Indian origin who are living in other countries. .Nepal, Ceylon or other African countries. These days they are being treated as refugees in every country. Government should take some effective steps in this regard so that they get proper treatment in foreign countries. Secondly, I suggest that Government should fix a date, which should be the deadline for accepting the refugees coming from Bangla Desh or Nepal or any other country. It should be made clear to all that all the refugees who came or are coming to India after that date will have to return back, so that they may not be burden on Indian economy.

**Shri Surendra Pal Singh** : I welcome the feeling of hon. Member that we should do nothing to worsen the relations now we have with Nepal. As regards the difficulties being faced by the people of Indian origin in other countries. I would like to emphasise that these difficulties will not be removed unless these people mix

up completely with the people of that country. These people should keep themselves aloof on the basis of cultural and religious ties. The moment the indligenous people will begin to think these people as part and parcel of their life, these difficulties wlll be automatically removed.

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारतीय मानक संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

**The Deputy Minister in the Ministry of Indusrtial Development (Shri Siddheshwar Prasad)** : Sir, I lay following papers on the Table of the House :

(1) (i) A copy of the Annual Report of the Khadi and Village Industries Commission, Bombay, for the year 1969-70 under sub-section (3) of section 24 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, along with the Statistical Statement. [Placed in the Library. See No. LT 546|71]

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons as to why the Hindi version of the above documents could not be laid on the Table simultaneously. [Placed in the Library. See No. LT 547|71]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Standards Institution for the year 1969-70. [Placed in the library. See No. LT 553/71]

---

## वित्तीय समितियां 1970–71 (एक समीक्षा)
## FINANCIAL COMMITTEES 1970-71 (A REVIEW)

**सचिव** : श्रीमान्, मैं "वित्तीय समितियां, 1970-71 (एक समीक्षा)" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

## राज्य सभा से संदेश
## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : श्रीमान्, मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि लोक सभा द्वारा 18 जून, 1971 को पास किये गये आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने का विधेयक, 1971 से राज्य सभा 25 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

---

## अनुदानों की मांगें 1971–72
## DEMANDS FOR GRANTS 1971-72

### संचार मन्त्रालय

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संचार मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 90-94,144 और 145 पर विचार करेगी ।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जो अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, 15 मिनट के अन्दर अपनी पर्चियां भेज दें और पर्चियों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रमसंख्या लिख दें। उन्हें प्रस्तुत माना जायेगा।

श्री रतनलाल ब्राह्मण नेपाली भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। कल कोई सदस्य फ्रैंच या स्पेनिश भाषा में बोलने की इच्छा व्यक्त कर सकता है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : डा० मैत्रेयी बोस ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था कि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये। वह विधेयक अस्वीकार कर दिया गया था। श्री रतन लाल ब्राह्मण केवल नेपाली भाषा में बोल सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि दार्जिलिंग से निर्वाचित एक भारतीय नागरिक, जो केवल नेपाली भाषा बोल सकता है, उस भाषा में सभा में अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है या नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं को छोड़ कर पहले हमारा काम काज दो भाषाओं में ही होता है। इस सम्बन्ध में सभा को निर्णय करना है। वैसे इस भाषा को कोई समझता नहीं है अतः अच्छा यह होगा कि वह अपने भाषण का मूल पाठ हमें दे दें और हम उसका अनुवाद करवा लेंगे।

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : संविधान के अनुच्छेद 120 (1) में व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य अपने विचारों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में भली भांति अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो अध्यक्ष महोदय उनको अपनी मातृ भाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

**श्री संत बख्श सिंह** (फतेहपुर) : किसी माननीय सदस्य को अपनी मातृभाषा में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये परन्तु यदि एक व्यक्ति को अनुमति दी जाये तो कल कोई अन्य सदस्य पुर्तगाली या फ्रांसीसी भाषा में बोलने का भी आग्रह कर सकता है। अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह नेपाली में बोलने का आग्रह न करें।

**श्री सेझियान** : माननीय सदस्य को अपनी मातृ-भाषा में बोलने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वह उसका अनुवाद प्रस्तुत कर दें।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : आज कल भारत और नेपाल के तनावपूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए हमें भाषा के मामले में तकनीकी कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये और माननीय सदस्य को अनुमति दे देनी चाहिये।

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : कलकत्ता में नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी है। यदि गोआ और पांडीचेरी में पुर्तगाली या फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है तो उन्हें भी इस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : हम किसी माननीय सदस्य के लिये कठिनाई नहीं पैदा करना चाहते परन्तु प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में भी हम इस प्रकार के अपवादों के लिये तैयार हैं या केवल इसी अवसर को अपवाद माना जाये।

**श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा** : (जम्मू) : इस अवसर को अपवाद माना जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, यह अपवाद होगा।

**Shri B P. Maurya** (Hapur) : On a point of order, Sir. The language, in which the proceedings of the House are conducted, should be understood by us.

**Mr. Speaker** : There will be simultaneous translation. I have allowed it as an exception.

## वर्ष 1971-72 के लिये संचार मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 90 | संचार मंत्रालय | *19,13,000 |
| 91 | समुद्रपारीय संचार सेवा | 3,16,23,000 |
| 92 | डाक और तार (कार्य चालन-व्यय) | 1,86,90,41,000 |
| 93 | डाक और तार विभाग— सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की वापसी | 19,42,63,000 |
| 94 | संचार मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय | *47,42,000 |
| 144 | डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से न किया जाने वाला) | 69,70,00,000 |
| 145 | संचार मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय | *2,19,80,000 |

*** **श्री रतनलाल ब्राह्मण** (दार्जिलिंग) : डाक तथा तार विभाग में कई गुना काम बढ़ गया है परन्तु उसके अनुपात में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है।

मंत्री महोदय बिना पूर्व सूचना दिये गोल डाकखाना में गये थे। उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत से पत्र पड़े थे। उन्होंने समाचार-पत्रों के संवाददाताओं को बताया कि वह उसके लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे। परन्तु क्या उन्होंने सख्त कार्यवाही करने से पहले कर्मचारियों और श्रमिकों की कठिनाइयों को भी समझने की कोशिश की है? यदि मन्त्री महोदय अथवा अधिकारी वर्ग सरकार की असफलता के लिये साधारण कर्मचारियों और श्रमिकों पर आरोप लगाने का प्रयत्न करेंगे तो इस प्रकार की जाँच पड़ताल उपहास मात्र रह जायेगी। यदि मेरी जानकारी ठीक है तो मुझे पता चला है कि जिस दिन श्री बहुगुणा गोल डाकखाना में गये थे उस दिन उस डाकखाने में डाक के 570 थैले आये थे जबकि प्रतिदिन औसतन 360 थैले आते थे। फिर उस दिन 142 जन घण्टे कम थे। अत: इसमें डाक कर्मचारियों का कोई दोष नहीं था। जब काम अधिक होता है तो विभाग का भी यह कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके काम का निपटान करे। विभाग ने इस बारे में कोई कार्यवाही न करके गरीब कर्मचारियों पर आरोप लगाया है।

*** नेपाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Nepali.

सरकार का दावा है कि कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। परन्तु इसका उदाहरण यह है कि शाम को बंटने वाली डाक बन्द कर दी गई है। चिट्ठियों पर डाक वितरण की तारीख वाली मोहर लगाना बन्द कर दिया गया है। फिर ग्राहकों को फोनोग्राम की प्रतिलिपि देना भी बन्द कर दिया गया है। रात के समय तार तब तक नहीं बांटा जायेगा जब तक तार भेजने वाला व्यक्ति 20 पैसे और न दे। क्या इन बातों से विभाग की कार्यकुशलता प्रदर्शित होती है या ये सब बातें जनता के लिये लाभदायक होंगी? एक गरीब आदमी से 20 पैसे अतिरिक्त लेने के बजाय सरकार बे-तार अथवा टेलेक्स सेवा का उपयोग कर सकती है। फिर यह क्या आवश्यक है कि जो तार हम प्रातःकाल भेजते हैं वे रात्रि से पहले पहुंच जाते हैं। यदि विभाग से तार देर से पहुंचने का कारण पूछा जाये तो वह कह देते हैं कि लाइन खराब है।

डाक तथा तार विभाग में प्रशासन ने स्वयं विभिन्न परस्पर विरोधी संघों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया है और 19 सितम्बर, 1968 के हड़ताल के बाद मान्यता भी दी है, इतना ही नहीं डाक तथा तार कर्मचारियों की नेशनल फेडरेशन की मान्यता तक समाप्त कर दी गई है। वास्तव में सरकार श्रमविरोधी नीतियों का अनुसरण कर रही है।

विभागेतर कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम राहत अपर्याप्त है। अतः इसमें वृद्धि की जानी चाहिये। इन कर्मचारियों को भी वही वेतन तथा भत्ते दिये जाने चाहिये जो विभागीय कर्मचारियों को दिये जाते हैं।

डाक तथा तार विभाग में काम कई गुना बढ़ गया है परन्तु अधिक व्यक्ति भर्ती करने के बजाय सरकार ने नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिये। टेलीफोन बिलों के काम के लिये संगणकों का उपयोग किया जा रहा है जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। परन्तु दूसरी ओर काम बढ़ गया है और श्रमिकों और कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ रहा है। सरकार की यह श्रम नीति बहुत विचित्र है।

सरकार कार्मिक संघ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करके अपनी श्रम विरोधी नीति को छुपाना चाहती हैं। खेद का विषय है कि 1968 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा शान्तिपूर्ण हड़ताल किये जाने के लिये हजारों कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये जा रहे हैं। लगभग 800 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और अभी छः कर्मचारियों को काम पर भी नहीं लिया गया है; मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन कार्यवाहियों को वापस लिया जाये।

महोदय अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार व्यवस्था को स्थानांन्तरित करके पश्चिम बंगाल के साथ घोर अन्याय किया गया है। इस सम्बन्ध में जनता को कोई कारण भी नहीं बताये गये जबकि उस यूनिट के कर्मचारियों ने गृह-मन्त्री को ज्ञापन भी दिया था।

मैं दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के साथ किये गये अन्याय का भी उल्लेख करना चाहता हूं। उन कर्मचारियों को पहाड़ी क्षेत्र भत्ता नहीं दिया जाता है तथा उन्हें बहुत से क्षेत्रों में आवास की बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है।

**श्री संजीवी राव** (काकीनाडा) : महोदय ! संचार मन्त्रालय ने सराहनीय कार्य किया है और मैं उनकी मांगों का पूरा समर्थन करता हूं। देश में विकास और उन्नति के लिये संचार व्यवस्था का बहुत महत्व होता है। अतः मैं माननीय मन्त्री को इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

प्रत्येक गांव में आधुनिक डाकघर होना चाहिये जिसमें बचत बैंक, तार और टैलीफोन आदि की व्यवस्था हो। देश की विशालता को ध्यान में रखकर 11830 सार्वजनिक टैलीफोन घरों की संख्या बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर टैलीफोन करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश में प्रति वर्ष संचार सुविधाओं की मांग बढ़ती जा रही है। इस मांग को पूरा करने के लिये टैलीफोन केन्द्रों, केबिलों तथा अन्य उपकरणों की भी आवश्यकता होगी। अतः इनके उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। मेरे विचार से प्रति वर्ष पांच से दस करोड़ रुपयों के मूल्य के उपकरणों तथा 10–15 करोड़ रुपयों के मूल्य के केबिलों का आयात किया जाता है।

खेद का विषय है कि रूपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केबल्स लि० निर्धारित क्षमता का 20–30 प्रतिशत उत्पादन ही कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि देश में केबिलों की भारी कमी को ध्यान में रखकर मन्त्री महोदय उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

हैदराबाद में केबिलों के दूसरे प्रस्तावित कारखाने में अभी तक उत्पादन होना आरम्भ नहीं हुआ है जबकि उसका शिलान्यास सात वर्ष पहले तत्कालीन उद्योग मन्त्री द्वारा किया गया था। मेरा निवेदन है कि इस कारखाने को शीघ्र से शीघ्र चालू करने के प्रयास किये जाने चाहियें।

संचार कार्यों के लिये ताम्बे के केबिलों के स्थान पर एल्यूमिनियम की केबिलों का प्रयोग होना चाहिये जैसा कि कई देशों में किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में उपलब्ध है।

विश्व व्यापार संचार उपग्रह प्रणाली के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने जो दूरदर्शिता अपनाई है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। आरवी में भू-उपग्रह केन्द्र के पूरे हो जाने की हमें प्रसन्नता है। मेरा सुझाव है कि इस कार्य के लिये अधिक धन नियत किया जाये तथा नई दिल्ली में दूसरे केन्द्र को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाये। इस व्यवस्था से केवल विदेशों से संचार व्यवस्था ही कायम नहीं होती वरन इससे अन्तर्राष्ट्रीय टैलीवीजन प्रसारणों को देश में प्रसारित किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार मन्त्रालय पारस्परिक परामर्श से देश के विभिन्न भागों में उपग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिये एक समेकित योजना बनायें।

अब मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। पाँच वर्ष पहले क्रास बार लाइनों के उत्पादन के लिये बैल्जियम की बैल टैलीफोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के साथ भारतीय टैलीफोन उद्योग ने सहयोग किया था तथा यह अनुमान लगाया गया था कि यह प्रणाली सस्ती न रहेगी। यह भी निर्धारित किया गया था कि करार के तीन वर्ष पश्चात प्रति वर्ष 100,000 लाइनों का उत्पादन होगा तथा पांच वर्ष के पश्चात प्रति वर्ष 200,000 लाइनों का उत्पादन होगा। किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रति वर्ष केवल 50,000 लाइनों का उत्पादन किया जा रहा है। स्ट्राजर प्रणाली की तुलना में 700 रुपया प्रति लाइन की बजाय इस प्रणाली में 1600 रुपया प्रति लाइन व्यय हो रहा है। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय स्वयं इस समस्या का शीघ्र समाधान खोजें। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस समस्या

की ओर विशेषकर इसलिये दिलाना चाहता हूं क्योंकि पता चला है कि सरकार कनाडा की सहायता से सूक्ष्म तरंग प्रणाली के आधुनिक उपकरण खरीदने जा रही है। मेरा सुझाव है कि सभी तकनीकी बातों का पूरा अध्ययन किया जाये। इसके पश्चात मैं निवेदन करता हूं कि मेरे सुझावों पर व्यावहारिक रूप से विचार किया जाये।

**श्री विश्व नारायण शास्त्री** (लखीमपुर) : मैं संचार मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि योग्य मन्त्री महोदय इस मन्त्रालय के माध्यम से जनता की अधिक सेवा करेंगे।

अपने कार्यवश मैंने कई डाक घरों को देखा है और मुझे आभास हुआ है उनमें न तो पर्याप्त कर्मचारी हैं न ही उनके बैठने आदि के लिये पर्याप्त स्थान है। मितव्ययता उचित है किन्तु उसके कार्य में भी बाधा नहीं पड़नी चाहिये।

देश में टेलीफोन प्राप्त करने के लिये पांच लाख के लगभग आवेदन पत्र पड़े होंगे। अतः जनता की मांग को पूरा करने के लिये देश में टेलीफोन-उपकरण बनाने वाले अन्य कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये। मेरा सुझाव है सार्वजनिक क्षेत्र में एक अन्य ऐसा कारखाना इसी वर्ष स्थापित किया जाना चाहिये।

आसाम में टेलीफोन व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में तो संचार व्यवस्था बिल्कुल खराब है। इस सम्बन्ध में स्वयं प्रधान मन्त्री को व्यक्तिगत अनुभव है। आसाम से गोहाटी अथवा कलकत्ता के लिये भाग्य से ही टैलीफोन सम्बन्ध स्थापित हो पाता है।

लखीमपुर जिले में धेमाजी केन्द्र तथा सिबसागर जिले में सोनारी-केन्द्र की यह स्थिति है कि चुनाव के समय चार-पांच दिन तक लगातार प्रयत्न करने के पश्चात मैं ट्रंक काल नहीं कर पाया। मुझे आशा है मन्त्री महोदय इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

आसाम के ऊपरी क्षेत्र में डाक ले जाने के लिये रेलवे का उपयोग किया जाना चाहिये क्योंकि वहां अब भी डाक पुराने ढंग से ले जाई जाती है।

लखीमपुर जिले के ढेकुआखाता स्थान पर तारघर स्थापित करने का प्रस्ताव था तथा मुझे यह आश्वासन मिला था कि गत सितम्बर में तार घर की स्थापना हो जायेगी। किन्तु खेद है कि अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार की अकार्यकुशलता से जनता सरकार की आलोचना करती है।

गोहाटी में हुई टैलीफोन सलाहकार समिति की पिछली बैठक में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था कि छोटे डाकघरों में डाक-तार विभाग की किसी नौकरी के लिये निर्धारित फार्म प्राप्त नहीं होते जिससे कुछ क्षेत्र के युवक प्रार्थना पत्र देने से वंचित रह जाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि जब भी किसी पद के लिए विज्ञापन दिया जाये उसके फार्म सभी डाकघरों में उपलब्ध होने चाहिये।

आसाम साहित्य सभा, आसाम सरकार तथा आसाम से आये सदस्यों की यह मांग है कि वर्ष 1972 में आसाम के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पी० एन० गोहांई बरूआ के जन्म दिवस पर उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाये। इस सम्बन्ध में टिकट संकलन समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था किन्तु उसने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। मेरा निवेदन है कि सरकार देश के किसी भी भाग की उपेक्षा न करे। मेरा विचार है कि टिकट संकलन समिति ने आसाम की जनता के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। अतः मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जांच करें।

**अध्यक्ष महोदय :** मांगों पर चर्चा लगभग 3.30 म० प० तक चलेगी। मन्त्री महोदय कितना समय लेना चाहेंगे।

**संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** लगभग आधा घंटा।

**डा० रानेन सेन :** माननीय मंत्री 4-30 पर अपना भाषण आरम्भ करें जिससे इस पर चार घंटे तक चर्चा की जा सके।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं नहीं। हम समय बचाना चाहते हैं। क्योंकि तब अन्य भी कुछ मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा हो सकती है। माननीय मंत्री को 3-30 म० प० बजे तैयार रहना चाहिये।

**श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) :** यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि डाक एवं तार विभाग के प्रशासन को सुधारने तथा उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मंत्री महोदय ने प्रयास प्रारम्भ किये हैं। मेरा सुझाव है कि इस बारे में ट्रंक काल बुक करने में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बिना जानकारी के दूसरों के टेलीफोन पर ट्रंक काल करने जैसी बातों को रोकने के विशेष प्रयास होने चाहियें।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाएं अपर्याप्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं बढ़ाने के विचार से प्रत्येक ग्राम में एक डाकखाना होना चाहिये। यह ठीक है कि देश के लगभग $5\frac{1}{2}$ लाख ग्रामों में डाकखाने खोलना कोई आसान काम नहीं है। परन्तु इस दिशा में पहला कदम यह होना चाहिये कि कई स्थानों पर जो डाकखाने अध्यापक अथवा पंचायत कर्मचारी जैसे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाये जा रहे हैं उन्हें पूरे दर्जे के डाकखानों में बदला जाना चाहिये। इस प्रकार के डाकखानों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इसके बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। अतः ग्रामीण जनता के लाभ के लिये इनको पूरे डाकखानों में बदला जाना चाहिये।

देश में अनेक स्थानों पर डायल घुमा कर सीधे टेलीफून करने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। परन्तु लोगों द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

यह बात समझ में नहीं आती कि डाक तथा तार बोर्ड में कर्मचारियों को क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया जा सकता। नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के सदस्य बहुत कुशल तथा अपने कार्यों में निपुण व्यक्ति हैं। दक्षता और कार्य निपुणता की दृष्टि से वे बोर्ड के सदस्यों का मुकाबला कर सकते हैं। अतः बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि को निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिये।

डाक विभाग द्वारा समय समय पर स्मारक टिकट जारी किये जाते हैं। परन्तु दुःख की बात है कि इस विभाग ने अभी बंगला देश की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के बारे में सोचा भी नहीं है। डाक विभाग द्वारा या तो मुजीबुर्रहमान के सम्मान में और या याह्या खान के अत्याचार के विरुद्ध अपना खून बहाने वाले शहीदों के सम्मान में स्मारक टिकट जारी किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि देश तथा विदेश में इसका स्वागत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय अतुल प्रसाद सेन के सम्मान में एक टिकट जारी किया जाना चाहिये। टेगौर के गीतों की तरह श्री अतुल सेन के गीतों ने भी बंगला देश में हलचल मचा दी है। इसके साथ ही श्री गणेश शङ्कर विद्यार्थी, श्री बाल कृष्ण शर्मा नवीन के सम्मान में भी डाक टिकट जारी होने चाहियें।

डाक तथा तार विभाग के लगभग 1000 कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक मामले अनिर्णीत पड़ हैं। इन कर्मचारियों ने बहुत दुःख झेले हैं। मंत्री महोदय को राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिये कि 1968 से अनिर्णीत पड़े इन मामलों को वापस ले लें।

**संचार मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | 1 | **श्री शिब्बन लाल सक्सेना :** | गोरखपुर जिले में लचिमपुर रेलवे स्टेशन से उत्तर में तीन मील स्थिति ग्राम गजेटोलिया शंकर मिश्र में एक शाखा डाक-घर खोलने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| | 2 | ,, | गोरखपुर में स्वाचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने में असफलता। | 100 रु० |
| | 3 | ,, | गोरखपुर में डाक-घर के भवन का, जिसके लिये भूमि अर्जित कर ली गई है, निर्माण करने में असफलता। | 100 रु० |
| 90 | 6 | **डा० लक्ष्मी-नारायण पाण्डे :** | देवनागरी लिपि में टेलिप्रींटरों की संख्या वृद्धि करने की नितान्त उपेक्षा। | 100 रु० |
| | 7 | ,, | हिन्दी भाषा में भेजे जाने वाले तारों के मामले में कुप्रबन्ध को रोकने में असफलता। | 100 रु० |
| | 8 | ,, | मध्य प्रदेश मण्डल के रतलाम जिले में जावरा में टेली-फोन लाइनों में वृद्धि करने में विलम्ब। | 100 रु० |
| | 9 | ,, | हिन्दुस्तान टेलिप्रींटर्स, मद्रास की क्षमता में वृद्धि करने में असफलता। | 100 रु० |
| | 10 | ,, | टेलीफोन सेवा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए टेलीफोन और उसके अन्य उपकरणों के निर्माण के लिए विशेष उपाय करने में असफलता। | 100 रु० |
| | 11 | ,, | मध्य प्रदेश के कई शहरों और बड़े नगरों में टेलीफोन सुविधाओं की कमी। | 100 रु० |
| | 12 | ,, | देश की तथा विदेशों में टेलीफोन और उसके अन्य उप-करणों की मांग पूरी करने के लिए नया टेलीफोन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता। | 100 रु० |
| | 13 | ,, | इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, बंगलोर की क्षमता मे वृद्धि करने में विलम्ब। | 100 रु० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 16 | **श्री टी० किरुतिनन :** | तमिलनाडु के प्रायः सभी मुख्य गांवों में विशेषकर रामनद जिले में, शाखा डाक-घरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | 100 रु० |
| | 17 | | तमिलनाडु के रामनद जिले के सभी डाकघरों में तार और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता । | 100 रु० |
| | 18 | ,, | तारों को भेजने तथा उनके वितरण में असाधारण विलम्ब । | 100 रु० |
| | 19 | ,, | दिल्ली और मद्रास के बीच सीधी डायल प्रणाली प्रारम्भ करने में असफलता । | 100 रु० |
| | 20 | ,, | मद्रास और मदुरै के बीच सीधी डायल प्रणाली शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता । | 100 रु० |
| | 21 | ,, | तमिलनाडु में मदुरै और मनमदुरै के बीच दोहरी लाइन प्रणाली की व्यवस्था करने में असफलता । | 100 रु० |
| | 22 | **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे :** | मध्य प्रदेश मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, रतलाम जिले में नये डाकघर खोलने अथवा डाक सुविधाओं में वृद्धि करने में विलम्ब । | 100 रु० |
| | 23 | ,, | मध्य प्रदेश मण्डल के मंदसौर और जावरा में डाकघर की उपयुक्त इमारतों की कमी । | 100 रु० |
| | 24 | ,, | डाक और तार कर्मचारियों की आवास सुविधाओं की नितान्त उपेक्षा । | 100 रु० |
| | 25 | ,, | डाक और तार विभाग में हिन्दी में प्रपत्र उपलब्ध करने में असफलता । | 100 रु० |
| 90 | 35 | **श्री रामावतार शास्त्री :** | सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक और तार कर्मचारियों पर लगाये गये दण्ड को वापिस लेने में असफलता । | 100 रु० |
| | 36 | ,, | डाक और तार बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने में असफलता । | 100 रु० |
| 90 | 37 | **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :** | मंदसौर और रतलाम जिलों में जनता कमांग के बावजूद भी अनेक गांवों में शाखा कार्यालय खोलने में असफलता । | 100 रु० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्ताव का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 38 | **डा० लक्ष्मी-नारायण पांडे :** | रतलाम जिले (मध्य प्रदेश) में जावरा में टेलीफोन केन्द्र की क्षमता को बढ़ाने में असफलता। | 100 रु० |
| | 39 | ,, | जावरा और मंदसौर में डाक्टरों के लिये उपयुक्त मकानों का निर्माण करने में असफलता। | 100 रु० |
| | 40 | ,, | जनता की सुविधा के लिये मंदसौर और रतलाम जिलों अनेक बड़े तथा महत्वपूर्ण गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 41 | ,, | तार कार्यालयों में हिन्दी में भेजे जाने वाले तारों की उपेक्षा। | 100 रुपये |
| | 42 | ,, | ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण की व्यवस्था को दूर करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 43 | ,, | डाक-तार संहिता में ऐसे आवश्यक संशोधन करने में असफलता, जिससे यह अधिक लाभदायक हो सके। | 100 रुपये |
| | 44 | ,, | टेलीफोन सेवाओं की कुशलता में निरन्तर आ रही गिरावट को रोकने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 45 | ,, | विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में आवश्यक सुधार तथा नवीकरण करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 46 | ,, | डाक-तार विभाग की क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 47 | ,, | रेल डाक सेवा में कर्मचारियों की संख्या की कमी को पूरा करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 48 | ,, | डाक-तार कर्मचारियों के लिये कुछ नये स्थानों पर अवकाश गृहों की व्यवस्था करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 55 | **श्री शिब्बन लाल सक्सेना :** | गोरखपुर जिले में महाराजगंज, सिसवा, घुधली, नौतनवां, लक्ष्मीपुर और ब्रिजमांनगंज स्टेशनों पर तार-घरों की व्यवस्था करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 56 | ,, | पांच मील के क्षेत्र में एक डाकघर के हिसाब से फटवाड़ाऔर महाराजगंज तहसीलों में ग्राम-डाक-घरों की व्यवस्था करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 57 | ,, | आनन्दनगर, धानी, ब्रिजमानगंज, लक्ष्मीपुर, नौतनवां, महाराजगंज, सिसवा, निचलौल, घुंटबानी और घुघली में, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, 24 घंटे खुले रहने वाले टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था करने में असफलता। | 100 रुपये |

| भाग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 58 | **डा० लक्ष्मी-नारायण पाण्डेय :** | चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने में असफलता । | 100 रुपये |
| | 59 | ,, | सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, उन्हें बहाल करने में असफलता । | 100 रुपये |
| | 60 | , | हिन्दी तारों को समय पर भेजने और वितरण करने की व्यवस्था करने में असफलता । | 100 रुपये |
| | 61 | ,, | रेल डाक सेवा के कर्मचारियों के लिये उपयुक्त विश्राम गृह बनाने में असफलता । | 100 रुपये |
| | 62 | **श्री रामावतार शास्त्री :** | डाक और तार विभाग में बनी प्रतिद्वंद्वी यूनियनों और संगठनों की मान्यता रद्द करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 63 | ,, | रांची में डाक-तार कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों को वापस लेने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 64 | ,, | पटना स्थित रेल डाक सेवा कार्यालय में कुर्सियों तथा स्थान की कमी । | 100 रुपये |
| | 65 | ,, | पटना स्थित रेल डाक सेवा कार्यालय के सामने एक शैड बनाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 66 | ,, | पटना में टेलीफोन सेवाओं में गड़बड़ी । | 100 रुपये |
| | 67 | ,, | पटना में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा । | 100 रुपये |
| | 68 | ,, | क्षेत्रीय डाक-तार परामर्शदात्री समितियों का गठन करने में विलम्ब । | 100 रुपये |
| | 69 | ,, | पटना टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन करने में विलम्ब । | 100 रुपये |
| | 70 | ,, | पटना जी० पी० ओ० में सार्टिंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 71 | ,, | पटना तार-घर में अधिकारियों की धांधली । | 100 रुपये |
| | 72 | ,, | देहातों में डाकघर खोलने की शर्तों के ढीला करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 73 | ,, | देहातों में डाकघर खोलने के मामले में घूसखोरी को रोकने में असफलता । | 100 रुपये |

| भाग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 74 | **श्री रामावतार शास्त्री :** | संचार मन्त्रालय में उच्चाधिकारियों के वेतन कम करने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| | 75 | ,, | उच्चाधिकारियों की श्रमिक-विरोधी नीति। | 100 रुपये |
| | 76 | ,, | बिहार के देहाती क्षेत्रों में तार-घरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| | 77 | ,, | कर्मचारियों के प्रति डाक और तार विभाग के अधिकारियों की "फूट डालो और शासन करो" नीति को रोकने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| | 78 | ,, | बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या बढ़ाने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 79 | ,, | मदुरै एच० आर० ओ० और डिवीजनल कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| | 80 | ,, | विरुधनगर में सार्टिंग कार्यालय खोलने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| | 81 | ,, | कोयम्बतूर एक्सप्रेस गाड़ी में रेल डाक सेवा कार्यालय खोलने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 90 | 82 | **श्री रामावतार शास्त्री :** | 9 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण गया के डाक-तार कर्मचारियों को दिये गये दंड वापस लेने की आवश्यकता। | |
| 92 | 83 | **श्री एम० कत्तामुत्तु :** | कर्मचारियों के प्रतिनिधि को डाक और तार बोर्ड में लेने में असफलता। | |
| | 84 | ,, | तामिलनाडु में अनेक तार घरों द्वारा रात्रि के समय तारों का वितरण करने में असफलता तथा वितरण के लिये अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाना। | |
| | 85 | ,, | तिरुनेलवेलि जंक्शन स्टेशन पर रेल डाक सेवा के लिये पर्याप्त सुविधायें एवं स्थान की व्यवस्था करने में असफलता। | |
| 92 | 86 | ,, | मदुरै जंक्शन पर रेल-डाक सेवा कार्यालय के सामने शेड बनाने की आवश्यकता। | |

| भाग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 87 | **श्री एम० कत्तामुत्त :** | डाक और तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और विभागतर कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने में असफलता। | |
| | 88 | ,, | 19 सितम्बर, 1968 की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग किये गये डाक-तार कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता। | |
| | 89 | ,, | तंजावूर जिले के अनेक तार-घरों में आवक 'कालों' के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलावे हेतु संदेशवाहक नियुक्त करने में असफलता। | |
| | 90 | ,, | तामिलनाडु में तिरुवरुर जंकशन पर रेल-डाक सेवा कार्यालय खोलने की आवश्यकता। | |
| | 91 | ,, | मयूरम जंकशन पर रेल डाक सेवा कार्यालय के लिये अच्छे स्थान और एक शेड की व्यवस्था करने में असफलता। | |
| | 92 | ,, | विभागेतर कर्मचारियों की उचित मांगों को स्वीकार करने में असफलता। | |
| | 93 | ,, | पांडीचेरी के भारती दासन की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने में असफलता। | |
| | 94 | ,, | तामिलनाडु के तमिल भाषा के महान विद्वान और देशभक्त थिरु वी० कल्याणसुन्दरम की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष डाक-टिकट जारी करने की आवश्यकता। | |
| | 95 | ,, | तामिलनाडु में विरुधुनगर में रेल-डाक सेवा कार्यालय खोलने में असफलता। | |

**Shrimati Savitri Shyam (Amcuala)**: This is the first time when these demands are being discussed in this House and I congratulate Shri H. N. Bahuguna for having this debate at such a good time. I support these demand, but in doing so I place certain suggestions also.

There is absolutely no doubt that this Department has got a special significance in responsibility in connecting the country with the rest of the world, and also in the economic growth of the nation. In this age of technology and science we have very little to spare. But even then this Department deserves wholesome approbation in regard to its work in the field of overseas communications wireless planning and telephone planning. I understand that small things are generally neglected in the light of

big plans, and it is evident if we look towards the promotion etc. of employees in the lower categories.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

The R. M. S. is connected with both i. e. post offices and railways. The building inhabiting the offices of R. M. S. are about 50 years old and are in delapidated condition. Unhygenic conditions prevail there and most of the sorters and porters seem to be the patients of either T. B. or asthama. I agree that a hon. Minister Prof· Sher Singh did something for the workers but he also neglected the employees of the lower catagories and did nothing for the fulfilment of their grievance. I have much hope from Shri Bahuguna.

Now, not only in the telephone Deptt. but in Post Telegraph Department also there is a big loss. Whereas this loss stood at 33.8 miliions in 1965-66, it has now reached to 170.2 million in 1971-72. What are the reasons behind all this ? This Department is not only a welfare organization but a commercial one also. Let us refer to the report of the Tarrif Commission in this regard. Our postcard which is being sold at 10 pise each costs the Department at 13.4 paise each.

It is said that Postcard is used mainly by the poorer section of the society. But I do not agree with this. I know that Post-card is used in large quantity by the business-centres and business magnets. Now there is likelihood of increase in its cost price i. e. up to 15.2 paise. I suggest that its price can be increased upto 15 paise each with out any hesitation. The Administrative Reforms Commission recommended that the loss incurred by P and T Department must be met by increasing the prices of tele-Communication and post-cards. At the same time they have also recommended the necessity of Post-offices in every village. To-day there is only one Post-office in six villages. Government should try to implement this recommendation of the A. R. C.

The Tariff Commission has recommended that the need of Telephone of every individual should be fulfilled. The quarterly fee of telephone, which is Rs. 90/- at the moment should be increased to Rs. 100/- and I think that it should be increased much higher.

A few persons use Post-boxes. Does a common man use them ? No. only Commercial concerns and big businessmen utilise the services of Post-boxes. Therefore, I feel that certain amount of money as a fee or rent should be realised from the persons who use these boxes.

The hon. Minister is a new entrant in this field and I hope he would show courage by tapping all the possible resources, and see that this department is running in profit.

The scheme regarding installation of a auto-exchange at Barielly which was pending since the Third Plan should be installed there. It is argued that due to shortage of copper cable, and parts for iron-structure the installation of auto-exchange is not being done. In this connection I want to point out to the Hon. Minister that in Baroda, Ludhiana and in some other places also this Ministry has installed auto-exchange though the Priority was of Bareilly. So I feel that not shortage of wire etc. but some thing else is responsible for not installing the auto-exchange there.

Barielly is a strategic-point and border area. That is an important place but still auto-exchange has not been installed, although the building for exchange was constructed long ago.

It has been decided that the Telephone Exchanges will be installed in every Tehsil Headquarter of U. P. but the old demand of installation of an auto-exchange at Barielly is not being met.

---

I have gone through the audit-reports of various years of this ministry and noticed that the same kind of irregularities are reported in all the reports. Moreover the lowest tender is not approved inspite of the standard specification of the tender.

Similarly the tenders which fulfil the conditions are disapproved and thus they are doing things arbitrarily. If the department is not in the position to install auto-exchange, then this item should be bought in open market.

There was a proposal of opening of combined offices, i. e. a Post-office and telephone exchange to-gether, in U. P. This proposal was passed but on the repeated requests the combined offices have been opened only at a very few places. This demand of whole U. P. should be attended to.

This department has gone unwieldy therefore, it should be decentralised. Every time and at every place any Board or Committee sit and all the members avail opportunity of working there and know things themselves. It is not necessary that a Minister or a Secretary is the only wise person. All of our intelligentsia, our technology should be utilised fully. The Administrative Reforms Commission has laid down certain principles and according to those if the strength of a particular department reaches a certain number and funds of that department amounts to a particular figure, then that very department should be shaped as an autonomous Corporation. The department of the hon. Minister has grown too big to be cared properly, I do not want to see an I. A. S. or a P. C. S. person as the Chairman if this department is shaped as Corporation. For that purpose a technical psrson must be entrusted with this job. This suggestion should be considered.

**श्री था० किरुत्तिनन** (शिवगंज): भारत में डाक तथा तार विभाग दूसरा सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है। यह माना गया है कि किसी देश की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की वृद्धि का पता वहां के दूर संचार की कितनी उन्नति है इससे पता लगता है।

गत दस वर्षों से टेलीफोन का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है ; परन्तु अब यह विलासिता का द्योतक न रह कर सर्वसाधारण की सामान्य आवश्यकता बन गया है।

डाक तथा तार विभाग के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि डाक, तार, टेलीफोन तथा अन्तर्राष्ट्रीय संचार सेवाओं की संतोषजनक प्रगति हुई, परन्तु यह प्रगति इस सदन अथवा देश की जनता के दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है। यद्यपि डाक घरों, तार घरों तथा टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में पिछले वर्षों में हुये और चालू वर्ष में होने वाले घाटे के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है। इसलिये उन्होंने प्रशुल्क की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया था।

अब मैं डाक घरों के कार्यकरण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1960 की तुलना में वर्ष 1970 में डाक घरों की संख्या में वृद्धि हुई है ; परन्तु फिर भी यह संख्या विकसित देशों की तुलना में इस देश में बहुत कम है।

डाक घरों के कार्य संचालन को देखने से पता चलता है कि डाक शाखायें घाटे में चल रही हैं। प्रशुल्क के प्रश्न की हाल ही में डाक तथा तार प्रशुल्क जांच समिति द्वारा जांच की गई थी। इस समिति ने प्रशुल्क दरों में वृद्धि की सिफारिश की थी परन्तु इस वृद्धि से भी घाटा होना बन्द नहीं हुआ है। इसलिये प्रशुल्क दरों में वृद्धि करने से समस्या हल नहीं हो जायेगी। घाटे तथा हानि को ध्यान में रखते हुये इस विषय में एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जानी चाहिये। हम ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घरों की संख्या में कमी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा।

जहां तक तार सेवाओं का सम्बन्ध है, इनमें गत 12 वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है। वर्ष 1969-70 में अनुमानतः 6.86 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तार संदेशों की लागत पर नियन्त्रण रखने तथा अन्य मितव्ययितायें बरतने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

जहां तक टेलीफोनों का सम्बन्ध है; भारत में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। परन्तु कुछ अन्य विकसित देशों की तुलना में यह प्रगति अब भी कम है। भारत में प्रति हजार की जनसंख्या पर टेलीफोनों की संख्या बहुत ही कम है।

जहां तक टेलीफोन बिलों का सम्बन्ध है, 31 मार्च, 1970 तक जारी किये गये टेलीफोन बिलों की बकाया राशि 1 जुलाई, 1970 को 6·78 करोड़ रुपये थी।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं निम्न बातें विचार के लिये रख रहा हूं।

पत्रों के अतिरिक्त, पोस्टकार्डों, मनीआर्डरों तथा समाचार-पत्रों, आदि वस्तुओं पर निर्धारित किया गया डाक प्रशुल्क संचालन व्यय के अनुरूप नहीं है। अतः डाक सेवाओं तथा ऐसी वस्तुओं पर डाक प्रशुल्क में, जिन पर कम प्रशुल्क होना लोक हित में है, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज सहायता दी जानी चाहिये।

भारत सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

एक वाणिज्यिक तथा जन सेवी विभाग के रूप में डाक व तार विभाग की यद्यपि अनेक अन्य जिम्मावारियां हैं तथापि इस संबंध में रेलवे कन्वेनशन कमेटी, 1960 की सिफारिशों के अनुसार महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों पर हुई हानि को उसे सामान्य राजस्व से पूरा करना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन समिति 1960-61 के प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों आदि में डाक, तार तथा टेलीफोन सुविधायें जुटाने पर अधिक हुए व्यय के कारण होने वाले घाटे की पूर्ति भी सामान्य राजस्व से ही की जाये।

दूसरे, तार सेवा को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिये सामान्य तार सेवा से अधिक लाभ-प्रद टैलेक्स सेवा का विस्तार तथा प्रचार किया जाना चाहिये। तीसरे, डाक व तार विभाग के लिये अलग से एक बजट पेश किया जाये जिसकी सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में भी की गई हैं।

चौथे, प्राक्कलन समिति 1960-61 तथा प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक सांविधिक बोर्ड के गठन की भी सलाह दी है। पांचवें, केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार परिषद के समान डाक व तार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं व सेवाओं के बारे में विचार करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं का कोई संगठन नहीं है, अतः डाक व तार उपभोक्ता सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाना चाहिये।

शिकायतें सुनने और उनका निराकरण करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। डाक, मनीआर्डर, तार आदि के वितरण में विलंब सबंधी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं परन्तु विभाग केवल इतना ही कह देता है कि इस विभाग के विस्तार तथा यहां कार्य कुशलता में कमी के कारण ऐसा होता है। अतः तथ्यों पर आधारित शिकायतों के बारे में तुरन्त कार्यवाही करने तथा ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए उपाय किये जाने चाहियें।

आयोजन और वित्त के बारे में सर्कल अध्यक्षों को ब्यौरेवार योजना तैयार करने को नहीं कहा जाता है। विभाग के प्रमुख उद्देश्यों तथा नीतियों संबंधी विस्तृत योजनायें तैयार की जानी

चाहियें जिन्हें प्रशासनिक एकक और डिविजन तैयार करें। इन पर डिविजन तथा सर्कल के अध्यक्ष विचार करें तथा फिर एक समन्वित योजना तैयार की जाये।

**श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर)** : मैं संचार मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् इस मन्त्रालय ने जो अच्छे कार्य किये हैं मैं उनकी सराहना करता हूँ।

देश को एक सूत्र में बाँधने तथा राष्ट्रीय जीवन में कार्यकुशलता तथा उत्पादिता बढ़ाने में इस मन्त्रालय के संचार विभाग की टेलीफोन, तार सेवाओं तथा डाकघरों को एक महत्वपूर्ण कार्य करना है।

मैं केवल पूर्वी खण्ड के बारे में ही कुछ कहूंगा। मेरा क्षेत्र मनीपुर शिलांग सर्किल के अन्तर्गत है और वहां की टेलीफोन डायरेक्टरी दिल्ली की डायरेक्टरी के पांचवें भाग के बराबर है जिससे उस क्षेत्र की कमियों का स्पष्ट पता चलता है। इस क्षेत्र में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैंड तथा नेफा शामिल हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वहां कितना अधिक कार्य किया जाना चाहिये विशेष रूप से टेलीफोन सेवा के संदर्भ में। मनीपुर की राजधानी इम्फाल में एक भी आटो एक्सचेंज नहीं है। कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि इम्फाल में डायल प्रणाली आरम्भ होगी परन्तु वहां तो अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय के प्राचीन भवन में टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा है। मन्त्री महोदय कृपया इस ओर विशेष ध्यान दें।

इम्फाल तथा मनीपुर से बाहर के किसी भी केन्द्र के बीच ट्रन्क-सेवा बहुत ही खराब है। यह बड़ी वर्षा वाला तथा कठिन क्षेत्र है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां की परिस्थितियों को देखते हुए वह वहां के लिये यथोचित व्यवस्था करें। हमारा अनुभव है कि इम्फाल से देश के किसी भी अन्य भाग में हम ट्रंक सेवा नहीं कर पाते यह कठिनाई दूर की जानी चाहिये।

मनीपुर में बड़ा क्षेत्र पहाड़ी है। केवल 1/10 भाग में घाटी है तथा शेष 9/10 भाग में बड़ी संख्या में छोटे छोटे गांव बसे हैं। वहां डाक-वितरण की उचित व्यवस्था का होना बड़ा आवश्यक है। डाक घरों में अंशकालिक रूप में कार्य करने के लिये किसी दुकानदार को नियुक्त कर दिया जाता है और वहां की डाक सेवा उसकी कार्यकुशलता पर ही निर्भर करती है। जब भी वहां डाकखाने खोलने की मांग की जाती है तो सरकार कह देती है कि वहां उतना कार्य नहीं है कि डाक सेवा की व्यवस्था की जाये। हमारी मांग है कि वहां अंशकालिक डाक घरों के स्थान पर नियमित और पूर्णकालिक डाक घर खोले जायें, या फिर उपयुक्त व्यक्तियों का ही चुनाव किया जाये। वहां दूर दूर गांव बसे हैं उनके मध्य संचार तथा डाक सेवा तो होनी ही चाहिये।

स्मारक डाक-टिकटों के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम लूंगा जिनकी स्मृति में डाक टिकट अवश्य जारी किये जाने चाहियें इनमें सर्वप्रथम नाम मैं वीर तिकेन्द्रजीत सिंह का लूंगा वह नीपुर तथा ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुए युद्ध के हीरो थे और उनकी देश भक्ति तथा मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना के कारण ही उन्हें 13 अगस्त, 1891 को फांसी दी गई थी। उनकी स्मृति में डाक टिकट अवश्य जारी किया जाना चाहिये।

दूसरे महान व्यक्ति राजऋषि भाग्यचन्द्र थे जिन्होंने 250 वर्ष पूर्व मनीपुर रासलीला प्रकार की नृत्य प्रणाली का आविष्कार किया था। उनका जन्म भी इस छोटे से पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था और उन्होंने शास्त्रीय नृत्य का विकास किया था। देश उस महान कलाकार का आभारी है और उनकी स्मृति में भी डाक-टिकट जारी किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं फिर इस बात पर जोर दूंगा कि हमारा क्षेत्र प्राय: देश के अन्य भाग से कटा-सा रहता है अत: उसे यथोचित संचार व्यवस्था द्वारा पूरी तरह संबंधित रखा जाना चाहिये ।

**Dr. Laxminarain Pandey** (Mandsaur) : The detection of several bundles of undelivered letters makes a dismal reading of the working of this P. and T. Department.

There have also been cases of theft of telephone wires by the employees themselves. So, if the situation is not remedid by effectieve timely action, the Department will lose the faith of the people. There is lot of bungling in regard to the delivery of Money-orders also. Such irregularities are apprehended at a very late stage. The Department has taken no steps to prevent the recurrence of such irregularities.

Whenever the budget is submitted the rates of the postal items are increased, but none cares to increase the efficiency; it however decreases day by day.

There has been a mention of telegrams in Hindi. There is a general complaint about the acceptance and timely delivery of Hindi Telegrams by the postal employees. Shri Kachwai has just now given an interesting instance that he sent a telegram, but he himself reached before the telegram which actually reached its destination after seven days instead of 24 hours.

The operators in the Telephone exchanges also are of no help They always put us off by telling that the P. P. lines are engaged or defective. They pay no attention towards the inconvenience of the customers.

The pace of progress of Hindi in this Department is also very unsatisfactory. Although the hon. Communication Minister has stated that he has printed quite a number of forms etc. in Hindi, but in postoffices, they are rarely available. That shows that we are not acting on what we have decided to do in regard to Hindi language.

The 1970-71 report of the Ministry of Communication gives the total number of teleprinters as 15993 out of which only 600 Hindi. The small number of Hindi teleprinters betrays the negligence of this Department in regard to Hindi. I, therefore, appeal that effective steps should be taken to increase the number of Hindi Teleprinters.

Then, regarding the requirements and demands of various offices of this Department. I would point out that there are no adequete arrangements of rest-houses for the R.M S. staff who have to travel from one place to another. Whatever the present rest-houses are in a very bad condition and they provide no rest to the staff who have to work continuously for 12 or 14 hours.

The demand for telephones in Madhya Pradesh has been increasing day by day but this Department is not attending to these demands, A large number of consumers are anxious to get telephone connections in big towns like Indore, Ratlam, Mandsaur, Ujjain etc., but the Department does not seem to be attentive towards them. On the other hand they are wastefuly installing heavy equipment on other places where this equipment is not at all utilised. .

The audit report 1969-70 of this Department cites a number of examples of rackets and irregularities involving lakhs of rupees. These irregularities partain to rejection of lowest offer, G. I. pipes case, reconstruction of telephone lines, construction of over head tanks for water supply etc. etc. In some case even the case files are reported to be missing. Then, the Department is not found able enough to reply to the queries made by the audit unit. These are very serious matters and the hon. Minister should look into them.

Further, there is no provision, to have direct dialling between important cities like Bhopal, Ratlam, Mandsaur and Delhi. I request that this facility should be immediately provided. This would benefit not only the people but also the Department.

The Post and Telegraph Code, which was enacted in 1954 has become quite old. There has been no significant change or amendment in the code of conduct. The hon. Minister do the needful in this behalf also so as to remedy the grievances of the staff concerned.

The reports concerning this Department show that only the Telephone side is earning something whereas the Posts and Telegraph Units are incurring losses. But there are heavy arrears of telephone Department which if recovered would put this Department to in a sound position.

Thus this whole Department lacks the required efficiency and expert working. There is great need of opening more and more post-offices in the rural areas and these should be run by the Department itself and not by the Gram Panchayats etc.

Finally, I once again urge upon the hon. Minister to show atleast as much interest and zeal in improving the efficiency as was shown for eradicating corruption in this Department.

**डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण)** : जहां मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ; वहां मैं मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि इस विभाग में सभी कुछ अच्छी प्रकार से नहीं चल रहा है। यह विभाग एक समाज-सेवी विभाग है और अन्य विभागों के समान वाणिज्यिक विभाग नहीं माना जाना चाहिये। इसका जनता से सीधा सम्बन्ध है तथा केवल स्वदेश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी। अत: इस विभाग को कार्यकुशलता की दृष्टि से केन्द्र सरकार का दर्पण होना चाहिये। मगर जहां यह विभाग सरकार के सभी विभागों में सर्वाधिक कार्य-कुशल माना जाता था अब यहां बड़ी भारी अकुशलता आ चुकी है। महीनों तक पत्र अपने गन्तव्य स्थानों पर नहीं पहुंचते। तार बल्कि तुरन्त प्रेषण हेतु तार भी या तो पहुंचते ही नहीं या फिर तब पहुंचते हैं जब उनके भेजने का अभिप्राय ही समाप्त हो जाता है।

यह विचार किया जाना चाहिये कि ऐसी अकुशलता इस विभाग में क्यों और किस कारण आई। क्या इस प्रयोजन के लिये संसद सदस्यों, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा इस विभाग के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को लेकर एक समिति गठित नहीं की जा सकती जो इस विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये मार्गदर्शी सुझाव दे सके ? फिर इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें क्रियान्वित किया जाये।

मुझे श्री बहुगुणा की कार्यकुशलता पर दृढ़ विश्वास है। उन्होंने चुपचाप डाक-घरों आदि में जाकर उपेक्षित पड़ी डाक आदि को देखा है तथा कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार का निरीक्षण स्वयं किया है ; और इस विभाग से भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद तथा अन्य अनियमितताओं को जड़ से समाप्त करने का उन्होंने जो निश्चय किया है उससे लोगों में इस विभाग के प्रति विश्वास और आस्था बढ़ेगी। हम उनसे यह भी अनुरोध करेंगे कि वह यह सुनिश्चय करें कि डाक घरों के कर्मचारी जनता के साथ यथा शीघ्र गति से, नम्रता के साथ तथा कार्यकुशलता पूर्वक व्यवहार करें तथा डाक व तारों का वितरण तथा समय करने की व्यवस्था करें।

इस विभाग के विभिन्न कार्यकलापों में भारी वृद्धि हुई है जिनमें डाक व तार, अन्तर्राष्ट्रीय संचार, वायरलैस प्लानिंग तथा कोआर्डिनेशन, टेलीफोन, दूरसंचार तथा राष्ट्रीय सेवायें शामिल हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि की दृष्टि से मैं सुझाव दूंगा कि इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बंगलौर तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्ज, मद्रास को एक निगम में परिवर्तित कर दिया जाये या फिर टेलीफोन तथा दूर संचार व्यवस्था और टेलीफोन तथा टेलीप्रिन्टरों के निर्माण हेतु एक अलग विभाग स्थापित कर दिया जाये।

यह विभाग प्रगति और समृद्धि का मार्ग-द्वार है। परन्तु क्या देश भर में हर दो मील पर डाकघर तथा टेलीफोन व तार घर हर पांच मील के अन्तर पर स्थित हैं ? उनके बीच का अन्तर तो 20–20 मील से भी अधिक है। अत: लोगों की मांग को देखते हुए हम ऐसी योजना बनायें कि काश्मीर से नेफा तक के क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी संख्या में डाकघरों, तारघरों तथा टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था हो। इस कार्य में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे केवल सामान्य जनता को ही नहीं प्रत्युत हमारे जवानों को भी बहुत सुविधा होगी।

इस विभाग के कर्मचारियों को पूरी सामाजिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। बम्बई में कर्मचारियों को यथोचित चिकित्सा तथा मनोरंजन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। अनेक गरीब लोग तपेदिक आदि के शिकार हैं और उनकी देख भाल करने वाला कोई नहीं। वे बेचारे सरकारी अस्पतालों आदि में प्रवेश पाने हेतु इधर उधर से सिफारिश प्राप्त करने के लिये धक्के खाते फिरते हैं। मंत्री महोदय बतायें कि उन्होंने इस विभाग के कर्मचारियों के लिये चिकित्सालय तथा मनोरंजन और आवास की क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ?

सेवाओं में भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों के लिये निश्चित प्रतिशतता निर्धारित है। कुछ वर्षों की रिपोर्ट देखकर मुझे दुःख होता है कि उक्त प्रतिशतता पूरी नहीं की गई है। अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र तो प्राप्त किये जाते हैं परन्तु न तो उन्हें साक्षात्कार के लिये बुलाया जाता है और न ही चिकित्सा परीक्षा आदि के लिये। मंत्री महोदय यह सुनिश्चय करें कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की इस प्रकार उपेक्षा न की जाये।

**श्री के० बासप्पा (चित्रदुर्ग)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव भी उनके विचारार्थ रखना चाहता हूं। यह मन्त्रालय राष्ट्रीय नेताओं की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम तैयार करने के लिये बधाई का पात्र है। इस संबंध में मैं सुझाव दूंगा कि मैसूर के भूतपूर्व शासक टीपू सुल्तान की स्मृति में भी डाक-टिकट जारी किया जाये जिन्होंने बड़ी देश भक्ति के साथ ब्रिटिश शासन से लोहा लिया था।

रेलवे स्टेशनों से मुफस्सिल मुख्यालयों को डाक भेजने हेतु दी जाने वाली राज सहायता बिलकुल असंतोषजनक है। रेलवे स्टेशन से बस स्टाप तक डाक ले जाने का कोई किराया नहीं दिया जाता और इस हानि के साथ-साथ बस के मालिक को हर प्रकार की क्षति का भी दायित्व झेलना पड़ता है। साथ ही डाक के बड़े बड़े बोरे होने के कारण यात्रियों को भी असुविधा होती है। अत: राज सहायता देने की प्रणाली के स्थान पर यह विभाग रेलवे स्टेशन से मुफस्सिल मुख्यालयों तक अपनी निजी गाड़ियां चलाये इससे विभाग तथा जनता दोनों को बहुत लाभ होगा।

यह प्रत्येक मित्र ने यह कहा है कि इस विभाग में कार्यकुशलता कम है। इस कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिये मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक जिला अपने निजी डाक व तार के लिये एक सब-डिविजन बने अर्थात प्रत्येक जिले को एक अलग सब-डिविजन माना जाये। इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

मुझे यह भी पता लगा है कि मुफस्सिल क्षेत्रों में 10 पैसे तथा 20 पैसे के टिकटों की बड़ी कमी है।

मैं मुफस्सल क्षेत्रों के डाक घरों में अधिक मूल्यों के टिकटों की कमी को दूर करने के लिये अनुरोध करता हूं।

इस सदन के लगभग सभी सदस्यों ने टेलीफोनों की कम सप्लाई की ओर ध्यान दिलाया है। मुझे नहीं मालूम कि टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन के लिये मन्त्रालय ने अगले 15–20 वर्षों के लिये काई कार्यक्रम बनाया है अथवा नहीं। 'ओ० वाई० टी०' योजना के अन्तर्गत भी विभाग के पास टेलीफोन के लिये हजारों आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं। टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन के लिये एक विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिए।

बंगलौर से मैसूर, मरकारा, मंगलौर और हुबली तथा अन्य स्थानों के लिये ट्रंक डायल प्रणाली अत्यधिक खराब स्थिति में है। मानसून में लाइन अधिकांश समय खराब रहती है। मेरा सुझाव है कि इस समस्या का हल करने के लिये भूमिगत केबल लगाये जाने चाहिए।

देश के प्रत्येक भाग में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेन्ज होने चाहिए। कुछ मुफस्सल स्थानों पर भी स्वचापित टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित किये जा रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के देवनागर जैसे स्थान में, जो दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है, अभी तक एक भी स्वचालित टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित नहीं किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें प्रत्येक महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बे में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेन्ज की स्थापना हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

**Shri Ramkanwar (Tonk)** : Mr. Speaker, the Post and Telegraph Deptt. is a public service department. Therefore, it is the primary duty of the hon'ble Minister to bring about efficiency in the working of the deptt.

The trunk call line is not available for hours together. The public has to experience great difficulty. The employees of Telephone Department are in collusion with the businessmen whose heavy bills are diverted to other subscribes.

There are very few telephone exchanges in the rural areas. In my constituency, there are many towns like Tonk, where telephone facilities have to be provided.

In the rural areas, the letters are not delivered sometimes even for 15 days. The inland letters, Post Cards, Money order forms etc. are not available for many days in the post offices in rural areas. There should be a post office in each of the Panchayat headquarter. There should also be a clerk who can fill in forms and write letters for the illiterate villagers.

A few days back, the hon. Minister, Shri Bahuguna made an on-the-spot enquiry in the G. P. O., New Delhi where he found 10-20 thousands of letters undelivered for many days. I want to know as to what action has been taken against the persons responsible for the gross negligence.

The change and small coins are not available even in the post offices. I request the hon'ble Minister to make arrangement for the small-coins so that people may not suffer.

**Shri R B. Paswan (Rosera)** : I want to draw the attention of the Government to the problems of the employees. The class-III and class IV employees are granted children Educational Allowance only upto pre-university stage. They should be granted this allowance for the higher education of their children also.

The post offices are generally located in the rented buildings which are generally in very bad condition. The Government should also provide residential accommodation to its class III and class IV employees. The E. D. staff working in the isolated areas are very low paid employees. They are unable even to keep the wolf away from the door. The Government should pay attention to do away with their miseries.

The postal employees have been provided medical facility, but they feel great

difficulty when the medical expenses incurred by them are not reimbursed to them in time. I request the Government that they should get some sort of allowance along with their pay so that they may be able to incur the medical expenses.

There are so many areas where post and telegraph services are not available. The hon. Minister should ask the Divisional Superintendents to provide the postal services where they are not available at present.

**Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar)** : Shri Bahuguna is an efficient man, but the employees of his Deptt. are very inefficient. The Chief Minister of A.P., who belongs to the ruling party received letters from Delhi after four days. He complained to the Post Master General also about this. I want to know from the hon'ble Minister as to what steps have been taken to increase the efficiency of the Deptt.

Even the M.Ps. are not able to make a trunk call even after 6 or 7 hours, the situation of the common man could well be imagined. The telephone services should also be improved in the rural areas. In my own district of Andhra Pradesh, there are very few P.C.Os. There should be more Public call offices in each of the Districts in the country.

**Shri Chandulal Chandrakar (Durg)** : Madhya Pradesh is large State and telephone facilities are very inadequate and there Service is very poor.

In my constituency, There are a few towns-Vadhera, Vimetara, Durg and Bolod-where telephone facility has been provided. In Vimetara, forty connections had been given. In Durg town, which is 37 miles away from that town, there are now only two telephone connections, because people got their telephone lines disconnected as the service was very poor. I request the hon. Minister to visit these areas, if that is not possible, he should ask for a report and try to improve the telephone services.

There are about 67,000 villages in M. P. In most of the villages there is no post office. I know a village with a population of 3400, where no post offfice has been opened so far. There is not even the roads in certain tribal areas of Sarguja, Raigarh, Raipur and Bastar etc. At least postal services should be provided to them.

The post offices are situated in rented buildings for the last 15-20 years, These post offices should be shifted to the newly-constructed departmental buildings.

**श्री डी० डी० देसाई (कैरा)** : देश में संचार साधनों की अत्यधिक आवश्यकता है। वर्षा ऋतु में संचार व्यवस्था समाप्त हो जाती है। हमारे अधिकांश गांवों की जनसंख्या 500 से 1000 है। मैं अनुरोध करता हूं कि 500 अथवा अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव में डाकखानों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रत्येक सदस्य ने टेलीफोन और तार की समस्याओं की चर्चा की है। सहधुरी तारों के बारे में कठिनाइयां हैं। इस हेतु मन्त्रालय को नये कारखानों की स्थापना करनी चाहिए या अन्य निर्माताओं को इतनी अनुमति दे देनी चाहिये। यदि सहधुरी तारों के उत्पादन में विलम्ब होने की सम्भावना हो, तो हमें देश में स्टीलपट तारों जैसे नगरीय तारों के निर्माण पर विचार करना चाहिए। इनका उत्पादन बहुत आसान है। देश में ही कच्चा माल उपलब्ध है और देशी मशीनों और स्वदेशी तकनीकी जानकारी द्वारा इन्हें बनाया जा सकता है।

इस प्रकार की आधार भूत आवश्यकता के विकास को रोका नहीं जाना चाहिए। यह कृषि और उद्योग दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसका कारण यह है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में ही इसका उत्पादन करना चाहती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उत्पादन इतना सीमित है कि टेलीफोनों के कनेक्शनों के लिये उपभोक्ताओं को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहीं

कहीं तो 10-15 वर्षों से टेलीफोनों के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अन्य देशों में टेलीफोन तत्काल मिल जाता है ; क्योंकि यह राजस्व प्राप्ति का एक साधन है।

अगर इस मामले में सरकार को विलम्ब लगने की आशंका है, तो सूक्ष्म तरंग प्रणाली आदि के उपयोग से इस समस्या को हल करना चाहिए। इलेक्ट्रोनिक साधनों के उपयोग से संचार साधनों पर खर्च भी कम आयेगा और कर्मचारियों की संख्या में भी कमी होगी। साथ ही साथ टेलीफोन विभाग में व्याप्त जालसाजी आदि से भी बचा जा सकेगा।

इस समय दूर संचार में भी कठिनाई अनुभव की जा रही है। हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगों और निर्यात व्यापार में भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं इसके विकास के लिए दूर संचार की अच्छी व्यवस्था का होना जरूरी है।

समुचित संचार व्यवस्था के बिना हम जन शिक्षा, विकासात्मक कार्यों आदि में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सकते। यह आवश्यक नहीं कि हम ऐसी वस्तुएं ही बनायें जिनका मूल्य करोड़ों रुपये हो। आज के इस इलैक्ट्रानिक युग में कम लागत से भी काम चल सकता है। देश में निर्माण क्षमता को बेकार रखना उचित नहीं अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश के इलैक्ट्रानिक उद्योग को प्रोत्साहन दे जिससे देश की संचार व्यवस्था सुधर सके।

**Shri Nathu Ram Ahirwar** (Tikamgarh) : Madhya Pradesh is a backward area. There are many villages, particularly in Bundelkhand area where post office do not exist at all. Government should open post offices in these villages.

Responsibilities of running the Post offices in villages are entrusted to teachers. But Schools remain closed for practically six months during the year in Madhya. Therefore such Post offices are not run properly during the period the schools are closed, with the result that these Post offices are sustaining losses. These Post offices should better be entrusted to the educated unemployeed in the Villages. Being unemployed they would work sincerely. In this way Post offices could earn profits and people of villages would get better Post office facilities.

Bundelkhand area of Madhya Pradesh is dacoit infested. It would be better. if each Police Station of the area is telephonically linked to District Head quarters It would greatly help in solving this problem.

There is no direct telephonic connection between Tikamgarh and Bhopal, though it exists between Latitpur and Bhopal, which is 36 miles from Tikamgarh. There is no line between Latifpur and Bina. These connections should be immediately provided.

Department should provide proper facilities to its employees. Latrine and bath room are situated at a distance of about 200 yards from the office of R. M. S. at Jhansi. These facilities should be provided at a close distance Department should provide residential facilities near Post offices to its employees. Proper medical facilities should also be provided to employees.

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम इन मांगों पर चर्चा 4.30 बजे समाप्त करके इन्हें मतदान के लिए रखेंगे।

**श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़)** : सरकार ने इस मन्त्रालय को उतना महत्व नहीं दे रखा है जितना महत्व इस मन्त्रालय को मिलना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्रालय के कार्य के स्तर में गिरावट के साथ सरकार की दृष्टि में इस मन्त्रालय का महत्व भी कम हो रहा है।

[**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई**
**Shrimati Sheila Kaul in the Chair**]

इस मन्त्रालय के कार्य के स्तर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सदन का शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो जो डाक तथा तार विभाग द्वारा कष्ट न पा सका हो।

थोड़ी दूरी वाले स्थानों पर ट्रंक काल करने के लिए भी काफी लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई-कई दिन तक लगातार लाइनें खराब रहती हैं। यही स्थिति डाक के बारे में भी है। पत्र डाक में डाल देने के पश्चात यह निश्चित नहीं कि वह वितरित भी होगा कि नहीं, वितरण में कई दिन लग जाते हैं। विभाग ने अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए अब पत्र के डाक में डाले जाने तथा वितरण सम्बन्धी तिथियों वाली मोहरें लगाना बन्द कर दिया है। इस विभाग का राजनैतिक उपयोग किया जाता है। वोट मांगने के नाम पर गाँव के लोगों को डराया गया कि वोट न देने की स्थिति में वहां का डाकघर बन्द कर दिया जायेगा और तीन वर्षों से चल रहे डाकघर को चुनाव के पश्चात बंद कर दिया गया। स्वतंत्र देश में इस प्रकार की बातें कल्पनातीत हैं परन्तु फिर भी यह सत्य है। इस बापू में रेरी जांच की जानी चाहिये। दुनिया के किसी भी अन्य देश में इस प्रकार की बातें सहन नहीं की जातीं।

कई संसद सदस्यों तथा मंत्रियों को इस बात का पता है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा उनके टेलीफोन सुने जाते हैं और उनकी बातचीत को टेप किया जाता है। कई लोगों की डाक को छांट कर पहले उसे पुलिस को दिखाया जाता है और तब वह उस व्यक्ति को दी जाती है।

विभाग में दक्षता के स्थान पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार की नाक के नीचे इस प्रकार की बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिये। दिल्ली में डाक्टरों, विधायकों, राजनैतिक दलों आदि को टेलीफोन देने में प्राथमिकता दी जाती है। मैंने लगभग दो वर्ष पूर्व अपने दल के नाम पर टेलीफोन की मांग की थी परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा बताया जाता है कि प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जांच करवाएं कि दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लेने वालों को किस किस आधार पर प्राथमिकता दी गई। यदि संसद सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है तो सामान्य जनता की तो बात ही क्या है।

इस विभाग के कार्य को सुचारू बनाया जाना चाहिये। ऐसा करने में इस विभाग के पास से छोटी बचत के खातों जैसे कार्य वापस ले लिये जाने चाहिये। बैंकों का अब राष्ट्रीयकरण हो चुका है अतः यह कार्य उन बैंकों को सौंपा जाना चाहिये। इसमें भी कोई उचितता नहीं कि डाकघर भी वही काम करें और कम ब्याज दें ?

***श्री के० सूर्य नारायण (एलूरू)** : मेरे पूर्व के वक्ता ने जो बातें कही हैं वह अधिकतर इस सदस्य के विपक्षी पक्ष में होने के कारण सरकार के दोष गिनाने मात्र के लिए कही गई है। गैर-कानूनी कार्यवाहियां रोकने के लिए प्रत्येक सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जाते हैं। हरियाणा के मुख्य मन्त्री के नाते शायद हाल तक वहाँ पर ये कार्यवाहियां इनके आदेश से की जाती रही होंगीं अतः इनमें कोई नवीनता नहीं है।

*तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

वास्तव में इस विभाग द्वारा जन साधारण के लिए कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमें आशा है कि यह विभाग जन सधारण की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यथासंभव और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास करेगा। हमें भी सरकार का केवल विरोधमात्र न करके मन्त्रालय के कार्य में सुधार करने के लिए ठोस सुझाव देने चाहियें।

डाक तथा तार विभाग तो बहुत दक्ष विभाग है। हां कहीं कहीं पर कुछ अकुशल व्यक्ति हो सकते हैं। उनमें दक्षता लाने के सरकार को प्रयास करने चाहियें। सरकार ने फोनोग्राम की सुविधा दे रखी है। परन्तु दिल्ली में टेलीफोन आपरेटर अंग्रेजी के हमारे उच्चारण को नहीं समझ पाते अतः हमें कठिनाई होती है। इस प्रकार की कठिनाइयां दूर की जानी चाहिये।

डाक तथा तार विभाग ने पश्चिम गोदावरी ज़िले में एलूरू के डाक घर में तारों की संख्या बढ़ जाने पर वहां से कुछ दूरी पर एक नया तार घर खोला है। परन्तु इसके पश्चात डाकघर से संलग्न तार घर के कार्य के समय को घटा दिया है। बाद के समय में तार देने के लिए लोगों को तीन मील दूर जाना पड़ता है वहां के व्यापार मंडल तथा व्यापारियों ने यह ज्ञापन दिया है कि डाकघर से संलग्न इस तार घर को 24 घंटे खुला रखा जाये। सरकार को इस बारे में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

एलूरू नगर पश्चिम गोदावरी जिले का मुख्यालय है। यहां की जन संख्या, यहां स्थिति चावल एवं पटसन मिलों को देखते हुए सरकार को यहां पर डाक तथा तार घर का प्रभागीय कार्यालय खोलना चाहिये।

इस विभाग का कार्य सामान्यता केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों की अपेक्षा अधिक सुचारू है। यत्रतत्र कुछ त्रुटियां हो सकती हैं जिन्हें दूर करने के हमें प्रयास करने चाहियें।

प्रत्येक जिले के मुख्यालय का राज्य की राजधानी के साथ सीधा टेलीफोन संबंध होना चाहिये। ट्रंक कालों के बारे में साधारण व आवश्यक जैसा वर्गीकरण समाप्त होना चाहिये। देश में टेलीफोन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

**श्री शंकर राव सावन्त (कोलाबा)** : पहले डाक तथा तार विभाग बहुत अच्छा विभाग माना जाता था परन्तु अब हाल ही में यह विभाग अपने कार्यकरण के कारण बदनाम हो गया है।

जिला कोलाबा और इसके निकट के सितारा और रत्नागिरि जिलों के बीच टेलीफोन सम्पर्क नहीं है। 35 मील दूर स्थित खेड को टेलीफोन करने के लिये बम्बई के रास्ते टेलीफोन मिलाना पड़ता है। कोलाबा जिले की तार तथा टेलीफोन लाइनें महीने में 22 दिन तक खराब रहती हैं। शिकायतों के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं होती। यह शिकायतें दूर की जानी चाहियें।

सरकार ने कुछ ग्रामीण डाकघर खोल रखे हैं उनके कार्यकरण के परिणामस्वरूप यदि किसी डाकघर को हानि हो तो वहां की पंचायत समिति को वह घाटा पूरा करना पड़ता है। यह उचित नहीं है। सार्वजनिक हित की सेवा होने के कारण इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिये। जनता की सुविधा को ध्यान में रख कर ग्रामीण क्षेत्रों में और डाक घर खोले जाने चाहिये। एक स्थान से यदि घाटा होता है तो दूसरे से लाभ भी हो सकता है।

राज्यों की राजधानियों और जिलों के मुख्यालयों में सीधी टेलीफोन व्यवस्था होनी चाहिये। इस व्यवस्था से विभाग को अधिक आय होगी जिससे सेवा में सुधार हो सकते हैं।

**Shri Ram Dhan (Lalganj)** : Many combined Posts and Telegraph offices have been sanctioned for Uttar Pradesh but these are not being opened on the plea of shortage of equipment. There are a number of unemployed engineers in our country. Government should employ them and utilize their services for manufacturing equipment needed for this Department.

This Department was once considered honest but now the position has changed. In rural areas Branch Post Masters do not distribute the Money orders in time and utilize the same for giving loans on interest. People who are prepared to pay bribe get Telephone Connections whereas others have to wait for a long time. The same thing holds good for Trunk Calls also. Cases of corruption in the Department are referred to C. B. I. for enquiries but that leads to more expenditure as the money involved is not so much. The Government should therefore set up a Departmental Agency to enquire into the cases of corruption in the Department. In cognito inspections of Posts and Telegraph offices should also be carried out these also help in checking the corruption.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are not getting full quota of reservation in extra departmental posts in rural areas. Persons belonging to these categories should be appointed as Branch Post Masters in Extra Departmental Post Offices.

Eastern Districts of Uttar Pradesh have remained neglected by Posts and Telegraphs Department. High officials of this Department had assured that in order to check the theft of Telephone lines, copper wires would be connected to Aluminium Wires. But no action has been taken in this regard.

If the Telephone Poles between Lalganj and cholapur are connected with Telephone wires, the problem of Azamgarh can be solved. Similar is the situation of Balia, Jaunpur and other eastern districts.

The transfer of the R. M. S. Superintendent who is working in Azamgarh Post and Telegraph department should be given effect to.

**संचार मन्त्री (श्री एच० एन० बहुगुणा)** : इस विभाग का सम्बन्ध समस्त जनता तथा समस्त विश्व से है। भारत सरकार के अन्य कुछ विभागों के समान इस विभाग का भी सुदूर देशों से सीधा सम्बन्ध है । इसलिए इसकी सदैव परीक्षा की जाती रही है ।

जहां तक श्रमिक समस्याओं का प्रश्न है मैं उन्हें बता दूं कि हम हृदय से उनके साथ हैं और उनकी एकता चाहते हैं अनेकता नहीं। यह कहा गया है क्योंकि हमने एक दूसरा मजदूर संघ बना लिया है इसलिए पहले वाले संघ को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि दोनों संघों में द्वेष है। पर ऐसा करना आसान नहीं है। यदि हम आपस में बैठ कर सद्भावना के साथ विचारों का आदान-प्रदान करें तो मतभेद समाप्त हो सकते हैं। मैं इस दिशा में पूरा प्रयत्न करूंगा और यदि मतभेद समाप्त करने में सफल रहा तो अपने आपको बड़ा ही सौभाग्यशाली मानूंगा।

डाक तार विभाग में कर्मचारियों के काम पर न आने की एक बड़ी समस्या है। कर्मचारियों को कर्त्तव्य-पालन की महत्ता को समझना चाहिए। मैं हर समय कर्मचारियों की कठिनाइयों में उनके साथ हूं पर समयोपरि भत्ता लेने के लिए यदि सांठ गांठ करके छुट्टियां ली जायें तो उस सम्बन्ध में ढील नहीं बरती जा सकती। यदि डाक-तार कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व को समझें— जैसा कि वे पहले समझते थे तो स्थिति में सुधार हो सकता है और जनता की बेहतर सेवा हो सकती है ।

यह कहा गया है कि हम सारे देश में दूर-संचार की व्यवस्था का पर्याप्त विकास नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में हमें आवश्यक तारों और मशीनों तथा उपलब्ध धन पर निर्भर रहना

पड़ता है। हमारे पास नये स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोलने और नई लाइनें लगाने के लिये पर्याप्त धन नहीं है। हमें उपकरण सप्लाई करने वाले दो संस्थान हैं पर वे हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार सामान सप्लाई नहीं कर पाते। 100,000 लाइनों के एक्सचेन्ज के उपकरणों की हमें आवश्यकता है पर हमें 40,000 लाइनों के उपकरण ही उपलब्ध हैं।

टेलीफोन के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें की गई हैं। पर हम देखें कि हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। दिल्ली में ही हमारे एक्सचेन्ज में लड़कियां बड़ा कठिन काम कर रही हैं और उनके लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वर्तमान स्थान से हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं। नया भवन मिलने पर हमारे लिए प्रबन्ध करना आसान हो जायेगा। जहाँ तक कर्मचारियों के आवास का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में हमने अपना कर्तव्य निभाया है। इस दिशा में हम और अधिक गति से कार्य करेंगे।

यह सच है कि दूर-संचार की एक लाइन सात दिन तक बन्द पड़ी रही। पर इसके सम्बन्ध में हमारी अपनी समस्याएं हैं। ऊपरी तारों की चोरी उनमें से एक है। तांबे के तारों के बदले अल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। पर पिछले तीन सालों में हमें एक गज तार भी निश्चित दरों पर नहीं मिल पाया है। राज्यों के बिजली बोर्ड अधिक भाव पर तार खरीद लेते हैं जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। अतः हमने अब लोहे के तारों का उपयोग करने का विचार किया है। अतः मैं सभा को बता दूं कि जब तक तारों की चोरियां समाप्त नहीं होतीं हम उपरि तारों की जगह भूमिगत तारों का उपयोग नहीं करते, उचित माइक्रोवेव पद्धति चालू नहीं होती और जब तक हम इन सबका अपनी आवश्यकतानुसार देश में उत्पादन नहीं करते तब तक यह गड़बड़ी रहेगी ही।

टेलीफोन काल न मिलने के बारे में कहा गया है। पर मेरा कहना है कि जितना कहा जाता है उतनी कम ट्रंक कालें ऐसी नहीं है जो न मिल पाई हों। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अन्य मामलों के समान ही सबसे पीछे है। मद्रास इस सम्बन्ध में सबसे आगे है। वहां सबसे कम काम के दिन बेकार गये हैं। फोनोग्राम की प्रति न दिए जाने की बात कही गई है, इसके कागज की कीमत 86 पैसे आती है। इसे दिए जाने पर अत्यधिक हानि होगी। यदि इतने पैसे लोग देने को तैयार हों तो ठीक है।

हम यथा सम्भव स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर उसके लिए हमें नए भवनों का निर्माण करना पड़ेगा। चौथी पंच वर्षीय योजना से पहले हम इसे पूरा नहीं कर सकते।

मैं चाहता हूं कि टेलीफोन सलाहकार समिति में मजदूरों के संघों का भी सहयोग रहे जिससे वे भी जनता की आलोचना से अवगत हो सकें। ऐसा करने पर अवश्य ही उन पर प्रभाव पड़ेगा।

ऐसा कहा गया है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर 1947 में ग्रामीण क्षेत्रों में 22,116 डाकघर थे जबकि 1971 में इनकी संख्या बढ़कर 1,05,433 हो गई है।

यह कहा गया कि डाक की दरें कम की जाएं। पर वास्तविकता यह है कि डाक पर हमें खर्च अधिक करना पड़ता है और उससे आय बहुत कम होती है। अलबत्ता टेलीफोन एक ऐसी चीज है जिससे हमें 9 करोड़ रुपये का लाभ होता है। इसका भी बहुत सा भाग वेतन आयोग द्वारा बढ़ाए

वेतनों के रूप में तथा कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करने में चला जायेगा। इसके बाद कितना बचता है, कहा नहीं जा सकता। फिर भी हम यथा सम्भव कुशलता लाने का प्रयत्न करेंगे।

यह शिकायत की गई है कि कुछ डाकखाने राजनीतिक आधार पर बन्द कर दिये गये। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, यदि कोई आई तो उसकी निष्पक्ष जांच की जायेगी।

स्मारक टिकट निकालने की बात कही गई है। स्मारक टिकट छापने के सम्बन्ध में हमारी क्षमता सीमित है। इसी कारण मैंने कुछ टिकटों को छापने के सम्बन्ध में मना कर दिया था। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भारत के महापुरुषों को भूल गये हैं। हम तो स्मारक टिकटों के द्वारा यथासंभव भारत के महापुरुषों, प्राकृतिक स्थलों अन्य दर्शनीय वस्तुओं का स्मरण कराना चाहते हैं। इसके सम्बन्ध में मामला टिकट संग्रह समिति को परामर्श के लिये भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव आयेंगे वे टिकट संग्रह समिति को भेजे जायेंगे।

मैं यह बताना चाहता हूं कि डाक तार कर्मचारियों से मैंने बात की है, उन्होंने मेरी बात को माना है। उनमें एकता आएगी। 1969 की हड़ताल का जिक्र किया गया। कार्यभार संभालने पर सबसे पहला काम मैंने यही किया कि हड़ताल के कारण दी गई चार्ज शीट को ध्यान में न रखा जाये। लगभग 500 ऐसे मामले अदालतों में पड़े हैं। कुछ लोग तो काम पर वापिस आ गये हैं। शेष लोगों के सम्बन्ध में कोई समाधान नहीं खोज पाया हूं। पर मैं इसका समाधान ढूंढने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा।

अनुसूचित जातियों और जन जातियों के बहुत से पद पिछले कई सालों से खाली पड़े थे। उन सबको छः महीने के अन्दर भरने का आदेश दिया गया है। उनके आरक्षित पद उन्हें दिये जायेंगे।

रेल गाड़ियों और एयरलाइन्स में हुई गड़बड़ी के कारण डाक आदि के पहुंचने में देरी हुई है। इस सम्बन्ध में मैंने रेलवे मन्त्री से बात-चीत की है और वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

टेलीफोन के बिलों को रजिस्ट्री द्वारा भेजने के सुझाव पर हम विचार करेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि इस सुझाव को मान लिया जायेगा।

इस विभाग में विद्यमान अनेक कमियों को दूर करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। संघ और विभाग के अधिकारियों के बीच अभी भी भय विद्यमान है। अधिकारी संघों से डरते हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे संघों के साथ सहयोग करें तथा उनकी सलाह का सम्मान करें। पर अनुशासन और कार्य-संचालन के सम्बंध में जिन मामलों का कारगर ढंग से निपटारा करना है उनसे किंचित मात्र भी नहीं डरना चाहिए। दोनों महासंघों ने भी सामूहिक रूप से स्वीकार किया है कि अकुशलता और अनुशासनहीनता को कार्मिक संघ की आड़ में नहीं छिपाया जा सकता। अतः मैं समझता हूं कि संघों के सहयोग से विभाग के कार्यसंचालन में सुधार किया जायेगा।

**सभापति महोदय** : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

**सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए**

**All the cut motions were put and negatived.**

**सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1971-72 के लिए संचार मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :**

**The following Demands for Grants in respect of the Ministry of Communications for the year 1971-72 were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रुपये |
| 90 | संचार मन्त्रालय | 19,13,000 |
| 94 | संचार मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 47,42,000 |
| 145 | संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय | 2,19,80,000 |

**सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1971-72 के लिए संचार मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :**

**The following Demands for Grants in respect of the Ministry of Communications for the year 1971-72 were put and adopted**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रुपये |
| 91 | समुद्रपारीय संचार सेवा | 3,16,23,000 |
| 92 | डाक और तार (कार्यचालन-व्यय) | 1,86,90,41,000 |
| 93 | डाक और तार विभाग—सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की वापसी | 19,42,63,000 |
| 144 | डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से न किया जाने वाला) | 69,70,00,000 |

## सदस्य की दोष सिद्धि
## CONVICTION OF MEMBER

**श्री भारत सिंह चौहान**

**सभापति महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को 28 जून, 1971 को विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट तथा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल से निम्न सूचना मिली है :

"मुझे आपको यह सूचित करना है कि लोक सभा के सदस्य श्री भारत सिंह चौहान मेरे समक्ष भोपाल में 28 जून, 1971 को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120 तथा 128 के अन्तर्गत अपराधों के लिए विचारण किया गया और एक दिन तक विचारण के बाद सदस्य को उपर्युक्त अपराधों के लिए दोषी पाया गया और मैंने उन्हें एक दिन का कारावास दण्ड दिया है।"

---

## अनुदानों की मांगें, 1971-72
## DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72

**श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय**

**सभापति महोदय** : अब सभा में श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा की जायेगी।

**पुनर्वास मन्त्रालय की वर्ष 1971-72 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 63 | श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय | 1,13,64,000 |
| 64 | जान सुरक्षा महानिदेशक | 41,89,000 |
| 65 | श्रम और नियोजन | 17,01,73,000 |
| 66 | विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय | 37,64,97,000 |
| 67 | श्रम और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 9,67,000 |
| 132 | श्रम और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | 7,57,60,000 |

**Shri Mohammad Ismail** (Barrakepore) : The present Government is pursuing a pro-employers policy. National minimum wage has not so far been fixed in the country.

This Ministry has not paid attention to the service conditions of labourers which was its first and foremost duty. There is no uniform policy in our country in respect of labour. Different policies are being followed in different States. The

public sector and private sector have been following their own policies. The Government should have devised service conditions for model labour like model employer, so that other employers might have followed that. There is difference in the minimum wage from State to State and zone to zone.

There is another reason for following this pro-employers policy and that is that employers have a right to close down their units. They increase workload in their units. The Government provides assistance to the jute-mill-owners in the name of modernisation. This policy is merely for the benefit of employers. Two and a half lakhs of workers have been rendered unemployed due to closure of textile mills in Maharashtra, West Bengal and Madhya Pradesh. The employers openly put this condition that if retrenchment and reduction in dearness allowance and wages is acceptable to the workers only, then they can restart their mills or units. Inspite of this attitude of the employers, our Government is doing nothing in the interest of workers.

The Industrial Disputes Act should be amended so that the employers could not close the factories at their free will. If factories are closed due to the shortage of materials then Government must provide adequate help and if closure is owing to mismanagement, the punishment should be given. The Government should take over such a factory and run it properly.

Factory laws are so defective that only the employers are protected through these laws. The employers use outdated machines which cause accidents, heavy workload. Factory Act should be completely amended so that workers could get protection.

Coming to Employees State Insurance Scheme, I would like to say that employers do not give their contribution while the contribution of workers is deducted from their salaries. As a result of that, workers are not able to get proper medicines.

So far as the Provident Fund is concerned, the employers have not deposited their contribution worth 15 crores of rupees. Such employers must be penalised.

The doctors dealing with ESI cases are having even 1500 persons on their panel while this number must not exceed 750. But none cares about it.

There are certain Standing Orders which enable only employers to put blame, to punish, to suspend and so on. If workers oppose them, they are suspended. Vital changes should be made in these Standing Orders.

Now I come to the matter of rehabilitation. Government should recognise the voluntary institutions which want to help the refugees. The Government should also ensure that money and medicines reach the sufferers for whom they have been sent.

Today workers go on strike and other disputes arise but why? The employees and the Officers of the Department recognise only that Union which they like.

The Unions should be recognised by ascertaining their strength through secret ballot The Government should recognise only that Union which have a majority.

Corruption is rampant in employment exchanges. Therefore, laws should be amended in a way by which employment should be given only to those who have got themselves registered there.

**Mr. Chairman** : The hon. Member must finish now. Shri B. K. Daschowdhury.

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Morena) : Mr. Chairman, Sir there is no quorum in the House.

**Mr. Chairman** : The bell is being rung-Now there is quorum. Shri B. K. Daschowdhury.

**श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 8 | **प्रो० एस०एल० सक्सेना :** | चीनी कारखानों में मौसमी श्रमिकों को 50 प्रतिशत अकार्य-काल मजदूरी देने में असफलता। | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये। |
| | 10 | ,, | गोरखपुर में श्रमिकों के डिपो की स्थिति में सुधार लाने और उसे भारत के विभिन्न भागों में श्रमिक भेजने का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनाये रखने में असफलता। | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये। |
| | 11 | ,, | बंगला देश से 80 लाख शरणार्थियों के भारत में आने के कारण पुनर्वास कार्य में हुई अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय को पृथक करने में असफलता। | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये। |
| | 12 | ,, | चीनी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नया वेतन बोर्ड नियुक्त करने में जिससे उसकी रिपोर्ट समय पर मिल जाये, और पिछले वेतन बोर्ड को रिपोर्ट में हुए चार वर्ष के विलम्ब को पूरा किया जा सके, असफलता। | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये। |
| | 13 | ,, | जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में हुई वृद्धि के बावजूद मंहगाई भत्ते को बढ़ाने में असफलता। | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये। |
| | 14 | ,, | रेल कुलियों की अखिल भारतीय फेडरेशन को मान्यता देने और उनकी शिकायतें दूर करने में असफलता। | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये। |
| 63 | 15 | **डा० लक्ष्मी-नारायण पांडे :** | श्रमिकों को बोनस देने सम्बन्धी नियमों में उपयुक्त संशोधन करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 16 | ,, | श्रमिकों द्वारा जमा कराई गई भविष्य निधि की राशि के दुरुपयोग को रोकने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 17 | ,, | श्रमिकों के आवास के लिये क्वाटरों का निर्माण करने में असफलता। | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 18 | **डा० लक्ष्मी-नारायण पांडे :** | कालिक कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को बोनस देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 19 | ,, | मौसमी कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रतिधारण भत्ता (रिटेनिंग एलाउंस) देने के संबंध में एक निश्चित नीति निर्धारित करने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 20 | ,, | श्रमिकों के सामने कठिनाइयां पैदा करने के लिए जबरन छुट्टी घोषित करने और मनमाने ढंग से कारखाना बन्द करने की मिल मालिकों की प्रवृत्ति को रोकने में असफलता। | 100 रुपये |
| | 21 | ,, | शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी नीति की असफलता। | 100 रुपये |
| | 22 | ,, | मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में शरणार्थियों की दशा सुधारने में एक निश्चित नीति का अभाव। | 100 रुपये |
| 65 | 23 | **श्री आर० वी० बड़े :** | चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक श्रमिकों की बेरोजगारी की समस्या। | 100 रुपये |
| | 24 | ,, | कपास ओटन और गांठें बांधने के कारखानों में ठेका श्रमिकों और नैमित्तिक श्रमिकों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| | 25 | ,, | ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की बेरोजगारी को रोकने और मजदूरी की दर को बढ़ाने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 66 | 26 | **डा० लक्ष्मी-नारायण पांडे :** | दण्डकारण्य में कृषि योग्य की गई भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि स्थानीय आदिवासियों को देने में असफलता। | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये। |
| | 27 | ,, | आसाम और आंध्र प्रदेश में बंगला देश से आये हुए नये शरणार्थियों के लिए और अधिक शिविर स्थापित करने में असफलता। | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये। |
| | 28 | **श्री आर० वी० बड़े :** | विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बंगला देश (पूर्वी पाकिस्तान) में छोड़ी हुई सम्पत्ति के मुआवजे के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता। | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 29 | **श्री आर० वी० बड़े :** | नये आने वाले शरणार्थियों परिवारों को तुरन्त और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से आने देने और उनका पुनर्वास करने में असफलता । | 100 रुपये |
| | 30 | ,, | आदिवासियों के कब्जे वाली वन भूमि को नियमित करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 31 | ,, | माना शिविर में पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता । | 100 रुपये |
| | 32 | ,, | बंगला देश से आने वाले नये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए आसाम सरकार के सहयोग से व्यवस्था करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 33 | ,, | बंगला देश से आने वाले नये शरणार्थियों के लिए सीमा क्षेत्रों में नये शिविर स्थापित करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 66 | 34 | **श्री आर० वी० बड़े :** | दण्डकारण्य में कृषि योग्य की गई भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि स्थानीय आदि वासियों को देने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 35 | ,, | वन भूमि पर आवास सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था करने और आदिवासियों की झोपड़ियों को गिराये जाने से रोकने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 36 | ,, | श्रीलंका से भारत आए हुए नागरिकता हीन व्यक्तियों को वापस श्रीलंका भेजा जाना । | 100 रुपये |
| | 38 | ,, | बंगला देश से आये हुए शरणार्थियों को जम्मू और कश्मीर में बसाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 39 | ,, | दण्डकारण्य में 150 स्थानीय आदिवासी परिवार को बसाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| | 40 | ,, | 1947 के पश्चात् आये शरणार्थियों के, जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है, पुनर्वास की धीमी प्रगति । | 100 रुपये |

**श्री बी० के० दासचौधरी** (कूच-बिहार): आज यदि कोई बड़ी समस्या है तो वह बेरोजगारी की है । पुनर्वास की समस्या भी इस समस्या से अधिक बड़ी नहीं है ।

वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार गैर-कृषि श्रमिकों की संख्या 6 करोड़ है । इन छः करोड़ श्रमिकों में से 50 लाख श्रमिक कारखानों, खानों, बागानों और संस्थानों आदि में काम करते हैं और शेष 5 करोड़ 50 लाख असंगठित श्रमिक हैं । मुझे संदेह

है कि उनके कल्याणार्थ मंत्री महोदय की कोई ऐसी योजना है जिससे उनको लाभ मिल सके।

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
**Shri R. D. Bhandare in the Chair**]

क्या इन छोटे-छोटे श्रमिकों, रेलवे के कुलियों, खोमचेवालों और ऐसे ही श्रमिकों के लिये कोई विनियम अथवा कानून है ? मैं मंत्री महोदय से इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने के लिये अनुरोध करता हूं। श्रम सम्बन्धी समस्या गंभीर समस्या है और यदि मंत्री महोदय इस समस्या की ओर गंभीरता-पूर्वक ध्यान देंगे तो आगामी 5, 6 अथवा 10 वर्षों में बेरोजगारी की भयानक समस्या के कारण नागरिक जीवन की सभी सुविधायें गतिबद्ध हो जायेंगी। सेवाओं के लिये आयु-सीमा 24-25 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रशासन सुधार आयोग ने सुझाव दिया है तथा इसके प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आयु-सीमा 26 वर्ष कर दी जाये। बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुये मंत्री महोदय को गृह मंत्रालय से परामर्श करके आयु-सीमा में कुछ छूट देनी चाहिये ताकि वे नवयुवक जो वर्षों तक बेरोजगार रहते हैं, उन्हें 26-27 वर्ष की आयु में भी रोजगार मिल सके।

पुनर्वास मंत्रालय का दूसरा पहलू पुनर्वास सम्बन्धी समस्या है। पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की तो अब केवल मुआवजा देने सम्बन्धी समस्या है। परन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की समस्या का क्या हाल है ?

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को तीन-चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक श्रेणी उनकी है जो विभाजन के पश्चात् वर्ष 1958 तक आये हैं। दूसरी श्रेणी वर्ष 1964 के पश्चात् आये विस्थापितों की है। इसके पश्चात् गत वर्ष भारी संख्या में विस्थापित आये हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Morena) : Mr. Chairman, Sir, I want your ruling, There is no quorum in the House.

**सभापति महोदय** : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई है।

**श्री बी० के० दासचौधरी** : मैं यह कह रहा था कि वर्ष 1970 से अब तक जो लोग आये हैं, जिनमें हाल में भारी संख्या में आये विस्थापित भी शामिल हैं, उन्हें अभी तक कोई काम नहीं दिया गया है। यदि हम पुनर्वास के विभिन्न चरणों को देखें तो मालूम होता है कि विस्थापितों के साथ विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के साथ पुनर्वास विभाग द्वारा उपहास किया जाता रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पुनर्वास मंत्रालय को 31,60,000 शरणार्थियों की समस्या के बारे में एक नोट भेजा था परन्तु उन के लिये कुछ नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने चार योजनायें प्रस्तुत कीं जिन्हें क, ख, ग और घ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और जिन पर 55.1 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत सरकार का पुनर्वास विभाग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। विचार-विमर्श के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से सारी योजना को पुनः तैयार करने को कहा गया और प्रतिवेदन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से 21 करोड़ रुपये की राशि इस समस्या के लिये निर्धारित

की गई है परन्तु यह गलत है। भारत सरकार के दबाव में आकर यह राशि निर्धारित की गई है।

21 करोड़ रुपये की सारी रकम भी भारत सरकार ने एकमुश्त नहीं दी। 14 करोड़ रुपये अभी नियत किये गये हैं और 7 करोड़ रुपये उन्होंने शैक्षणिक सुविधायें जुटाने के लिये अलग रख दिये हैं।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की शेष समस्याओं पर विचार करने के लिए श्री एन० सी० चटर्जी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की गई थी। यह कहा गया था कि इस समिति की सभी सिफारिशों को पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया जायगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित किया गया है ? जो विस्थापित व्यक्ति अभी भी कष्ट और दुःख भोग रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

पुनर्वास विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों ओर से आये विस्थापितों पर अब तक 528.40 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में भी राहत कार्यों पर कुछ राशि व्यय की गई है। अनुदान के तुलनात्मक आंकड़ों में यह कहा गया है कि पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये अनुदान की राशि 162.62 करोड़ रुपये थी और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये अनुदान की राशि 146.50 करोड़ रुपये थी। क्या यह सच नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को तब तक कोई भी ऋण नहीं दिया गया था जब तक कि ऋण के पुनरीक्षण का प्रश्न सामने नहीं आया ?

दण्डकारण्य विकास योजना के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये वर्ष 1970-71 तक 52.24 करोड़ रुपये की राशि रिपोर्ट में दर्शाई गई है। वर्ष 1970-71 तक मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों से 2,35,324 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है, जिसमें से 1,40,951 एकड़ भूमि सरकार ने उपयुक्त पाई। इस 1,40,951 एकड़ भूमि में से भी लगभग 1,26,480 एकड़ भूमि का विकास किया गया है। लगभग 18,000 विस्थापित परिवार उस योजना में बसाये जा चुके हैं। 25 प्रतिशत विकसित भूमि उड़ीसा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को आदिवासी लोगों के कल्याणार्थ और उनके पुनर्वास हेतु दी गई है। आदिवासी लोगों के परिवारों को 2880 रुपये प्रति परिवार और 3000 रुपये प्रति परिवार गृह–निर्माण आदि के लिये दिया गया है। 52.24 करोड़ रुपये में से 5.40 करोड़ रुपये 18,000 विस्थापित परिवारों को दिये गये हैं।

**Mr. Hukam Chand Kachwai :** Mr. Chairman, there is no quorum in the House.

**सभापति महोदय :** अब सदन में गणपूर्ति है।

**श्री बी० के० दासचौधरी :** इस 52 करोड़ रुपये की राशि में से विस्थापितों, आदिवासियों और गरीब व्यक्तियों पर केवल 6½ करोड़ रुपया ही व्यय किया गया है। इन 52 करोड़ रुपयों में से काफी राशि सड़कों, पुलों, सम्पर्क मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर खर्च की गई है और काफी धन मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों को दिया गया है जिससे कि वे अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत 471 मील लम्बी सड़क, दो राष्ट्रीय राजमार्गों और तीन सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया है। इसलिये

विस्थापितों, आदिवासियों और निर्धन लोगों पर अगर संस्थापन आदि व्यय भी शामिल कर लिया जाय, तो 10 करोड़ रुपये से अधिक धन व्यय नहीं किया गया है। इसलिये पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर 5.2 करोड़ रुपये व्यय करने की बात कहना अनुचित और गलत है।

**सभापति महोदय** : अगर संसदीय कार्य मन्त्री कहें, तो इस पक्ष का सारा समय मैं इन्हें दे सकता हूं। मैंने 25 मिनट पहले ही दे दिये हैं।

**श्री बी० के० दासचौधरी** : 25 मिनट कैसे हो गये ? तीन बार तो कोरम की घन्टी, दस मिनट तक बजती रही। मैं दो तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

पुनर्वास विभाग की सलाहकार समिति में हमने इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से चर्चा की। 31 मार्च, 1964 तक 82.03 करोड़ उन पर खर्च किये गये। इस राशि में से 50 करोड़ रुपयों की छट दे दी जायगी। जिन गरीब विस्थापितों ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में (अब बंगला देश) अपनी सम्पत्ति छोड़ी थी, उसके मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये तक के ऋणों की वसूली छोड़ दी जाय। इससे मन्त्रालय को सिर्फ 10–12 करोड़ रुपये का ही फर्क पड़ेगा।

बंगाल से 70 लाख व्यक्ति भारत में आ चुके हैं और उनमें से 50 लाख पश्चिम बंगाल में ही हैं। प्रारम्भ में 25 लाख व्यक्तियों को अन्य स्थानों पर ले जाने की योजना थी और अब यह संख्या 8 लाख तक ही रह गई है। इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, जिससे की बंगला देश के विस्थापितों और पुराने विस्थापितों को बसाया जा सके।

अब विस्थापितों की भयंकर समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री को पुनर्वास विभाग के स्थान पर एक अलग पुनर्वास मंत्रालय बनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

---

## पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा

## PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF WEST BENGAL

**गृह मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 29 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 984 में प्रकाशित हुई थी।

उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये दिनांक 29 जून, 1971 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1971 में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 985 में प्रकाशित हुआ था।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के राष्ट्रपति को भेजे गये प्रतिवेदन दिनांक 28 जून, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

---

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

## पश्चिम बंगाल की समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये बिना विभाग के एक मंत्री की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT Re: APPOINTMENT OF A MINISTER WITHOUT PORTFOLIO TO DEAL WITH THE PROBLEMS OF WEST BENGAL

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** : आज प्रातः उद्घोषणा जारी करने के बाद, राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है।

केन्द्रीय सरकार चाहती है कि पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित सभी समस्याओं के बारे में कार्यवाही शीघ्र की जाय। इतनी अल्प अवधि में शरणार्थियों के भारी संख्या में आने से पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में काफी गम्भीर समस्यायें और असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। इन मामलों पर विशेष ध्यान देने की और इनका अविलम्ब समाधान करने की आवश्यकता है। अतः निर्णय किया गया है कि तत्काल ही मन्त्रिमण्डल स्तर के एक मन्त्री को बिना विभाग के मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाये। फिलहाल शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय को अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपी जायगी। जैसे ही उनके मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार समाप्त होगा, वह केवल यही कार्य करेंगे।

---

## अनुदानों की मांगें 1971-72
## DEMANDS FOR GRANTS 1971-72

### श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

**Shri Raja Ram Shastri** (Varanasi) : I want to draw the attention of the House to the unorganised labour, such as Railway porters and the labourers employed by the contractors. They should be given all the facilities which are provided to the Government employees. The contractors should be forced to do so.

The agricultural labourers have not been paid attention. They are not treated industrial labourers and hence the facilities available to the industrial labourers are not made available to them. The labour Commission did not consider their difficulties in detail as it was outside the terms of reference of that commission. Most of the agricultural labourers belong to the Harijan community and hence greater attention should be paid to them.

The labour commission had considered the question of fixing National

Minimum wage. They had started that it was not possible to fix a National Minimum wage in view of our economic conditions. They had recommended that it could be done in certain industries or in certain regions. It is really very unfortunate that in the socialistic pattern of society, people do not have security of jobs, nor they are able to get a minimum wage to make their both ends meet.

***श्री था किरुतिनन (शिवगंज)** : यह अत्यधिक खेद की बात है कि सरकार ने श्रम आयोग की सिफारिशों पर अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया है और न ही बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाने में ही पहल की है। उदाहरणार्थ, आयोग ने देश में औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रथम पग के रूप में औद्योगिक सम्बन्ध परिषद स्थापित करने की सिफारिश की है। श्रम मन्त्री को औद्योगिक सम्बन्ध परिषद स्थापित करने की सिफारिश को क्रियान्वित करना चाहिए।

श्रम आयोग ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (क) का संशोधन करने का भी सुझाव दिया है। विभिन्न राज्यों में स्थापित केन्द्रीय औद्योगिक उपक्रमों में उठने वाले विवादों में हस्तक्षेप करने और उनका निपटारा करने के लिये राज्य सरकारों को अब कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून और व्यवस्था कायम रखने की है। अतः यह आवश्यक है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (क) का संशोधन किया जाय जिससे राज्य सरकारें उचित समय पर कारगर ढंग से हस्तक्षेप कर सकें और औद्योगिक असन्तोष के कारण विस्फोटक स्थिति पैदा न होने दें।

रेलवे को एक उद्योग माना जाना चाहिए, ताकि उसके विवादों का औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निपटान किया जा सके।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने उपदान योजना का विस्तार करने का अमूल्य सुझाव दिया है, जिसके अन्तर्गत समूचे देश के सभी औद्योगिक मजदूर आ जायेंगे। श्रम मन्त्री को इस मूल्यवान सुझाव को स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और उपदान योजना का लाभ सभी औद्योगिक मजदूरों को दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक राज्य में श्रम कल्याण बोर्ड बनाने की बड़ी आवश्यकता है। ये बोर्ड बहुत से प्रभावकारी श्रम कल्याण कार्यक्रमों को अपने हाथ में ले सकेंगे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि नियत की है। केन्द्रीय सरकार को भी समान मात्रा में राशि राज्य सरकारों को स्वीकृत करनी चाहिए ताकि राज्य श्रम कल्याण बोर्ड कुछ श्रम कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकें।

राज्य कर्मचारी बीमा योजना 1955 में आरम्भ की गई थी, परन्तु इस दिशा में वह कार्य नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए था। इस योजना का सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारियों को तो इसका लाभ मिलता है, परन्तु उनके परिवारों के सदस्यों को नहीं। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका लाभ मिल सके। वर्ष 1967-68 में कर्मचारी भारी राज्य बीमा निधि में कर्मचारियों ने 12.44 करोड़ रुपये का अंशदान किया जबकि मालिकों ने 13.64 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जो सर्वथा अपर्याप्त है।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on the English translation of the speech delivered in Tamil.

17.9.1969 की एक बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक संकल्प द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय की सीमा 50 रुपये निर्धारित कर दी है। उससे अधिक व्यय राज्य सरकारों को वहन करना होता है। तमिलनाडु सरकार 61 रुपये प्रति कर्मचारी व्यय कर रही है। राज्य बीमा निगम द्वारा व्यय की सीमा निर्धारित करना अनुचित है और इस संकल्प को रद्द किया जाना चाहिए।

तमिलनाडू सरकार श्रम कल्याण कार्यक्रमों को बड़ी तत्परता से क्रियान्वित करना चाहती है। इस दिशा में कई कार्यक्रम बनाये भी गये हैं, मगर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इसमें हस्तक्षेप करके राज्य सरकार को आगे कार्यवाही करने से रोक दिया है। अनेक निर्माण-कार्य अधूरे पड़े हैं। इस प्रकार की गलत स्थिति को समाप्त करने के लिए श्रम मन्त्री को हस्तक्षेप करना चाहिए।

अभी हाल में मजदूर संघों और प्रबन्धकों का एक सम्मेलन श्रम मन्त्री महोदय ने बुलाया था। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इस सम्मेलन की कार्यवाही और निष्कर्ष सभा-पटल पर रखे जाने चाहिएं।

रेलवे कर्मचारी प्रगतिशील संघ का मैं प्रधान हूं और हजारों कर्मचारी इसके सदस्य हैं। रेलवे प्रशासन ने इस संघ को अभी तक मान्यता नहीं दी है। श्रम मन्त्री को इस संघ को मान्यता देने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

जहां एक ओर औद्योगिक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का आश्वासन प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जीवन-निर्वाह के लिये नियमित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होने की भी आशा नहीं है। मन्त्री महोदय को भूमिहीन कृषि-श्रमिकों के कष्टों को दूर करने के लिए उपाय ढूंढना चाहिए और उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। सरकार को श्रमिकों के लिये व्यापक आवास कार्यक्रम भी प्रारम्भ करना चाहिए।

देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए व्यापक रोजगार के अवसर बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या हल करने के लिए केवल 50 करोड़ रुपये की राशि नियत की है। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए युद्ध-स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं बर्मा और श्री लंका के शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में कहना चाहूँगा। तमिलनाडु सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कई योजनायें बनाई हैं। चूंकि शरणार्थियों की संख्या लाखों में है, इसलिये केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता देनी चाहिये, ताकि इस विशाल समस्या का समाधान कर सकें।

---

## राज्य सभा से सन्देश

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सदन को देनी है :—

"राज्य सभा दिनांक 25 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई है कि निर्वाचन तिथि में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने सम्बन्धी दोनों

सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये निम्न-लिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया है :—

(1) श्री लाल के० आडवाणी
(2) श्री नारायण कल्याण कृष्णन
(3) श्री वी० बी० राजू
(4) श्री त्रिलोकी सिंह
(5) श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
(6) श्री सवाई सिंह सिसोदिया
(7) श्री महावीर त्यागी

**(इसके पश्चात् लोकसभा बुधवार,** 30 **जून,** 1971/ 9 **आषाढ़,** 1893 (शक) **के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।)**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 30th June, 1971/Asadha 9, 1893 (Saka.)**

Tirthraj Press, Allahabad-3.